खण्ड-173, अंक-3
बुधवार, 26 वैशाख, शक संवत् 1878
(16 मई, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 173 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १६ मई, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२०७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवलसिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुलज़ार, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री

नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
फ़जलुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल बैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मन्नूलाल, श्री

मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव क़दम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री

नीलाधर अष्ठाना, श्री
बंशनारायण सिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाबख्श सिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां, हकीम
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १६ मई, १९५६

तारांकित प्रश्न

*१-२—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[१३ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

मिर्जापुर परामर्शदात्री समिति की औषधालयों के संबंध में सिफ़ारिशें

*३—श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर परामर्शदात्री समिति ने पिछले तीन वर्षों में कहां-कहां नये औषधालय व अस्पताल खोलने तथा पुरानों के प्रदेशीयकरण करने की सिफारिशें की हैं, और उनमें से कितने कहां-कहां अस्पताल या औषधालय खुल गये अथवा राजकीय कर दिये गये तथा कितने खुलने को शेष हैं?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—(१) एलोपैथिक—मडिहान, गैपुरा, पड़री, कोन, रामगढ़, पुरसई, हरदी, कुरछा, गहरवारगांव, कुलडोमरी, पथरौर, कोटा शिवप्रतापसिंह, मतवार, खजूरा तथा मधुपुर।

(२) आयुर्वेदिक---बरौधा, शिवपुर, पचेवरा, मेहरीकलां, तथा किरविल।

निम्न स्थानों पर आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित किये जा चुके हैं :---

रामगढ़, मतवार, तथा बरौधा। प्रदेशीयकरण के मामले में जिला चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति की सिफारिश नहीं मांगी जाती। नवम्बर १, १९५२ से म्योरपुर तथा राबर्ट्सगंज में स्थित जिला बोर्ड अस्पतालों का प्रदेशीयकरण हो गया है।

*४---श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या सरकार बतायेगी कि जो नहीं खुले हैं वे कब तक खुल जायंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वर्षों में धन तथा भवनों की उपलब्धता के अनुसार ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर चिकित्सालय और औषधालय खोलने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो कहा है कि धन और भवनों की उपलब्धता के अनुसार ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर अस्पताल खोलने का प्रयत्न किया जायगा, तो मकान अगर किराये के मिल जायं तो क्या वहां अस्पताल खोलने की व्यवस्था की जायगी ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---यदि उस वर्ष में अस्पताल बांटने होते हैं तो जहां जगह मिल जाती है उन स्थानों पर अस्पताल खोलने के लिये प्राथमिकता अवश्य देते हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो वहां की परामर्शदात्री समिति ने अपनी सिफारिशें भेजी हैं उन सब स्थानों पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औषधालय या अस्पताल खोले जायंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---आपकी परामर्शदात्री समिति ने तो बहुत लम्बी चौड़ी फेहरिस्त बना दी है। उन सब स्थानों पर तो शायद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अस्पताल नहीं खुल सकेंगे क्योंकि अस्पतालों की जितनी संख्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखी गयी है वह सारे प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुये बहुत कम है। परन्तु इस बात का अवश्य ख्याल रखा जायगा कि जो पिछड़े हुये क्षेत्र हैं और जहां बहुत दूर दूर तक इलाज के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है उन स्थानों को अवश्य प्राथमिकता देने की चेष्टा की जायगी, और उनमें कई स्थान मिर्जापुर जिले में ऐसे हैं जो पिछड़े हुये क्षेत्र हैं। निर्णय लेते समय हम इस बात का ध्यान अवश्य रखेंगे कि पिछड़े हुये क्षेत्रों को अस्पताल मिलें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो अस्पताल प्रान्तीयकरण किये गये हैं उनमें से कितने अस्पताल जिला बोर्ड, मिर्जापुर के हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---दोनों अस्पताल जिला बोर्ड के हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला बोर्ड के अस्पतालों का जो प्रान्तीयकरण किया गया है तो क्या जिला बोर्डों ने शर्तों को स्वीकार कर लिया है जो सरकार की ओर से की जाती हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---शर्तें तो मुझे याद नहीं हैं कि मंजूर की हैं या नहीं ? लेकिन कोशिश की जाती है कि जिला बोर्डों के अस्पतालों को जभी लिया जाय जब वह शर्तें मान ले। लेकिन कुछ ऐसे नादिहिन्दा जिला बोर्ड हैं जिन्होंने शर्तों को पूरा नहीं किया है।

*५--श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)--[१३ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

उद्योग-धंधों के संबंध में फैक्ट फाइण्डिंग कमेटी की स्थापना

*६--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--सरकार ने जो Fact Finding Committee की उद्योग-धन्धों के सम्बन्ध में स्थापना की है उसने सम्पूर्ण प्रदेश का दौरा कर अपनी रिपोर्ट दे दी है? यदि नहीं, तो वह कब तक प्राप्त हो सकेगी?

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव (श्री बनारसी दास)--जी नहीं, इस बात का अन्दाजा कमेटी की पहली बैठक के बाद, जो कि २५ मई को होने जा रही है, लगेगा।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी के पास नियोजन की रूपरेखा की जानकारी के सम्बन्ध में कुछ साहित्य भेजा गया है? यदि भेजा गया है, तो क्या?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी साहित्य मैंने देखा नहीं है, लेकिन डाइरेक्टर महोदय से आशा की गई थी कि उनके पास उपलब्ध आंकड़े हैं या जानकारी है वह उनको अवश्य कमेटी के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैं समझता हूं कि डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज अवश्य यह कार्य करेंगे।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--क्या मंत्री जी इस कमेटी के सदस्यों के नाम बताने की कृपा करेंगे?

श्री बनारसी दास--इसकी एक लिस्ट है जो अखबारों में प्रकाशित हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष--आप यदि उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं, आप पढ़ कर सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं।

श्री बनारसी दास--वह तो सदस्यों को मालूम है।

श्री रामेश्वरलाल--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अखबारों में निकले हुये समाचारों को पढ़ना और समझना हर एक आदमी के लिये आवश्यक है? मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इस कमेटी के नाम पढ़ कर सुनाने की कृपा करें।

श्री बनारसी दास--इस कमेटी के निम्नलिखित सदस्य हैं और चेयरमैन श्री बी० एन० बिड़ला हैं :--

१--प्रोफेसर एल० पी० मिश्रा
२--श्री बी० एम० दासगुप्ता
३--श्री जे० के० श्रीवास्तव
४--श्री पद्मपति सिंहानिया
५--श्री रामरतन गुप्ता
६--श्री एम० आर० जैपुरिया
७--श्री ने० के० निवेटिया
८--श्री के० के० बिड़ला
९--श्री सन्तोष सिंह एम० एल० सी०
१०--श्री बी० एन० सेठ
११--श्री मुनीश्वरदत्त उपाध्याय एम० पी०
१२--श्री परिपूर्णानन्द वर्मा एम० एल० ए०
१३--श्री देवकीनन्दन विभव एम० एल ए०
१४--डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज (सेक्रेटरी)

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी की बैठक कितनी बार हो चुकी है, और उसने अब तक क्या निर्णय किया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कमेटी की बैठक नहीं होने पाई। अध्यक्ष महोदय को कुछ दिक्कतें हो गई हैं। कदाचित उनके पिता जी का स्वर्गवास हो गया है और दुर्भाग्यवश श्रीपति सहाय जी पलंग पर रहे और आज भी हैं। इसलिये कमेटी की बैठक नहीं होने पाई। अब कमेटी की पहली मीटिंग २५ मई को होने वाली है।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कमेटी जो बनी है यह बड़े उद्योग-धंधों के बारे में देखेगी या छोटों को भी देखेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह ज्यादातर बड़े-बड़े उद्योग-धंधों के लिये ही छानबीन करेगी। छोटों के लिये एक बोर्ड है, उसने एक सब-कमेटी बना रखी है, वह इस पर विचार करेगी।

श्री बनारसीदास---अध्यक्ष महोदय, मैंने जो नाम अभी पढ़कर कमेटी के सुनाये हैं उसमें कुछ इजाफा करना चाहता हूं। वह इस प्रकार हैं---

१---महाराजकुमार बालेन्दु शाह
२---श्री गोपीनाथ दीक्षित एम० एल० ए०
३---कुंवर गुरुनारायण एम० एल० सी०
४---श्री गूजरमल मोदी
५---रामेश्वर प्रसाद बागला कानपुर।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार को यह आश्वासन मिल गया है कि इस फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद सेकेंड फाइव ईयर प्लान में तत्संबंधी कमेटी के सुझावों के अनुसार संशोधन कर लिये जायेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जैसा माननीय सदस्यों को विदित है जो योजना बनी है उस पर प्रत्येक वर्ष निगरानी होती रहेगी और यदि उस योजना में परिवर्त्तन करना संभव हुआ तो जहां-जहां हम परिवर्त्तन कर सकेंगे, और केंद्रीय सरकार हमें इस बात की इजाजत देने के लिये उद्यत रहेगी कि नयी योजना हम लें, और उसकी अगर हमें इजाजत मिल गई तो अवश्य बहुत सी चीजें जो फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी अपने अनुसंधान और अन्वेषण द्वारा हमें देगी उसको हम अपने सेकेंड फाइव इयर प्लान में रखने की चेष्टा करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं इस बात की स्पष्ट जानकारी चाहता हूं कि क्या प्लानिंग कमीशन ने किसी प्रकार कोई लिखित या अन्य प्रकार से कोई आश्वासन प्रदेशीय सरकार को दिया है कि जो हमारी फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी है उसकी सिफारिशों का ध्यान वे अपनी वार्षिक बैठक में विचार करते समय करेंगे।

श्री अध्यक्ष---जो उत्तर दिया गया है उसके बाद यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम सुन्दर पांडेय---क्या नियोजन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी की रिपोर्ट सदन में कब तक प्रस्तुत की जा सकेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अब कमेटी बैठने वाली है। मैं नहीं जानता कि वह कितनी सिटिंग करेगी। उनसे तो ऐसी आशा की गई थी कि वह दो महीने में अपना काम समाप्त कर देगी, लेकिन यदि कोई और दुर्घटना हो गई तो अधिक समय भी लग सकता है। वैसे आशा की जाती है कि दो, तीन महीने के अन्दर में वह अपने कार्य को समाप्त कर देगी।

*७-८---श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ट---[१३ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*९-१०---श्री बसन्तलाल ---[१३ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

उत्तर प्रदेशीय अस्पताल स्टाफ यूनियन, आगरा की मांगें

*११---श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेशीय अस्पताल स्टाफ यूनियन, आगरा की कुछ मांगें आई हैं? अगर हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन पर क्या कार्यवाही की गई है।

श्री बनारसीदास---उत्तर प्रदेशीय स्टाफ यूनियन, आगरा की मांगें संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के पास आई हैं और अभी उनके विचाराधीन हैं। इस यूनियन को मान्यता दिलाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कौन-कौन सी मांगें विचाराधीन हैं ?

श्री बनारसी दास---मांगें बहुत सी हैं। एक यह है कि यूनियन को मान्यता दी जाय और इसके अतिरिक्त उनके अपने कंफर्मेशन के बारे में, वेतन के बारे में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में उनकी सर्विसेज थीं उनका उसमें शुमार किया जाय, आदि आदि, बहुत सी मांगें हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि संचालक महोदय कितने समय से इन प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं ?

श्री बनारसी दास---यह प्रश्न काफी दिनों से विचाराधीन है, लेकिन इसमें खास दिक्कत यह है कि हमारे प्रदेश के अन्दर और किसी भी सरकारी कर्मचारी की ऐसी यूनियन नहीं है कि जिसका फेडरेशन हो। तो किसी भी एक फेडरेटेड यूनियन को मान्यता नहीं दी गई है, और चूंकि यह फेडरेशन है इसलिये यह गवर्नमेंट के सामने कठिनाई है कि इसको कैसे मान्यता दी जाय ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आदेश जारी करने की कृपा करेंगे कि जब तक इस मान्यता के प्रश्न पर सरकार विचार कर न ले तब तक जिलों में सिविल सर्जन, जो छोटी-मोटी मांगों को यूनियन उठाती रहती हैं, उनको स्थानीय तरीके से बातचीत करके हल कर दिया करें।

श्री बनारसी दास---इसके बारे में पहले से आदेश हैं। यदि इस तरह की कोई शिकायत होती है तो स्थानीय सिविल सर्जन और मेडिकल आफिसर इंचार्ज उसको देखते हैं और दूर करते हैं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस यूनियन का संचालन किसी पार्टी विशेष द्वारा होता है या यह एक स्वतंत्र संस्था है ?

श्री बनारसी दास---यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस यूनियन से श्री नारायणदत्त जी का अवश्य संबंध है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि सरकार ने इस फेडरेशन को मान्यता देने के संबंध में कई वर्षों तक विचार किया और यह विचार अभी तक समाप्त नहीं हो पाया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हां, कई वर्षों से इस प्रश्न पर विचार किया गया, और सरकार कभी भी यूनियन्स आदि के विषय में जब कोई निर्णय लेती है तो उस सरकार के जो और विभाग हैं और उसके जो कर्मचारी हैं और उनकी यूनियन्स इत्यादि हैं उन सबका विचार करके कोई निर्णय लेना पड़ता है। तो इस विषय में भी विभिन्न विभागों से बातचीत हुई और उनकी राय सरकार के पास आई। और खास कर नियुक्ति विभाग, जो कि इस प्रकार के आदेश इत्यादि जारी करता है, उससे भी बातचीत हुई। अभी सरकार कोई ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है कि इस प्रकार की संस्था को कोई मान्यता प्रदान की जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेशीय अस्पताल स्टाफ यूनियन, आगरा से संबंधित कितने कर्मचारी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसकी संख्या तो इस वक्त मालूम नहीं है। यदि आप नोटिस देंगे तो मैं बता सकता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार इस बात को बतलाने की कृपा करेगी कि यह मान्यता का प्रश्न कब तक सरकार के विचाराधीन रहेगा?

श्री बनारसी दास--यह उत्तर दिया जा चुका है। जहां तक इस फेडरेशन का मामला है किसी फेडरेशन को सरकार मान्यता नहीं दे सकती है। यदि अलग से उनका संगठन होगा तो उस वक्त उस पर विचार किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कई जिलों में सिविल सर्जन ने यूनियन की स्थानीय शाखा की छोटी-मोटी बात पर विचार करने से इसलिये इंकार कर दिया है कि चूंकि उसकी प्रांतीय फेडरेशन को मान्यता नहीं मिली है?

श्री बनारसीदास--इस बात की कोई सूचना सरकार को नहीं है।

भुवाली सैनीटोरियम के निम्न कर्मचारियों की मांगों की अस्वीकृति

*१२--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या यह सही है कि भुवाली सैनिटोरियम के निम्न कर्मचारियों को विशेष भत्ता तथा ऋण सुविधाएं देने की योजना एक लम्बे काल से सरकार के विचाराधीन है? अगर हां, तो सरकार इस संबंध में अंतिम निश्चय क्या है और कब तक करने जा रही है?

श्री बनारसीदास--भुवाली सैनीटोरियम के निम्न कर्मचारियों को अधिक वेतन तथा विशेष भत्ता देने के प्रश्न पर सरकार ने पूर्ण रूप से विचार कर यह निश्चय किया कि उक्त कर्मचारियों को यह सुविधा देना संभव नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं जब भुवाली गये थे तो वह अपने कर कमलों से स्वयं एक नोट लिख आये थे कि उस वार्ड ब्वायज बैरक के कर्मचारियों की बुरी हालत है तो अवश्य इनको कोई एलाउन्स दिया जाना चाहिये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, ऐसा हो सकता है उस समय मैंने यह बात कही हो और नोट भी लिखा हो। लेकिन विभाग के मंत्री जो नोट लिखते हैं उस नोट का अध्ययन फाइनेंस विभाग करता है और अन्य विभागों से भी इस जानकारी को प्राप्त करके कुछ सामूहिक ढंग से निर्णय लेना पड़ता है। इसलिये मेरे विचार से कोई एक चीज हो सकती है, परन्तु यदि सामूहिक रूप से सरकार उसको मंजूरी प्रदान न करती तो तब तक वह बात सरकार की मंजूरशुदा नहीं मानी जाती है। हो सकता है किसी प्रश्न पर मेरे विचार स्वयं कुछ हों, परन्तु यदि हमारी सरकार के अन्य सहयोगी उस पर एकमत न हों तो उस पर सरकार का निर्णय नहीं माना जा सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार भुवाली के इन कर्मचरियों को, जो हर समय टी० बी० की बीमारी का मुकाबला करते हैं, पहाड़ों के अन्य स्थानों की तरह हिल एलाउन्स या कम्पन्सेटरी एलाउन्स, जिसको फाइनेन्स डिपार्टमेंट मंजूर कर चुका है, उसे देने की कृपा करेगी?

श्री बनारसीदास--यह ऐसा है कि हमने पूछा था अपने देश के और प्रदेशों से तो वहां पर इस प्रकार का कोई एलाउन्स नहीं दिया जा सकता है इसलिये कि प्रेसिडेंस का सवाल पैदा होता है। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट के दूसरे विभाग हैं। यदि यहां पर यह सुविधा देते हैं तो दूसरे विभाग के कर्मचारियों को भी देना पड़ेगा। इसलिये वित्तीय विभाग को आपत्ति थी, और अन्त में गवर्नमेंट का यह निर्णय हुआ कि यह सुविधा नहीं दी जा सकती।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार वार्ड ब्वायज बैरक्स के निम्न कर्मचारी, जो निम्न श्रेणी के माने जाते हैं, उनको २ रुपये माहवार की वेतन वृद्धि जो पिछले वर्ष देने की घोषणा की गयी थी, देने की कृपा करेगी।

श्री बनारसीदास--यह जो उस वक्त घोषणा की गयी थी यह तमाम सूबे के बारे में एक नीति का सवाल है तो यह सब जगह लागू नहीं होती है।

*१३-१४--**श्री रामेश्वरलाल**--[३१ मई, १९५६ के लिये प्रश्न २०-२१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

लाजपतराय अस्पताल, कानपुर में प्राइवेट वार्ड की आवश्यकता

*१५--**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (जिला कानपुर)--क्या यह सही है कि कुछ वर्ष पूर्व लाजपतराय अस्पताल, कानपुर में दस प्राइवेट कमरे बनाने की योजना थी और कानपुर से नक्शे वगैरह मांग लिये गये थे लेकिन वह बाद में स्थगित कर दी गई? यदि हां, तो उसका क्या कारण था?

श्री बनारसीदास--जी हां, धनाभाव के कारण।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह नकशा और इसकी योजना कानपुर से सरकार के पास कब आयी?

श्री बनारसीदास--यह तो जैसा बतलाया गया सन् १९४८ में यह प्रश्न था कि वहां पर कुछ शय्या और बढ़ायी जायं। उस वक्त नकशा वगैरा मांगा गया था, लेकिन उस वक्त धनाभाव था इसलिये उसको स्थगित करना पड़ा। लेकिन अब दूसरी पंच-वर्षीय योजना में शय्या बढ़ाने के लिये व्यवस्था की गयी है। तो इसलिये अब आशा की जाती है कि वहां पर शय्या बढ़ जायंगी।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित--तो क्या यह समझा जाय कि अगली पंचवर्षीय योजना में यह वार्ड तैयार हो जायगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अगली पंचवर्षीय योजना में कुछ वार्ड व कुछ बेड्स की संख्या बढ़ेगी। एक योजना जो इस कालेज के नये प्रिंसिपल नियुक्त हुये हैं उन्होंने प्रदेशीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत की है। सरकार उस पर विचार कर रही है। सरकार की यह चेष्टा है कि अस्पतालों में अधिक से अधिक बेड्स बढ़ाये जाकर मरीजों को सुविधा प्रदान की जाय।

*१६--**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित**--[१३ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*१७--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--[१३ जून, १९४६ के लिये स्थगित किया गया।]

पिनहट, जिला आगरा में एलोपैथिक अस्पताल खोलने का आश्वासन

*१८--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार बतायेगी कि कस्बा पिनहट, तहसील बाह, जिला आगरा में जनता की चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है, तथा उसके आस-पास भी कोई अस्पताल दूर तक नहीं है?

श्री बनारसीदास--जी हां।

*१९--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सरकार बतायेगी कि निकट भविष्य में कोई योजना सरकार के पास उक्त स्थान पर अस्पताल के लिये है? यदि हां, तो कब तक वहां अस्पताल खुल जायगा?

श्री बनारसीदास--जी हां, पूर्ण आशा है कि चालू वर्ष में वहां एलोपैथिक चिकित्सालय अवश्य खुल जायेगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस अस्पताल में कितने खर्चे का अनुमान है ?

श्री बनारसीदास--जो हमारे अस्पतालों की निर्धारित धनराशि है उसमें से यहां पर भी खर्च होगी।

इलाहाबाद में दियासलाई के कारखाने की प्रगति

*२०--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगर में जो दियासलाई का कारखाना खोला गया है उसमें कितना सामान तैयार होता है और उसकी प्रगति क्या है ?

श्री बनारसीदास--इस कारखाने द्वारा अब तक २,१७४ ग्रोस दियासलाइयां बनाई गई हैं। लगभग ७५ व्यक्तियों को दियासलाई बनाने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है जो इस व्यवसाय द्वारा अपनी जीविका कमा रहे हैं।

श्री कल्याण चन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस पर जो खर्चा होता है उसमें से केन्द्रीय सरकार कितना देती है और प्रदेशीय सरकार कितना देती है ?

श्री बनारसीदास--वह सभी व्यय जो उसकी स्थापना पर हुआ है, केन्द्रीय सरकार द्वारा ही दिया गया है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--इसमें अभी तक कितना व्यय हुआ और कितनी आमदनी हुई ?

श्री बनारसीदास--केन्द्रीय सरकार ने इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी को १,७७,००० रुपया स्वीकृत किया था। उसमें इरादा यह था कि २१ डी० क्लास फैक्टरीज कायम की जायं। इनमें से दो कायम होकर काम शुरू कर चुकी हैं, २ की स्थापना हो चुकी है और आशा की जाती है कि और भी शीघ्र ही स्थापित की जा सकेंगी और उन पर यह सारा रुपया व्यय किया जायगा।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह कारखाने उत्पादन के लिये खोले गये हैं या शिक्षण के लिये ?

श्री बनारसीदास--दोनों कामों के लिये खोले गये हैं, पहले शिक्षण होगा फिर उत्पादन होगा।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)-- क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसमें ट्रेनिंग के लिये जो लोग लिये जाते हैं उनकी क्या योग्यता रखी गयी है ?

श्री बनारसीदास--तालीमी योग्यता तो कुछ है नहीं। जो लोग इस कार्य के लिये अभिरुचि रखते हैं उन सभी को ट्रेनिंग दी जाती है। ज्यादा बड़ी टेक्नीकल ट्रेनिंग है भी नहीं। उसको सभी लोग सीख कर काम कर सकते हैं।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार दियासलाई का उत्पादन बढ़ाने की चेष्टा कर रही है ?

श्री बनारसीदास--अभी यह बताया गया कि यह कार्य सन् ५५ में शुरू किया गया था। पहले ट्रेनिंग दी गयी, दो सेंटर्स कायम किये गये, फिर दो और कायम किये गये जिनमें अभी उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। बहुत जल्द ऐसी आशा की जाती है कि १७ और सेंटर्स कायम करने वाले हैं। तब उत्पादन बढ़ जायगा।

श्री शिवनाथ काटजू--क्या सरकार बतायेगी कि इस कारखाने में जो दियासलाई तैयार होती है वह बाजार के भाव से सस्ती पड़ती है ?

श्री बनारसीदास--हम २१ कारखाने खोलना चाहते थे, अभी तक ४ खुले हैं। स्टेब्लिशमेंट और दूसरे सारे खर्चे ज्यादा हो जाने की वजह से बाजार भाव से वह कुछ तेज पड़ती है। जब २१ फैक्टरियां कायम हो जायंगी उस वक्त बाजार भाव के करीब-करीब ही पड़ेंगी और कुछ लाभ भी होगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां जो माल तैयार हुआ वह किस मार्केट में बेंचा गया ?

श्री बनारसीदास--यह तो मुझे मालूम नहीं किस बाजार में बेंचा गया। यदि माननीय सदस्य पहले से इस चीज को पूछलेते तो मालूम करके बता देता।

श्री तेजप्रताप सिंह--क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात का पता लगाया है कि इस प्रकार से दियासलाई बना कर, प्रति व्यक्ति कितना कमा लेता है ?

श्री बनारसीदास--अभी यह कहना थोड़ा समय से पूर्व होगा क्योंकि अभी प्रोडक्शन शुरू ही हुआ है, लोग अभी काम सीखे ही हैं। ५-६ महीने के बाद यह कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति को औसतन कितनी कमाई होती है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो दियासलाई यहां तैयार होती है उसका नाम क्या है ?

श्री बनारसीदास--नामकरण तो उसका कोई खास नहीं हुआ है।

श्री रामेश्वरलाल--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दियासलाई इलाहाबाद में बनती है वह हर प्रकार के करों से मुक्त है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जहां तक प्रदेशीय सेल्स टैक्स का सवाल है उससे तो वह मुक्त है, लेकिन उस पर केन्द्रीय सरकार की एक्साइज ड्यूटी पड़ती है।

राज्य में साइकिल बनाने के कारखाने

*२१--श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय प्रदेश के किन स्थानों में साइकिल बनाने के कारखाने हैं और उन कारखानों में सरकारी पूंजी कितनी लगी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस प्रदेश में साइकिल उद्योग के मुख्य केन्द्र कानपुर, बनारस, लखनऊ, रामपुर, आगरा तथा इलाहाबाद हैं। बनारस, लखनऊ, रामपुर, आगरा में स्थित चार कारखानों को केन्द्रीय सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर साइकिल निर्माण करने के लाइसेंस मिले हुए हैं। इसमें केवल रामपुर के कारखाने में जो एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है, इस प्रदेशीय सरकार के १,००,००० रुपये के हिस्से हैं।

मनिअर टाउन एरिया, जिला बलिया में एलोपैथिक अस्पताल खोलने का विचार

*२२--श्री बैजनाथप्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार निकट भविष्य में मनिअर टाउन एरिया (बलिया) में एलोपैथिक अस्पताल न होने की कमी दूर करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यहां पर एक सहायता प्राप्त डाक्टर काम करता है। यदि स्थानीय नियोजन समिति और जिला चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति सिफारिश करेगी और उचित भवन चिकित्सालय और कर्मचारियों के लिये उपलब्ध होगा तो सरकारी चिकित्सालय खोलने पर विचार किया जायेगा ।

इलाहाबाद जिले के ग्राम उद्योग केन्द्र

*२३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में ग्राम उद्योग के लिये उसने कितने सेन्टर बनाये हैं ?

श्री बनारसीदास—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है। एकत्र होने पर माननीय सदस्य को भेज दी जायगी ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि इलाहाबाद जिले में इस प्रकार का एक भी सेन्टर नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—वह कह रहे हैं कि अभी मालूमात कर रहे हैं, जब उनको अभी मालूम ही नहीं तो वह कैसे बतलायेंगे ।

इलाहाबाद जिले में राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्रों पर व्यय

*२४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिल में राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र खोलने के लिये कितना रुपया अब तक व्यय हो चुका है और उसमें क्या काम हुआ है ?

नियोजन उप-मंत्री (श्री फूलसिंह)—इलाहाबाद जिले के राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षत्रों में ३१ मार्च, १९५६ तक ८,०५,५१९ रु० ६ आ० व्यय हुआ है। इन क्षेत्रों में क्या-क्या काम हुए हैं—इसका प्रत्येक क्षेत्र के लिए अगल-अलग विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४०–२२५ पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मन्त्री महोदय कृपया बतायेंगे कि पेज ३ पर आइटम १० में जो रकम गांव वालों ने दान में दी है, वह नकद दी है या किसी दूसरे रूप में दी है ?

श्री फूलसिंह—यह तो ब्योरे का प्रश्न है, माननीय सदस्य यह चीज प्लानिंग कमेटी में आसानी से मालूम कर सकेंगे ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—अध्यक्ष महोदय, पेज ३ पर कुछ फिगर दी हुई हैं कि गांव वालों ने दान दिया है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह रुपया नकद दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—वह उन को मालूम नहीं है, क्योंकि वह एक लम्बी लिस्ट है । इस वक्त वह उसमें से नहीं बता सकेंगे, यही उन्होंने कहा है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि प्रत्येक सेक्टर में अलग-अलग कितना व्यय हुआ है ?

श्री फूलसिंह—कोरांव में २,६६,७७२ रुपया १ आना ३ पाई, छैलखास में २,५१,८९० रुपया १३ आना ६ पाई, कढ़ा में १,६४,६७६ रुपये ३ पाई, बहादुरपुर में ६०,२१२ रुपया ३ आना ६ पाई और करछना में ६१,९६८ रुपया ३ आना ६ पाई ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि आइटम नं० ८ पर जो स्कूल खोले गये हैं उसमें दिखाया गया है कि ४० स्कूल खोले गये और केवल १०७ आदमियों ने शिक्षा पायी है । तो इन स्कूलों पर कितना खर्चा हुआ ?

श्री फूलसिंह--मैं इसके लिए नोटिस चाहूंगा क्योंकि बहुत ब्योरे की बातें हैं। जब तक नोटिस न हो मैं बतला नहीं सकता।

मद्यनिषेध अधिकारियों को समाजोत्थान संबंधी कार्य करने के लिये सुझाव

*२५--**श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य के आबकारी सम्बन्धी जुर्मों के लिए कुख्यात क्षेत्रों में समाजोत्थान के लिए सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--मद्यनिषेध अधिकारी ऐसे क्षेत्रों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखकर अपना कार्यक्रम निश्चित करते हैं।

*२६--**श्री बाबूनन्दन**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किस-किस श्रेणी के सेवक मद्य-निषेध विभाग में समाजोत्थान कार्य के लिए कब से रक्खे गये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--(१) मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी १९४८ से।

(२) मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान आर्गनाइजर १९५० से।

(३) अवैतनिक प्रचारक १९४८ से।

*२७--**श्री बाबूनन्दन**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मद्य-निषेध विभाग में समाजोत्थान के लिए महिलायें क्यों नहीं प्रचार इत्यादि के लिए रक्खी गयीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--मद्यपान का व्यसन स्त्रियों में कम है, इस कारण महिलाओं की नियुक्ति इस कार्य के लिए नहीं की गयी।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मद्य-निषेध अधिकारी ऐसे छोटे-छोटे क्षेत्रों की आवश्यकता को देखते हुए किस आधार पर कार्यक्रम निर्धारित करते हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जिन क्षेत्रों में अधिक संख्या में लोग मादक द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं उन्हीं क्षेत्रों में ये मादकद्रव्य निषेध अधिकारी अपना कार्यक्रम बनाते हैं, और उन्हीं क्षेत्रों में वे इस सम्बन्ध में प्रचार का कार्य करते हैं।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने क्षेत्रों में अभी तक इस तरह की सफलता प्राप्त हुई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--अब तक इस तरह कितनी सफलता प्राप्त हुई उसकी तो मेरे पास कोई सूचना नहीं है। अगर माननीय सदस्य उसके लिए सूचना देंगे तो उनको वह सूचना दे दी जायगी।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य में आबकारी सम्बन्धी जुर्मों के कुख्यात क्षेत्र कौन-कौन से हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन दोनों प्रकार के अधिकारियों का जिक्र है, उनके कार्यों की प्रगति के बारे में वार्षिक रिपोर्ट सरकार के पास आती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--अधिकारी नियमानुसार अपनी रिपोर्ट विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजते होंगे, लेकिन उस रिपोर्ट के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने पूछा नहीं है, इसलिए मैं बतला नहीं सकता कि कहां तक प्रगति हुई है ?

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि कुख्यात क्षेत्र अधिकतर जौनपुर जिले में है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के पड़ोसी जिले आजमगढ़ में कुछ स्त्रियां शराब बनाती हैं, इसलिए महिलाओं की तरक्की के हेतु सरकार महिलायें नियुक्त करने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---अगर इस प्रकार से माननीय सदस्य सरकार को लिखकर भेजेंगे कि वहां महिलाओं में भी मद्य सेवन की प्रथा या मद्य बनाने की प्रथा है, तो उस पर सरकार विचार करेगी ।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि बहुत से ऐसे व्यापारी जो मादक द्रव्यों की बिक्री करते हैं, सिनेमागृहों आदि में भी यह प्रचार करते हैं कि इन मादक द्रव्यों के सेवन से जनता के स्वास्थ्य को लाभ होगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इसकी तो कोई सूचना मुझे नहीं है ।

मद्य-निषेध संयम समितियों का उद्देश्य

*२८---**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मद्य-निषेध सम्बन्धित संयम समितियों का प्रचार-कार्य क्या है ?

मादक-कर मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---मद्यनिषेध संयम समितियां प्राइवेट संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य राज्य के उन जिलों में मद्यनिषेध प्रचार करना है जो शुष्क नहीं हैं । वे सरकार को संयम सम्बन्धी कार्यों के विषय में समय-समय पर सुझाव भी देती हैं ।

उद्योग-धंधों को बढ़ाने वाले साधनों के संबंध में जानकारी

*२९---**श्री रामहेत सिंह** (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)---क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का विकास कहां-कहां, किस-किस जिले में किया जायेगा ? क्या इस योजना के अन्तर्गत मथुरा जिले की तहसील छाता भी है ?

*३०---क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक परामर्श दाताओं के रूप में कार्य करने वाले विदेशी विशेषज्ञों पर सरकार कितना व्यय कर रही है तथा इस वित्तीय वर्ष, १९५६-५७ में यह धनराशि कितनी होगी ?

*३१---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देहातों में काम आने वाली वस्तुओं (विशेषकर कृषि से सम्बन्धित) को दस्तकारी के रूप में सिखाने के लिए शिक्षण केन्द्र देहाती क्षेत्रों में खोलने की तथा सिखाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वांछित सूचना एकत्र की जा रही है । एकत्र होने पर माननीय सदस्य को भेज दी जायगी ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गाजीपुर जिले के लिए उद्योग-धंधे

*३२---**श्री कमलासिंह** (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन छोटे तथा बड़े उद्योग गाजीपुर जिले में खोलने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वांछित सूचना एकत्र हो रही है और एकत्र होने पर माननीय सदस्य को भेज दी जायगी ।

सुमेरपुर राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड की इमारतों तथा चर्खा केन्द्रों के संबंध में जानकारी

*३३—**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुमेरपुर राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड की इमारतों का बनाना कब तक आरम्भ होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, सुमेरपुर की इमारतों का बनना मई, १९५६ में आरम्भ होगा।

*३४—**श्री देवदत्त मिश्र** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन्नाव जिले में कितने सरकारी चर्खा केन्द्र कहां-कहां हैं ?

*३५—क्या सरकार सुमेरपुर राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड के अन्तर्गत जगतपुर, भगवन्त-नगर और सुमेरपुर तथा बीघापुर शेडों, ब्लाक के अन्तर्गत घाटमपुर बारा, बीघापुर और मगरायर गांवों में सरकारी चर्खा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है, और एकत्र होने पर माननीय सदस्य को भेज दी जायगी।

बस्ती जिले के राष्ट्रीय सेवा प्रसार खंड

*३६—**श्री धनुषधारी पांडेय** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में कितने N.E.S. Blocks हैं, और ये कब खोले गये हैं; तथा इनमें कौन से विकास संबंधी काम अब तक हुये हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बस्ती जिले में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड दो हैं। एक मनवापुर में २ अक्टूबर, १९५३ को खुला था, और दूसरा धनघटा में २६ जनवरी, १९५५ को खोला गया था। इन खण्डों में ३१ मार्च, १९५६ तक किये गये मुख्य विकास-कार्यों की तालिका माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २४६ पर)

*३७—**श्री धनुषधारी पांडेय** (अनुपस्थित)—क्या नियोजन मन्त्री यह बतायेंगे कि इन Blocks का निरीक्षण किसी अधिकारी ने अब तक किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इन खण्डों का निरीक्षण, समय-समय पर उत्तरदायी अधिकारी-वर्ग द्वारा होता है।

जौनपुर जिले में कुटीर उद्योग संबंधी योजना

*३८—**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने कुटीर उद्योग कहां खुल रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जौनपुर जिले में दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में कुटीर उद्योग संबंधी निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत औद्योगिक विकास करने का आयोजन है:

(१) सुगंधित तेल योजना,
(२) चर्मकला एवं चर्मशोधन विकास योजना,
(३) ताड़गुड़ एवं गुड़ विकास योजना,
(४) पिछड़े एवं अविकसित औद्योगिक क्षेत्र योजना,

(५) खादी विकास योजना,
(६) औद्योगिक शिक्षालय योजना,
(७) औद्योगिक सहकारिता योजना ।

जिले में इन योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रों के खुलने के स्थानों का निर्णय जिला नियोजन समिति द्वारा किया जायगा ।

देवरिया जिले में चर्खा सिखाने वालों का वेतन

*३९—श्री रामेश्वरलाल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया जिला में कुल कितने कर्मचारी चर्खा केन्द्रों पर ट्रेनर का काम करते हैं, और उन्हें क्या वेतन दिया जाता है ?

श्री बनारसी दास—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है । एकत्र होने पर माननीय सदस्य को भेज दी जायगी ।

श्री रामेश्वरलाल—क्या यह सही है कि जो ट्रेनर बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में चर्खे आदि की ट्रेनिंग दिया करते हैं उनको २५ रुपया केवल तनख्वाह दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष—इसके ऊपर तो उनको वांछित सूचना मिली ही नहीं है । तो आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं ।

*४०—श्री राजवंशी (जिला देवरिया)—[१३ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४१-४२—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—[१३ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४३—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—[१३ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४४—श्री बाबूनन्दन—[३० मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया]

राजकीय सहायता प्राप्त व्यायामशालायें

*४५—श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान समय में प्रदेश में कुल कितनी राजकीय सहायता प्राप्त व्यायामशालाएं कहां-कहां पर हैं ?

श्री फूलसिंह—वर्तमान समय में राजकीय सहायता प्राप्त निम्नलिखित व्यायाम शालायें हैं:

(१) काशी व्यायामशाला, बनारस,
(२) आदर्श व्यायामशाला, कानपुर,
(३) महिला व्यायामशाला, कानपुर,
(४) श्री लक्ष्मी व्यायाम मन्दिर, झांसी ।

इसके अतिरिक्त १२ जिलों में प्रत्येक में दो व्यायामशालाओं के अनुसार २४ व्यायाम-शालायें हैं, उनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २४७ पर ।)

*४६—श्री रणंजयसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की अनुकम्पा करेगी कि पूर्व घोषणानुसार राज्य के प्रत्येक जिले में कब तक दो-दो व्यायामशालायें खुल जाने का अनुमान है ?

श्री फूलसिंह—धीर-धीरे शेष जिलों में भी व्यायामशालायें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। समय का अनुमान लगाना कठिन है।

*४७—श्री रणंजयसिंह—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि प्रदेश में कहां कितने व्यायाम शिक्षालय हैं, उनमें कितने शिक्षक हैं तथा कितने शिक्षार्थी ?

श्री फूलसिंह—प्रदेश में सरकारी व्यय से जो २४ व्यायामशालायें चल रही हैं उनमें व्यायाम शिक्षालय भी हैं। प्रत्येक जिले में एक शिक्षक भी है। शिक्षार्थियों की संख्या ६१० है।

श्री रणंजयसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन व्यायामशालाओं में कौन-कौन से व्यायाम सिखाये जाते हैं, और शिक्षकों को कम से कम और अधिक से अधिक कितना वेतन दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष—यह किस प्रश्न से संबंधित है ?

श्री रणंजयसिंह—प्रश्न ४७ से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष—आपने तो यह पूछा है कि कितने शिक्षक हैं। लेकिन आप अब कोर्स पूछ रहे हैं, कोर्स के लिए मैं इजाजत नहीं दूंगा। यह नया प्रश्न है।

श्री रणंजयसिंह—इसमें शिक्षकों को कम से कम और अधिक से अधिक कितना वेतन दिया जाता है ?

श्री फूलसिंह—वेतन की सूचना मेरे पास नहीं है। अगर माननीय सदस्य नोटिस देंगे तो बता सकूंगा।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि राज्य में केवल तीन चार हीं व्यायामशालाओं को क्यों राजकीय सहायता दी गयी है ?

श्री फूलसिंह—असल में कोशिश यह की जा रही है कि हर जिले में व्यायामशालाएं हो जायं। लेकिन जो पहले से व्यायामशालाएं चल रही थीं, हम इनको सहायता देते हैं। वैसे हर जिले में व्यायामशालाएं खुल रही हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन किन जिलों में व्यायाम विद्यालय हैं ?

श्री फूलसिंह—पंद्रह जिलों में हैं—आजमगढ़, गोरखपुर, गाजीपुर, फैजाबाद, पीलीभीत, जालौन, बुरलन्दशहर, मथुरा, बरेली, नैनीताल, मेरठ, सहारनपुर। और तीन जिले और हैं—आगरा, सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन-कौन व्यायामशालाएं हैं जहां पर सरकार सहायता देती है और कितनी-कितनी सहायता देती है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने प्रश्न ४५ के उत्तर में सहायता देने वालों के नाम बता दिये थे।

श्री शिवनाथ काटजू—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करेंगे कि इन पन्द्रह जिलों के अतिरिक्त भी और जिलों में ऐसी व्यायामशालाएं हैं जिनको सरकार को सहायता देनी चाहिए ?

श्री फूलसिंह---हर जिले में प्लानिंग कमेटी के पास पैसा है । उससे वह और व्यायामशालाओं को सहायता देती है । पर जो योजना यहां से स्वीकृत हुई थी उसमें दो व्यायामशालाएं हर जिले में खोलने का विचार है, एक शहर में और एक देहात में ।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि व्यायाम-शालाओं के अतिरिक्त व्यायाम विद्यालय भी कहीं हैं ?

श्री फूलसिंह---उन व्यायामशालाओं में शिक्षा दी जाती है ।

श्री रणंजयसिंह---क्या सरकार भारत की प्राचीन मल्ल-विद्या की शिक्षा के लिये कोई अच्छा पहलवान भी रखने का विचार कर रही है ?

श्री फूलसिंह---माननीय सदस्य की सहायता की आवश्यकता है ।

श्री शिवनाथ काटजू---क्या सरकार को विदित है कि बाजे जिलों में पहले से ही व्यायामशालायें हैं लेकिन उनको सहायता की आवश्यकता है । तो इन व्यायाम-शालाओं को सरकार सहायता देने का विचार कर रही है ?

श्री फूलसिंह---यह तो मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि जिला प्लानिंग कमेटी उनकी सहायता कर सकती है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के श्री नागर ने माननीय नियोजन मंत्री को कोई योजना दी है व्यायामशाला के सम्बन्ध में ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हां, उन्होंने एक योजना दी है उस योजना के तहत में एक कालेज आफ फिजीकल एजूकेशन वह स्थापित करना चाहते हैं और वह योजना काफी लम्बी चौड़ी है उसके लिये काफी धनराशि की आवश्यकता है । वह द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की तहत में नहीं रखी गई है और न इस वर्ष की योजना के तहत में रखी गई है । तो इसलिये यह विभिन्न विभागों के पास जायगी और खासकर शिक्षा विभाग के पास, क्योंकि उससे इसका अधिक सम्बन्ध है और तब कोई निर्णय उसके विषय में हम ले सकेंगे ।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)---क्या सरकार बतायेगी कि जिन व्यायामशालाओं को सरकारी सहायता प्राप्त है क्या सरकार उन पर कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण भी रखती है, उनके प्रबन्ध पर ?

श्री फूलसिंह---जी हां, उनके एकाउन्ट्स वगैरह चेक कराती है और कमेटी में प्लानिंग आफिसर या किसी और अफसर को रखने की चेष्टा की जाती है ।

श्री नारायण दास (जिला फैजाबाद)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन व्यायामशालाओं में धनुर्विद्या और बन्दूक चलाने की भी शिक्षा का प्रबन्ध है ? यदि नहीं, तो क्या ऐसा विचार रखती है सरकार ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जहां तक इन व्यायामशालाओं का सम्बन्ध है वहां बन्दूक चलाने की शिक्षा तो दी नहीं जाती है । हां, बन्दूक चलाने की शिक्षा उन संस्थाओं में दी जाती है जो कि इसी कार्य के लिये जगह-जगह पर नान-आफिशियल और आफिशियल एजेन्सीज की तहत में चली हैं । लेकिन दूसरी बात जो है उसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है कि धनुर्विद्या की भी शिक्षा इन संस्थाओं में दी जाती है । कसरत इत्यादि के जितने कार्य हैं उनके लिये इन अखाड़ों में शिक्षा लोगों को दी जाती है और मिलती है ।

अलीगढ़ में महिला औद्योगिक शिक्षण केन्द्र खोलने के लिए दान

*४८—श्री श्रीनिवास (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि अलीगढ़ शहर के एक दानी सज्जन ने अलीगढ़ में एक महिला औद्योगिक शिक्षण केन्द्र खोलने के हेतु सरकार को एक लाख रुपया नकद, तथा भवन के हेतु उपयुक्त भूमि देने को कहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*४९—श्री श्रीनिवास (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस सम्बन्ध में वह क्या कार्यवाही कर रही है और यह केन्द्र कब तक खुल जायेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रदेश में कुछ औद्योगिक शिक्षण केन्द्र खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है, परन्तु इस सम्बन्ध में निश्चित कदम राज्य सरकार तभी उठा सकेगी जब कि भारत सरकार से पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ऐसे नये शिक्षण केन्द्र खोलने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी।

गोंडा जिले के सदर अस्पताल में चहारदीवारी तथा डाक्टर का क्वार्टर न होना

*५०—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि गोंडा जिले का सदर अस्पताल जिसको बने चार साल हो चुका, अभी तक उसमें डाक्टर का क्वार्टर तथा चहारदीवारी नहीं बन सकी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, जहां तक डाक्टर के क्वार्टरों का सम्बन्ध है दो डाक्टरों में से केवल एक, अर्थात् सब चार्ज के लिये क्वार्टर अस्पताल में मौजूद है। चहारदिवारी अभी नहीं बनी है।

*५१—श्री बलदेव सिंह (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि डाक्टर का क्वार्टर दूर रहने के कारण अचानक पीड़ा बढ़ जाने पर रोगी डाक्टर का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो सरकार उक्त अस्पताल में डाक्टर का क्वार्टर तथा चहारदिवारी बनाने का कष्ट करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, यह ठीक नहीं है कि मेडिकल आफिसर इंचार्ज के क्वार्टर के दूर होने के कारण रोगी अचानक पीड़ा बढ़ जाने पर उनसे लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। सब चार्ज क्वार्टर के अस्पताल के कम्पाउन्ड में ही रहने की वजह से रोगियों को तुरन्त सहायता पहुंचाई जाती है, और यदि मेडिकल आफिसर इंचार्ज की आवश्यकता होती है तो उनको टेलीफोन द्वारा बुला लिया जाता है और रोगी के उपचार की उचित व्यवस्था कर दी जाती है। मेडिकल आफिसर के लिये क्वार्टर तथा चहारदिवारी बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

बांदा जिले के चिकित्सालय

*५२—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बांदा जिले में कितने राजकीय एलोपैथिक (महिला तथा अन्य) अस्पताल तथा कितने आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक औषधालय हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

एलोपैथिक जनाना	..	२
एलोपैथिक मर्दाना	..	७
आयुर्वेदिक ..	..	८
यूनानी ..	..	१
होम्योपैथिक	..	०
कुल ..		१८

श्री जगपति सिंह--क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि गत वर्ष मैंने प्रश्नों में उत्तर मांगा था कुछ स्थानों में अस्पताल खोलने का । मंत्री जी ने वायदा किया था। तो अब तक न खुलने का कारण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--आपने एक पत्र जरूर दिया था जिसमें ऐसी आशा प्रकट की थी कि आपके क्षेत्र में एक अस्पताल खुल जाय। तो जितने भी पत्र आते हैं जब हम अस्पताल खोलने के विषय में निर्णय लेते हैं, उन सारे पत्रों पर विचार करते हैं। विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का जानकारी की बुनियाद पर निर्णय करते हैं कि अस्पताल कहां खोलना चाहिये और उस जानकारी में से सब से बड़ा प्रश्न यह होता है कि आया जहां-जहां अस्पताल खोलने का निर्णय किया जाय वहां शीघ्र ही अस्पताल के खोलने के लिये स्थान भी मिल सकेगा। अक्सर ऐसी जगहों से पत्र आते हैं जहां स्थान अस्पताल के खोलने का नहीं होता है। तो उस साल फिर उस स्थान के हक में अस्पताल खोलने का निर्णय नहीं ले पाते। मैं इतना ही इस वक्त निवेदन कर सकता हूं। आपने अवश्य अपने क्षेत्र में एक अस्पताल खुलवाने की मांग उस पत्र के द्वारा की थी जिसकी ओर आपने इशारा किया ।

श्री जगपति सिंह--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मैंने जिन-जिन स्थानों के नाम सुझाये थे उन स्थानों में महत्वपूर्ण स्थान रेलवे स्टेशन तथा थाना आदि हैं, और वह अस्पताल खोलने के योग्य हैं और वहां स्थान भी मिल सकते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अब इन पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष में विभिन्न स्थानों पर अस्पताल खुलेंगे, कितनी-कितनी संख्या में अस्पताल खुलेंगे उनकी सूची जिला नियोजन समितियों को भेज दी गई है और उनसे ऐसी आशा की जाती है कि वे जहां अस्पताल खुलवाना चाहती हैं उन स्थानों के विषय में प्राथमिकता इत्यादि देकर सरकार के पास अपने सुझाव भेजेंगी।

बांदा जिले के औषधालयों को सहायता

*५३--श्री जगपति सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बांदा के औषधालयों को सरकार की ओर से कितनी-कितनी और कौन-कौन सहायतायें दी जाती हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जिला बोर्ड के चिकित्सालय

एलोपैथिक--

		रु०	
(१) करवी चिकित्सालय	..	१,४००	वार्षिक आवर्त्तक
(२) अतरी चिकित्सालय	..	३००	
(३) नरैनी चिकित्सालय	..	४००	
(४) राजापुर चिकित्सालय	..	४५०	

आयुर्वेदिक--

(१) पैलानी, १९५५-५६ में	..	६०८	वार्षिक

निजी चिकित्सालय--

श्री धन्वन्तरि औषधालय पीलीकोठी, चित्रकूट
१९५५-५६ में .. ३०० वार्षिक

श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--करवी बांदा जिले का सब-डिवीजन तथा चित्रकूट के नजदीक होने के कारण क्या सरकार वहां पर एलोपैथिक अस्पताल खोलने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––मैंने उत्तर में अभी यह निवेदन कर दिया कि कितनी संख्या में अस्पताल किस-किस जिले में खुलेंगे इसकी जिला नियोजन समितियों को सूची भेज दी गयी है और जिला नियोजन समितियों को स्थानों के निर्णय के विषय में अधिकार प्रदान किया गया है। यदि करवी के चिकित्सालय के विषय में नियोजन समिति की सिफारिश आयेगी तो अवश्य ही उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा और अस्पताल खोलने का प्रबन्ध किया जायगा।

श्री जगपति सिंह––क्या सरकार को ज्ञात है कि करवी में पहले से अस्पताल है और वह बोर्ड के अधीन है जिसमें बहुत कम दवा मिलती है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, यहां अपनी ओर से अस्पताल करने की वह कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य––करवी में जो जिला बोर्ड का अस्पताल है अगर जिला बोर्ड उसके प्रान्तीयकरण के लिए सरकार से प्रस्ताव करेगा तो उस पर सरकार विचार करेगी।

*५४––श्री गंगाप्रसाद सिंह––[३० मई, १९५६ के लिए स्थगित किया गया।]

गोंडा जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खुलने वाले चिकित्सालय

*५५––श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन स्थानों पर अस्पताल, डिस्पेन्सरी और आयुर्वेदीय औषधालय और होमियोपैथिक तथा जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने जा रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य––द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गोंडा जिले में सरकार का विचार ५ पुरुष एलोपैथिक चिकित्सालय, १ एलोपैथिक स्त्री चिकित्सालय और १ आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने का है। इसके अतिरिक्त १५ जच्चा-बच्चा केन्द्र भी खोले जायेंगे। स्थानों का निश्चय अभी नहीं हुआ है। कोई सरकारी होमियोपैथिक औषधालय खोलने की योजना नहीं है।

श्री गंगाप्रसाद––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के क्षेत्रफल और जन-संख्या को देखते हुए और सरकारी नीति, घोषित नीति, जो पांच वर्ग मील के अन्दर एक अस्पताल खोलने की है, उसको देखते हुए यह संख्या कम है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––हो सकता है कि यह संख्या कम हो, क्योंकि अभी जितने अस्पताल हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत में खोलने का निश्चय किया है वह प्रदेश की सारी जन-संख्या की आवश्यकताओं को, उस नीति को सामने रखते हुए कि ५ मील के दायरे में अस्पताल खुलेंगे, पूरा नहीं करते हैं।

श्री गंगाप्रसाद––तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो जनता ५ मील से कम के दायरे में है, जहां अभी तक अस्पताल नहीं खुले हैं और घोषित नीति के अनुसार भी भविष्य में खुलने की आशा नहीं है, तो क्या वहां की जनता की सुविधा के लिए कोई अस्पताल खोलने का विचार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––इन पंचवर्षीय योजनाओं के तहत में हमारा ऐसा विचार है कि हम प्रदेश के विभिन्न भागों में ५ मील के दायरे में अस्पताल स्थापित कर दें और अब भी जिलों में जो अस्पताल स्थापित करते हैं वह इस बात को विचार में रख कर करते हैं कि ५ मील के दायरे में किसी स्थान पर स्थापित हो जाय। ऐसा करने पर भी ऐसे बहुत से स्थान प्रदेश में बाकी रह जायेंगे जो इस नीति के तहत में अस्पताल प्राप्त न कर सकें।

*५६-५७––श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)––[१३ जून, १९५६ के लिए स्थगित किये गये।]

नियोजन विभाग से नगरपालिकाओं को सहायता न मिलना

*५८—श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या यह सच है कि सरकार ने प्लानिंग विभाग द्वारा नगरपालिकाओं को भी सहायता देने की आज्ञा दे दी है ?

श्री फूलसिंह—जी नहीं।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या यह सही है कि कोई शख्स कोई दरख्वास्त प्लानिंग कमेटी को सहायता के लिए दे और वह नियमों के मातहत हो तो वह सिर्फ इस वजह से खारिज नहीं की जायगी कि वह नगरपालिका का रहने वाला नहीं है ?

श्री फूलसिंह—प्रायः प्लानिंग कमेटी व्यक्तियों की सहायता नहीं करती, संस्थाओं की सहायता करती है।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी पर चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड भी मेम्बर होते हैं ?

श्री फूलसिंह—जी हां।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या यह भी सही है कि जो हमारा प्लान है वह देहाती और शहरी दोनों रकबों के लिए बनायी गई है ?

श्री अध्यक्ष—आप पूरा सवाल कर दें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री सुल्तान आलम खां—जब हमारा प्लान देहाती और शहरी रकबे के लिए बनाया गया है, उसमें ऐसी कमी क्यों है कि म्युनिसिपैलिटी के अन्दर उसके मातहत सहायता नहीं दी जाती ?

श्री फूलसिंह—जहां तक प्लान का सम्बन्ध है वह तमाम जिले के लिए है और जहां तक इसके रुपये का सम्बन्ध है वह देहात में ही सर्फ होगा।

दोहरीघाट पम्प नहर के लिए खेतों से मिट्टी लेना

*५९—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि जिलाधीश आजमगढ़ ने जिले के उन खेतिहरों को जिनके खेतों में से मिट्टी लेकर दोहरीघाट पम्प नहर बनायी जा रही है, ऐसा आश्वासन दिया है कि उनको खेतों की उर्वरा शक्ति को पुनः पहले ऐसी स्थिति में लाने के लिए सरकार की ओर से मुफ्त रासायनिक खाद वितरित की जायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नहीं। ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।

*६०—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि अब तक कितने खेतिहरों को इस प्रकार की मुफ्त खाद दी गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता।

*६१—श्री व्रजविहारी मिश्र—[१३ जून, १९५६ के लिए स्थगित किया गया।]

*६२-६४—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—[स्थगित किये गये।]

श्री अध्यक्ष—(श्री नारायण दत्त तिवारी से) यह आपने लिख कर दिया है अपनी ओर से या श्री गेंदासिंह ने आपसे लिखकर देने को कहा था ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—उन्होंने मुझ से लिख कर देने को कहा था।

श्री अध्यक्ष---इसको मीटिंग से पहले, ११ बजे के पहले भेजना चाहिए था और उनको स्वयं लिखना चाहिए था। उन प्रश्नों को मैं पोस्टपोन किये देता हूं अगले सप्ताह के लिए इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है ? इनको अगले हफ्ते में ले लिया जाय।

*६५-६६---श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---[३० मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*६७---श्री हरिप्रसाद (जिला मेरठ)---[६ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिले में प्रसूतिगृह तथा शिशु-कल्याण केन्द्र बढ़ाने का विचार

*६८---श्री व्रजविहारी मिश्र---क्या निकट भविष्य में सराकार आजमगढ़ जिले में प्रसूति तथा शिशु-कल्याण केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने का विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां।

श्री व्रजविहारी मिश्र---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अब तक आजमगढ़ जिले में कितने प्रसूति-गृह और कितने शिशु-कल्याण केन्द्र काम कर रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इस समय आजमगढ़ में ९ शिशु-कल्याण केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

श्री व्रजविहारी मिश्र---इस संख्या में वृद्धि करने का कब तक सरकार विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---वृद्धि करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री व्रजविहारी मिश्र---प्रश्न हमारा है कि कब तक विचार कर रही है इस संख्या में वृद्धि करने का ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में सरकार विचार कर रही है।

*६९-७०---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---[६ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

डूही कला, मिर्जापुर में महिला चिकित्सालय के लिए भवन

*७१---श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)---क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि जिला मिर्जापुर चुनार तहसील के डूही कला नामक ग्राम की जनता ने महिला चिकित्सालय के लिये पक्का पोख्ता भव्य भवन निर्माण करा कर चिकित्सालय खोलने के लिये सरकार के पास प्रार्थना-पत्र भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बनारसीदास---जी हां। जिला चिकित्सालय परामर्श दात्री समिति की तथा चिकित्सा संचालक की सिफारिशें मंगाई गई हैं जिनके आने पर आवश्यक कार्यवाही होगी।

श्री राजकुमार शर्मा---क्या सरकार बतायेगी कि जिला चिकित्सालय परामर्श-दात्री समिति और चिकित्सालय संचालक इस डिपार्टमेंट के अलग-अलग आदमी हैं या सम्मिलित हैं ?

(नोट---तारांकित प्रश्न ७१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।)

श्री बनारसी दास---वह तो जब सम्मति जिला परामर्शदात्री को आ जाती है तब उसके बाद में संचालक भी अपनी राय देते हैं ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---यह सूचना कब मंगाई गई ?

श्री बनारसी दास---जब इस प्रश्न का उत्तर आया है उससे पहले ही इसके लिये लिखा जा चुका है ।

*७२-७३---श्री रामसुन्दर पांडेय---[३० मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

मेरठ जिले में समाज कल्याण केन्द्र

*७४---श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मेरठ जिले के अन्तर्गत समाज कल्याण केन्द्र कहां-कहां स्थापित किये गये हैं और उनमें से N. E. S. Blocks में कितने हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मेरठ जिले में समाज-कल्याण केन्द्र निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित हैं:

१---पांचली
२---पेपला
३---शाहपुर जैनपुर
४---शोभापुर
५---पूठी
६---बली तथा
७---चितमाना ।

इनमें से कोई केन्द्र किसी राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र में नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

१-३---श्री कल्याणचन्द मोहिले---[१३ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

४-६---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---[३० मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

तराई भाबर तथा रुहेलखंड डिवीजन में सरकार द्वारा गन्ना पेरने की उचित व्यवस्था न किये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना-(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब मैं माननीय नियोजन मंत्री जी से कमरोको प्रस्ताव के बारे में जानना चाहता हूं कि उस सिलसिले में कुछ बातचीत हुई या नहीं ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, मुझे कल माननीय विरोधी दल के नेता से बातें करने का अवसर मिला और उनसे बातचीत करने के बाद यह तय पाया कि १९ तारीख को चार और पांच बजे के बीच सदन उस प्रस्ताव के ऊपर विचार-विनिमय कर ले। विरोधी दल के नेता का कहना था कि एक घंटे नहीं डेढ़ घंटे का समय होना चाहिये । मैंने उनसे निवेदन किया कि एक घंटे में कार्य समाप्त हो जाय और यदि डेढ़ घंटा ही आवश्यक हो तो अध्यक्ष महोदय यह तय कर दें और चार से साढ़े पांच तक उस दिन हम लोग बैठ जायं और विचार-विनिमय कर लें ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---१९ तारीख को तो सटर्डे है, श्रीमन् ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---श्रीमन्, उस दिन जब बातचीत हुई थी तब इस बात का ज्ञान नहीं था कि १६ तारीख को सैटर्डे है। लेकिन अब मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं यदि सदन के सदस्य को आपत्ति न हो तो हम १६ तारीख को बैठ लें और इस विषय में भी विचार-विनमय करें ।

श्री अध्यक्ष---अगर १६ तारीख को न हो तो क्या आप दूसरा दिन रख सकेंगे ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---तो फिर उसको देखकर ही बताऊंगा ।

श्री अध्यक्ष---यानी आप यह निश्चय करते हैं कि हम एक दिन ऐसा देंगे जिसमें चार बजे के बाद इस विषय पर घंटे या डेढ़ घंटे बातचीत हो जायगी । आप एक घंटे के लिये कहते हैं और विरोधी दल के नेता डेढ़ घंटा चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी दिन विवाद के हेतु देने के लिये आपित्त नहीं है । यह तय है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां, यह तय है ।

श्री अध्यक्ष---तो माननीय नारायणदत्त तिवारी जी, अब इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को आप प्रेस नहीं करेंगे । वह १६ के पहले किस दिन इस पर विवाद होगा तय कर देंगे तो इसे आप प्रेस नहीं करेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---स्टेटमेंट को पढ़ने का मौका आप देंगे ?

श्री अध्यक्ष---उनका स्टेटमेंट जरूर है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मेरा भी स्टेटमेंट है ।

श्री अध्यक्ष---वह सब मौका जो है उस वक्त दे दिया जायगा ।

(एक क्षण ठहर कर)

तो यह सब अनावश्यक सा हो गया ।

अपूर्ण उत्तरों के संबंध में व्यवस्था

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में मुझे एक व्यवस्था लेनी है ।

श्री अध्यक्ष---हां, कहिये ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---अक्सर उत्तर जो दिये जाते हैं उनमें श्रीमन् यह कह दिया जाता है कभी-कभी कि आवश्यक सूचना अभी आयी नहीं और आने पर दी जायगी । तो मैं समझता हूं कि यह उत्तर तो कोई उत्तर नहीं हुआ और ऐसा उत्तर क्यों दिया जाता है, जब सूचना आ जाय तभी दिया जाय ? क्या आप ऐसे उत्तर को पर्याप्त समझते हैं ?

श्री अध्यक्ष---उस सम्बन्ध में नियम यह है कि एक दफा तो वह मुल्तवी करा सकते हैं और दूसरी दफा उनको सदन को बताना पड़ेगा कि किस वजह से वे उत्तर नहीं दे पा रहे हैं । तो इस तरह का उनका उत्तर तो अन्तरिम उत्तर है और उनके बाद जब उसके पास सही जानकारी आ जाय तो फिर दोबारा उत्तर प्रश्नों के दिये जायंगे । यानी अंतरिम उत्तर देने का मतलब यह नहीं है कि उत्तर नहीं दिया जायगा, लेकिन वह इसलिए दिया जाता है जिसमें सदन के सदस्यों को मालूम हो जाय कि गवर्नमेंट के सामने उत्तर देने में क्या दिक्कत है । इसी कारण अंतरिम उत्तर देने का सरकार को मौका दिया जाता है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---अध्यक्ष महोदय, जो यह कहा गया है कि जो सूचना अभी नहीं आई तो वह उत्तर तो खत्म हो जाता है। अब उसके लिये फिर दोबारा प्रश्न भेजे जायं तब उत्तर होगा?

श्री अध्यक्ष---उसके लिये तो जो ऐंश्योरेंस कमेटी है वह उस पर निगाह रखेगी।

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५६

†खंड ६ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---बिक्री कर संशोधन विधेयक पर (वित्त मंत्री के खड़ा होने पर) इसके पहले आप कुछ और बात कहना चाहते हैं क्या?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जी नहीं। मैं तो इसी बिल के डिस्कशन की बाबत अर्ज करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष---तो मैं जरा एनाउन्स तो कर दूं कि यह काम शुरू हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार जारी होगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जनाब स्पीकर साहब, मैं जनाब से भी और इस पूरे हाउस से एक दरख्वास्त करता हूं और उस दरख्वास्त को अपने एक प्रस्ताव की शक्ल में सामने रखता हूं। मैंने कल कुछ देर इस एवान की खिदमत में इस बिल के मुताल्लिक, जो इस वक्त बहस में है, यह अर्ज किया था कि यह एक आर्डिनेंस की बिना पर बना है और इसकी प्रेसीडेंट साहब से असेंट हासिल करने के लिये एक मियाद रख दी है। उस वक्त से पहले-पहल इसको सिर्फ यहीं से पास नहीं होना है बल्कि कौंसिल से भी पास होना है और फिर बिल्कुल में जाकर एग्जामिन हो कर प्रेसीडेंट साहब की असेंट भी इसको हासिल होनी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---प्वाइन्ट आफ आर्डर। श्रीमन्, कल जिस समय यह सदन स्थगित हुआ उस समय माननीय देवकीनन्दन विभव जी अपना भाषण दे रहे थे। तो पहली बात तो यह है कि जबतक उनका भाषण समाप्त न हो जाय तबतक माननीय वित्त मंत्री जी कोई अपना भाषण नहीं कर सकते। किसी प्रस्ताव को अगर वह पेश करना चाहते हों तो उसका कुछ जिक्र न तो एजेंडा में है और न उसकी सूचना ही है और नियम ७६ के अनुसार भी ७ दिन का नोटिस प्रस्ताव के लिये आवश्यक होता है।

श्री अध्यक्ष---अभी कोई प्रस्ताव तो उन्होंने किया नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---उन्होंने कहा कि रेजोल्यूशन की शक्ल में हम कुछ लाना चाहते हैं। तो वित्त मंत्री जी को अगर कुछ कहना भी है तो माननीय देवकीनन्दन विभव का भाषण समाप्त होने के बाद कहें।

श्री अध्यक्ष---मैं जरा जान लूं कि किस शक्ल में वह रखना चाहते हैं। यदि वे रिक्वेस्ट अगर कोई करना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करने से उन्हें रोक नहीं सकता। आप रिक्वेस्ट सुन लें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं तो यह अर्ज कर रहा था कि इस बिल को इस तरीके से पास होना जरूरी है और जैसा कि मैंने कल बतलाया था कि आज की जो तारीख है इस पर इसको यहां से उस हिसाब से पास हो जाना चाहिये था। मैं उस हिसाब को लौटाता नहीं, पहले कह चुका हूं। मगर गवर्नमेंट ने कुछ बातें सोच कर जो अपोजीशन

---

*२७ अप्रैल, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

†१४ मई, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

की तरफ से कल कही गयी थीं, उनकी बिना पर यह फैसला किया कि इस बिल को इस हाउस से कल तक पास हो जाना चाहिये और उसके पास होने के लिये मुझको यह जरूरी मालूम होता है कि जो स्पीचेज यहां अमेंडमेंट्स पर हो रही हैं उनके लिये कोई टाइम लिमिट मुकर्रर की जाय। तो मैं यह सजेस्ट करता हूं अपनी तरफ से कि मूवर के लिये और मिनिस्टर के लिये ७ मिनट, और-और बोलने वालों के लिये ५ मिनट का वक्त मुकर्रर कर दिया जाय। इसके लिये मेरे नजदीक किसी खास प्रस्ताव की तो जरूरत नहीं है। मैंने जो लफ्ज प्रस्ताव का इस्तेमाल किया यह मेरे दोस्त शायद यह समझते हैं कि प्रस्ताव का लफ्ज हमेशा उन्हीं मानों में इस्तेमाल होता है जिन मानों में कायदे में लिखा हुआ है और आम जबान का वह लफ्ज नहीं है और-और तरीके पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो मेरी गुजारिश यह है कि जो स्पीचेज अब यहां होंगी इस बिल के ऊपर उनके लिये यह टाइम लिमिट मुकर्रर कर दी जाय जो मैंने अर्ज की है।

श्री अध्यक्ष---यह तो रिक्वेस्ट है। कोई मोशन इस वक्त मैं नहीं लूंगा। सिर्फ रिक्वेस्ट होने की वजह से अगर कोई भी आपत्ति, किसी एक सदस्य को भी हो तो मैं इसको पेश नहीं होने दूंगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---हमको श्रीमन्, सख्त आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष---यही तो मैं जानना चाहता था कि किसी को आपत्ति तो नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---अध्यक्ष महोदय, वैसे आमतौर पर जब नेता सदन कोई मोशन करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती है साधारणतया। लेकिन यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है। इसलिये बिजनेस कमेटी ने भी इसके महत्व को देखते हुये और सभी दलों की भावनाओं को देखते हुये उचित नहीं समझा कि इसके लिये कोई टाइम लिमिट रखी जाय। इस बात को स्वयं माननीय वित्त मंत्री जो कह चुके हैं। तो ऐसा विधेयक जिसके संबंध में बिजनेस कमेटी ने कोई समय निश्चित करना उचित नहीं समझा। इसके संबंध में नेता सदन कोई प्रस्ताव रखें तो वह कहां तक शोभनीय है? उन्होंने जो रिक्वेस्ट की है वह एक मोशन एक रूप में ही है उन्होंने मोशन में यह कहा है कि प्रस्तावक और मिनिस्टर को ७ मिनट तथा अन्य सदस्यों को ५ मिनट रखे जायं तो यह नियम के अनुसार नहीं है। नियम के अनुसार तो यह प्रस्ताव की शक्ल में ही आ सकती है और उस पर हम संशोधन कर सकते हैं और आपत्ति कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं यह कहना चाहता था कि इस विषय में कोई मोशन आये कि भाषणों के ऊपर कोई बंधन किया जाय या कोई समय नियत किया जाय तो मैंने यही तरीका रखा था कि यदि सदन राजी है और किसी विषय को जल्द खत्म करना है तो वह अपने को स्वयं नियंत्रित कर ले। लेकिन अगर वह बात नहीं है तो कायदे की पाबन्दी होनी चाहिये। लेकिन सर्व सम्मति से रूल्स ससपेंड करने का अधिकार माननीय सदन को है। इसी लिये यह तरीका रखा था क्योंकि कुछ सदस्यों को उक्त सुझाव पर आपत्ति है मैं नियम के अनुसार ही जाऊंगा। इस तरह का कोई मोशन कि भाषणों के ऊपर नियंत्रण हो केवल गिलोटिन के प्रस्ताव में ही आ सकता है और साथ ही रिक्वेस्ट के जरिये हो सकता है यदि सर्वसम्मति से हो। यह दोनों तरीके हैं। इसलिये जब प्रार्थना करने पर कुछ सदस्यों को सुझाव पर आपत्ति है तो मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव सदन के सामने आये।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, इस समय मुझे बहुत अधिक समय लेने की इच्छा नहीं है। मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। एक दृष्टिकोण है जो व्यापारियों से इस विधेयक से संबंध रखता है। मैं समझता हूं कि यह दृष्टिकोण संक्षिप्त में सदन के सामने आना चाहिये। यदि नहीं आता है तो एक बड़ी भारी कमी रह जाती है। इस सदन में कल माननीय राजनारायण जी ने चर्चा की थी कि यदि उनकी बातें नहीं मानी जायंगी तो वह सत्याग्रह करेंगे, कानून तोड़ेंगे और हड़ताल करेंगे। मैं नहीं समझता हूं कि जनतंत्रीय भावनाओं के आधार पर जब एक विधेयक सदन में चुने हुये प्रतिनिधियों के सामने विचार के लिये प्रस्तुत हो तो उस समय इस तरह की धमकी देना मेरे ख्याल से जनतंत्रीय भावनाओं, स्वतंत्र विचार-विमर्श के विरुद्ध है। श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वह कौन-सा सत्याग्रह करेंगे। मैं समझता हूं और जहां तक मेरा विचार है और मैंने व्यापारियों के विचारों को समझने की कोशिश की है। मुझे यह अच्छी तरह से विदित है और मेरे सामने जो सारे यह मेमोरेंडम पड़े हैं व्यापारियों के समाज के, उनमें उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि व्यापारी इस प्रदेश की सरकार को निर्माण-कार्य के लिये जितनी भी संपत्ति की आवश्यकता हो, जितने भी धन की आवश्यकता हो, वह सदैव देने के लिये प्रस्तुत हैं। हां, यह मैं समझ सकता हूं कि हमारे कुछ सदन के सदस्य सत्याग्रह कर सकते हैं परन्तु इससे मैं यह समझता हूं कि हमारे सदन की हानि ही होगी। चाहे वह १०,१५ दिन के लिये ही क्यों न एक पिकनिक पार्टी की तरह से हो, लेकिन मेरी राय में उस समय के लिये ही यह सदन उनकी राय से बंचित रहेगा। इसलिये मैं इसे नामुनासिब समझता हूं। व्यापारियों का दृष्टिकोण श्रीमन्, देखिये कि क्या है? उनका दृष्टिकोण यह नहीं है कि वह देश के निर्माण-कार्यों के लिये धन नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उनकी कुछ और कठिनाइयां हैं जिनको कि मैं बहुत ही संक्षेप में आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा और उसके बाद मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। मेरा ख्याल है कि उनकी सबसे पहली मांग यह है कि टैक्सेशन के संबंध में एक एडवाइजरी कमेटी नियुक्त होनी चाहिये और किस-किस तरीके से, किस-किस निर्माण के लिये कितनी संपत्ति की आवश्यकता है यह सरकार उनको बताये और इस संबंध में वह अपना परामर्श दे।

जहां तक मैंने टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को देखा है उसमें यह स्पष्ट सिफारिश की गई है कि इस तरह की कमेटी का निर्माण होना चाहिये। तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस तरह की टैक्सेशन एडवाइजरी कमेटी का निर्माण करें और टैक्स लगाने से पहले उन लोगों की भी सम्मति जानने का कष्ट करें। दूसरी बात जो मैं समझता हूं, व्यापारियों की मांग यह है कि सेल्स टैक्स का केंद्रीयकरण होना चाहिये। वह एक समान सेल्स टैक्स चाहते हैं सारे राज्यों में, सारे प्रदेशों में। आप जानते हैं कि यदि मेरठ में शुगर या खांड पर टैक्स लगा हो और पास ही दिल्ली में न हो या किसी दूसरी दर से हो तो उसका परिणाम क्या होता है। उसका परिणाम यह होता है कि एक हालत में तो उस पर टैक्स देना पड़ता है करीब-करीब २ रुपये मन या एक रुपये १२ आने मन, लेकिन अगर वहां से दिल्ली ले जाया जाय तो वहां कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है और वहां से ३ आने मन में वह आसानी से देहली ले जा सकते हैं और फिर उसे प्रदेश में वापस ला सकते हैं तीन आने मन में। यानी ६ आने दे कर वे लोग एक रुपया ६ आना या साढ़े ६ आने का लाभ उठा सकते हैं और इस तरह से दूसरे व्यापारी जो ईमानदारी से काम करते हैं उसमें बाधा पहुंचा सकते हैं। इसी तरह की खाद्यान्न के संबंध में भी कठिनाई है। जो आज ईमानदार व्यापारी है वह इस कठिनाई को अनुभव कर रहा है और आज सारे प्रदेश में व्यापारियों का एक ऐसा समूह भी पैदा हो गया है कि जो सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की चोरी करता है और रेलवे की भी चोरी करता है और फिर ईमानदार व्यापारी के साथ कम्पिटीशन करता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो आज प्रदेश में यह हो रहा है और मैं श्रीमन्, आपको यह बता दूं कि मेरी दिलचस्पी कोई बड़े व्यापारियों में नहीं है। इस प्रदेश में ९० प्रतिशत ऐसे व्यापारी हैं जिनकी आमदनी ३०० रुपये साल से लेकर २ हजार रुपये साल तक है। इन दोनों तरह के व्यापारियों और जो छोटे-छोटे कामों में और व्यवसाय में लगे हुये हैं उन व्यापारियों को कुछ कठिनाई है और उस पर हमको ध्यान देना है। आप भी इस बात को समझते हैं कि उनके सामने कुछ कठिनाई है। एक छोटा व्यापारी जिसकी आमदनी १०० रुपया महीना है वह किस तरह से सारा हिसाब रखे और फिर सारे फार्म भर कर प्रस्तुत करे? जब उसके सामने यह कठिनाई आकर उपस्थित होती है तो वह परेशान होता है और वह यह अनुभव करता है कि यह व्यापार उसके लिये बड़ा कठिन हो रहा है। खाद्यान्न के संबंध में मैं यह निवेदन करूंगा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है माननीय वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया है इस सदन को कि शीघ्र ही खाद्यान्नों पर सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स यानी एक स्तर पर कर का निर्माण करेंगे। मैं उनको इस जन-भावना का आदर करने के लिये बधाई देना चाहता हूं परन्तु साथ ही एक निवेदन उनसे और करना चाहता हूं कि इस अंतरिम काल में जो टैक्स लिया जायगा वह इतना कठिन हो जायगा कि उससे दिक्कत पैदा होगी। मैं उसको विस्तार से कहना नहीं चाहता हूं लेकिन ५ स्तर पर वह टैक्स लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि २ आना और २।। आना तक वह टैक्स लग सकता है। मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि इस अन्तरिम काल में जब तक कि उसका ग्राउन्ड वर्क तैयार हो, यानी जिस आधार पर वह एक स्तर पर लग सकता है तो उस समय तक २ पैसे के बजाय १ पैसा कर दें। साथ ही मैं एक और निवेदन करूं कि बेइमान व्यापारियों को जो आज दो-दो तरह के बही खाते रखते हैं और जिन्होंने ईमानदारी से काम करना मुश्किल कर दिया है उनको रोकने का प्रयत्न होना चाहिये। इस संबंध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और एक सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि रेलवे रिसीट के साथ यानी जब कि माल आयात हो उस समय उस पर एक निश्चित रकम निश्चित दर से उनसे जमा करा ली जाय क्योंकि अगर वह कुछ पैसा जमा कर देता है तो न तो इस बात का डर है कि वह दूसरे फर्म का नाम बदल कर उसके नाम लिख देगा और न वह फिर छिपाने का प्रयत्न करेगा। तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस पर विचार करें।

साथ ही मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। मेरा स्वयं मत यह है कि धीरे-धीरे हमें समाजवाद इस देश में लाना है तो हमें इस देश में सहकारी समितियों का निर्माण करना पड़ेगा। परन्तु मुझे खेद है कि सहकारी समितियों के संचालन में और संगठन में प्रदेश में कुछ अधिक प्रगति नहीं हुई है। मुझे अनुमान नहीं है कि कब तक वह समय आ जायगा जब कि हम सहकारी समितियों को यह सब कार्य सिपुर्द कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि वर्तमान पद्धति में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको ईमानदारी से काम करने का मौका दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री और हमारी कांग्रेस सरकार जो सदैव जन-भावना को सुनने को तत्पर रहती है मुझे विश्वास है वह इस बात पर विचार करेगी और जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा है वह शीघ्र ही दूसरा पूर्ण बिल इस सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मेरा ख्याल यह है कि उसमें वह सारी कठिनाइयां और वह सारी बातें दूर करने की चेष्टा करेंगे। मेरा स्वयं का मत यह है कि यदि वित्त मंत्री महोदय कोई ऐसा उपाय निकालें जिससे संपूर्ण अनाज टैक्सेशन से बाहर निकल जाय तो मेरे ख्याल से यह हम सबके लिये और सारी जनता के लिये बहुत उपयोगी होगा। परन्तु यदि यह संभव न हो सके तो जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा मुझे विश्वास है कि मोटे अनाजों को उससे मुक्त करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)---अध्यक्ष महोदय, कल मैंने प्रश्न उपस्थित करने का प्रस्ताव उपस्थित किया था तो उपाध्यक्ष महोदय ने यह आज्ञा दी थी कि दो वक्ता और बोल लें तब वे इस प्रश्न को रखने की आज्ञा देंगे। इसलिये अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---८१,
विपक्ष में---१३।)

श्री नारायणदास (जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से मेरे संशोधन पर तथा अन्य संशोधनों पर जो विवाद चल रहा है उसको देखते हुये मैं अपने उन माननीय सदस्यों को और उन सभी सदस्यों को जिन्होंने कोई भी विरोध हमारे संशोधन का नहीं किया है, हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं सरकार को तथा माननीय वित्त मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे संशोधन पर विचार करने का आश्वासन दिया। जो कठिनाइयां उन्होंने बतायीं उनको देखते हुये मैं आशा करता हूं कि मेरे संशोधन का उद्देश्य अवश्य पूरा हो जायगा इसलिये मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---७७,
विपक्ष में---१३।)

श्री राजनारायण---श्री रामनारायण त्रिपाठी ने मुझे उत्तर देने को कहा है।

श्री अध्यक्ष---मैं इस तरह से इजाजत नहीं दूंगा . . . .

श्री राजनारायण---आप ने स्वयं ऐसा पहले किया है, मैं आप को याद दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---वैसे मैं इजाजत नहीं दूंगा लेकिन अगर सर्वसम्मति हो जाय तो हो सकता है, अगर किसी को भी आपत्ति होगी तो मैं इजाजत नहीं दूंगा।

बहुत से सदस्य---आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष---तो मैं आप को इजाजत नहीं दूंगा।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल माननीय वित्त मंत्री जी को काफी ध्योरे में यह बताने की धृष्टता की कि किन कारणों से खाद्यान्न गुड़, मिट्टी के तेल तथा कोर्स और मीडियम क्लाथ पर से बिक्री कर हटा लेना चाहिये। मुझे आशा तो यह थी कि माननीय वित्त मंत्री जी कुछ उसके विषय में उत्तर देंगे लेकिन उन्होंने उसके विषय में कुछ नहीं कहा है। लेकिन माननीय नवल किशोर जी ने एक बहुत ही आश्चर्य की बात कही कि खाद्यान्नों पर टैक्स लगाने से बहुत ही कम लोगों पर भार पड़ेगा। मैंने पहले भी इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की थी और यह भी कहा था कि माननीय गेंदासिंह ने बहुत पर्याप्त रूप में यह बताया है कि देहात के लोगों की क्या हालत है, क्या उनकी आर्थिक दशा है, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला है और उसका खंडन भी किसी ने नहीं किया है। तो जब छोटे मजदूरों पर और छोटे किसानों पर जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है, उन पर यह भार पड़ने

वाला है तो उस पर उन्हें विचार करना चाहिये था और माननीय वित्त मंत्री जी को यहां घोषणा करनी चाहिये थी कि वह खाद्यान्न, गुड़, मिट्टी के तेल और कोर्स व मीडियम क्लाथ को भी बिक्री कर से मुक्त करेंगे। एक दलील यह दी जाती है कि अगर इन ४ चीजों को जो कि बहुत आवश्यक वस्तुयें हैं, बिक्री कर से मुक्त कर दिया जाय तो ३ करोड़ के लगभग जो रेवेन्यू मिलने वाली है वह नहीं मिलेगी। मैंने कल टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का उद्धरण देते हुये कहा था कि आवश्यक वस्तुओं को हमें इस कर से क्यों मुक्त रखना चाहिये लेकिन उसके सुनने के बावजूद भी माननीय मंत्री जी ने कोई ख्याल नहीं किया। उसमें यह कहा गया था कि राज्य का केवल यह दृष्टिकोण नहीं होना चाहिये कि किसी कर को लगाते वक्त कि हमें अपनी स्टेट की रेवेन्यूज को बढ़ाना है, यही एक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिये बल्कि उसके साथ ही साथ जिनके ऊपर यह भार पड़ने वाला है उनकी एकानामिक कंडीशंस क्या हैं उस पर भी गौर करना चाहिये। लेकिन मैं समझता हूं कि जो माननीय नवल किशोर जी ने दलील दी या उधर के साथियों ने दलील दी उससे यह प्रकट होता है कि हमें किसी न किसी तरीके से स्टेट की रेवेन्यूज को बढ़ाना है और डेवलपमेंट प्लान को हमें सफल बनाना है। मैं समझता हूं कि अगर रेवेन्यूज के बढ़ाने का ही ख्याल रक्खा गया और यह ख्याल नहीं रक्खा गया कि देहात में रहने वाली जनता और शहरों में रहने वाले मजदूरों की हालत इस बिक्री कर के लगने से क्या होगी तो हमारा डेवलपमेंट प्लान भी सफल होने वाला नहीं है, न लोगों से कोई सहयोग ही मिलने वाला है। कपड़े के लिये भी उन्होंने यह कहा कि आम तौर से लोग खद्दर पहनते हैं देहातों में। उसके बारे में भी दोबारा कहना चाहता हूं कि लोग मिल का कपड़ा देहातों में पहनते हैं क्योंकि वह सस्ता होता है।

अब अगर आपका जनसम्पर्क छूट गया है, जनता से कोई सरोकार नहीं रह गया है, देहात में जाने की आपको फुर्सत नहीं है तब तो आप ऐसा कह सकते हैं लेकिन अगर आप यह तकलीफ उठायें, देहातों में जायं और देखें कि लोग क्या पहनते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से मालूम हो जायगा कि लोग मिल का कपड़ा कोर्स और मीडियम जो होता है वही पहनते हैं। एक काल्पनिक जगत में रह कर ऐसा अनुमान कर लेना कि लोग मिल का कपड़ा नहीं पहनते हैं यह ठीक नहीं होगा। तो हम लोगों की एकानामिक कंडीशंस को ध्यान में न रक्खें, वास्तविकता से परे जा कर हम कोई बिक्री कर न लगायें। उससे हमें बचना होगा, इस प्रकार अनावश्यक रूप से उन पर ज्यादा भार बढ़ेगा और क्योंकि ज्यादा भार बढ़ने पर उनकी प्रवृत्तियां खराब होंगी, उनको कोई सहयोग देने का ख्याल न रह जायगा। और जब इतनी बड़ी जनता की आपके डेवलपमेंट प्लान्स की योजनाओं के लिये सहयोग न देने की भावना होगी तब फिर आप कैसे राष्ट्र की तरक्की कर सकते हैं? मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, मैं फिर यही एक अपील करना चाहता हूं आपसे कि यदि वास्तव में अपने प्रदेश का उत्थान करना है जैसी कि आपकी इच्छा है और हम सबकी इच्छा है तो बड़ी गम्भीरता के साथ इस बात पर विचार करना चाहिये क्योंकि रेवेन्यू के ही प्वाइन्ट आफ व्यू से इस बड़े महत्वपूर्ण विषय को समझना ठीक नहीं है। हम सब कटिबद्ध हैं कि अपने राष्ट्र की तरक्की करें। उसके लिये हर प्रकार से उचित रूप से पैसा इकट्ठा करें। यह तो जायज है, उससे भावनायें भी लोगों की अच्छी बनती हैं। लेकिन अगर इन बातों का ख्याल नहीं करते हैं तो मैं तो यही एक नतीजा निकालता हूं कि हम या तो अंधेरे में हैं, लोगों की हालतों का वास्तव में उनकी एकानामिक कंडीशंस क्या है इसका हमको पता नहीं है, या फिर हमारा जन-सम्पर्क नहीं रह गया है और या हम उनकी भावनाओं की कद्र किये हुये बगैर अपने प्लान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यह दोनों सूरतें ही ठीक नहीं हैं। एक बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे सब के ऊपर है। हम सब यहां इसीलिये एकट्ठा हुये हैं और जब हम यह सारी जिम्मेदारियां लेते हैं तो इसके लिये बहुत ही उचित है बिना किसी प्रोपेगेंडा की दृष्टि

[श्री तेज प्रताप सिंह]

से, बिना और किसी दृष्टि से हमें इस पर भली प्रकार विचार करना चाहिये क्योंकि जरा सी भी गलती हमारे राष्ट्र के उत्थान में बाधक हो सकती है और हमें जो कामयाबी मिलनी चाहिये और जिसकी हम सब प्रतीक्षा करते हैं और आशा करते हैं वह नहीं मिलेगी। तो इन शब्दों के साथ मैं फिर माननीय वित्त मंत्री जी से यह प्रेस करूंगा कि मेरे इस संशोधन को मान लें ताकि जो पहले अधिनियम में व्यवस्था थी वह बनी रहे और लोगों को राहत मिल सके।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, एक प्रार्थना आपसे यह है कि अगर आप यह व्यवस्था कर दें कि संशोधनों पर वह जवाब दे लें, तब वापस करें या प्रेस करें, जैसा कि पहले होता रहा है। कटमोशन में यह जरूर रहा है कि रखने वाला पहले जवाब देता है। लेकिन बिलों पर संशोधनकर्ता बाद को ही जवाब देता है।

श्री अध्यक्ष---वह बाद ही में तो जवाब उन्होंने दिया।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष---मंत्री जी की राय आप जानना चाहते हैं?

श्री नारायणदास तिवारी---जी हां।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---हुजूर, मैं इसका जवाब शुरू में दे चुका था। अब जिन लोगों की याद में होगा, जिन लोगों का हाफिजा याद रखने के काबिल होगा उनको याद होगा कि मैं कह चुका कि गवर्नमेंट का जो ऐटीट्यूड है वह मैं इस वक्त बयान किये देता हूं। चुनांचे वह बयान कर दिया था इस हाउस में। उसके बाद जो मैंने बहस सुनी है और जो यहां हुई उसमें से मैं उस हिस्से को छोड़ देता हूं जो महज जनरल थी, टैक्सेशन के ऊपर थी, सेल्स टैक्स के ऊपर और इन खास चीजों से जो इन क्लाजेज में लिखी हुई हैं जिनके अन्दर यह तरमीम दी गयी उससे उसका कोई विशेष ताल्लुक नहीं था। मैं उन बातों का जवाब तो देता नहीं हूं। इसलिए कि कह चुका हूं और अगर बार-बार वही बात कहीं जाय, हर अमेंडमेंट पर वही कह रहे हैं, और मैं उसका हर अमेंडमेंट पर वही जवाब दूं, तो मुझे ऐसी बात मालूम होती है कि वक्त का जाया करना है और मैं कम से कम इसकी जुर्रत नहीं करूंगा।

खास इसके मुताल्लिक जो उनका अमेंडमेंट है कि खंड ६ जो है उसका उपखंड (१) निकाल दिया जाय उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं उनमें से पानी है, दूध है, इन पर तो कहीं टैक्स है नहीं। कहां से वह इसमें से निकला, मैं तो कह नहीं सकता हूं और अगर उसको निकाल दिया जाय जो इस वक्त इसमें रखा गया है तो उसका मतलब यह हो कि जो पोजीशन पहले थी वह लौट करके आये। इसको तब्दील करने के लिए तो रखा ही है लेकिन यह प्वाइंट आफ व्यू कि जनता के फायदे की बात यह है जो यह अमेंडमेंट कहता है, मैं यह कहता हूं कि जनता के नुकसान की बात यह है जो यह अमेंडमेंट कहता है। इस अमेंडमेंट को जनता के इंटरेस्ट में मंजूर नहीं होना चाहिए। जहां तक बर्डेन का ताल्लुक है उस पर कितना बर्डेन पड़ता है, उस बर्डेन को भी तो सोचना चाहिए है जो इजाफा, या जो नया टैक्स लग रहा है उस टैक्स से कितना उस आदमी के ऊपर बोझ पड़ेगा। मैं मिसाल के तौर पर अर्ज करूं, कपड़े का वे जिक्र कर रहे हैं। अगर एक कपड़ा आठ आने या एक रुपये गज बिकता है। वह सस्ता आठ आने या एक रुपया छः पाई में बिकेगा। तो इतना बोझ पड़ेगा। इसको मैं समझा इस तरह उनके इंटरेस्ट में होता है जिसकी उधर से ज्यादा दुहाई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दी जा रही है, जिनको गरज से लगाया जा रहा है, उसको करने के लिए, इस मुल्क की खिदमत करने के लिए । उन गरीबों को, जो गरीब हैं, उनको मार देने के लिए यह टैक्स लगाया जाता हो और उसका बर्डन इतना पड़ता हो, उससे मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों यह जरूरी है कि जो मेरे दोस्त अमेंडमेंट कर रहे हैं उस अमेंडमेंट को गवर्नमेंट मंजूर करे।

श्री अध्यक्ष—मैं श्री रामनारायण जी के संशोधन पर पहले राय लूंगा । उसके बाद श्री तेजप्रताप सिंह जी के संशोधन पर राय लूंगा ।

प्रश्न यह कि खंड ६ के उपखंड (१) में प्रस्तावित धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (क) की मंक्ति १ के शब्द "समाचार-पत्र" तथा शब्द "और" के बीच में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"मिट्टी का तेल, खाद्यान्न, गुड़, गृह-उद्योगों के लिए प्रयुक्त विद्युत शक्ति, पुस्तकें पत्रिकाएं"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गई । इस बीच में श्री राजनारायण जी ने कहा)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, एक निवेदन करना चाहता हूं। यह बड़ा इम्पार्टेन्ट अमेंडमेंट है जिस पर विभाजन की मांग की गई है। मैं चाहूंगा कि लौबी में इस पर दस्तखत कराने की आप कृपा करें ताकि हम लोग जरा एश्यूरेंट हो सकें और सदन में कुछ कहें और बाहर जाकर कुछ कहें तो इसकी पकड़ भी हो सके। इसलिये मैं यह चाहता हूं।

(घंटी समाप्त होने पर)

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है, इसमें समय नष्ट होगा।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—११,

विपक्ष में—६५।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गई, इस बीच में श्री राजनारायण जी ने कहा।)

श्री राजनारायण—प्वाइंट आफ आर्डर, सर। माननीय शिक्षा मंत्री ने उस बार भी हाथ नहीं उठाया, इस बार भी नहीं उठाया। मगर हाफिज साहब ने उनको धक्का दे करके हाथ उठवा दिया।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस समय मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाली बात हो गई।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इनका वोट नहीं मंगाया मैंने ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखत मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१२,

विपक्ष में—६९।)

श्री तेज प्रताप सिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

खंड ६ के उपखंड (२) में इस विधेयक के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो फीस १ हजार रुपये की थी पहले और जिसे गांधी आश्रम द्वारा बिक्री किये जाने वाले माल के ऊपर देना पड़ सकता था अथवा और किसी माल पर जिसको कि राज्य सरकार माफ करना चाहे उस पर उसकी फीस की अब एक हजार से बढ़ा कर के ४ हजार की व्यवस्था की गई है। मूल अधिनियम में राज्य सरकार ने यह रखा हुआ था कि गांधी आश्रम मेरठ या उसकी बांचों के द्वारा जिस किसी भी माल की बिक्री हो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और इस शर्त पर कि वे एक हजार रुपये तक या उससे कम की फीस जो भी निर्धारित की जाय दे दें राज्य सरकार को और तब उन पर कोई बिक्री कर नहीं लगेगा। तो इस तरीके से गांधी आश्रम के मालों पर कोई बिक्री कर नहीं लगने वाला था या यों कहें कि पार्शियल एग्जम्पशन या कंडीशनल एग्जम्पशन था उस पर। यह जब धारा बनी होगी तो यह ख्याल रखा गया होगा कि गांधी आश्रम ने हमारे देश की सेवा की है और गांधी आश्रम का ताल्लुक उन गरीब बुनकरों से है जिनका कि उद्योग मिटता चला जा रहा है। कोई खद्दर नहीं पहनता था, लेकिन महात्मा गांधी की प्रेरणा से, उनकी शिक्षा से हमारे सभी स्वतन्त्रता संग्राम में लड़ने वाले सैनिकों ने उसको अपना वस्त्र माना। और साथ ही साथ इस प्रेरणा को जिन कारणों से गांधी जी ने दिया था वह भी मूल रूप में यही थे कि हमारे गृह उद्योग पनपने चाहिए। भारतवर्ष में, हर जगह प्रदेश के कोने-कोने में बुनकर पाये जाते हैं। लेकिन जब से बड़ी-बड़ी मिलें स्थापित हुईं तब से लोगों ने खद्दर का पहनना बन्द कर दिया और उसका कारण भी यही था कि खद्दर महंगा होता है और लोग महंगा पहनना पसन्द नहीं करते हैं। उनकी क्रय-शक्ति कम है और इन्हीं कारणों से इस उद्योग को बड़ा धक्का लगा। तो मैं समझता हूं कि इन्हीं कारणों से प्रेरित होकर और इनके औचित्य को समझकर राज्य सरकार ने भी यही उचित समझा कि इनको भी पार्शली एग्जम्प्ट कर दिया जाय। एक कंडीशन ऐसी रख दी जाय कि एक हजार से कम या १ हजार तक कोई फीस निर्धारित कर दी जाय। वह गांधी आश्रम से ले ली जाय और इस प्रकार से बिक्री कर से वह मुक्त हो जायं।

मैं समझता हूं कि आज गांधी आश्रम को सहायता देने की अधिक जरूरत है। अब जब कि स्वराज्य हमें मिल चुका है लोग आम तौर से यह समझते हैं कि मिलें भी हमारे देश की हैं, इस उद्योग-धंधे को भी पनपना चाहिए और इसलिए लोग मिल का कपड़ा पहनने लगे हैं। आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय, कि खद्दर के पहनने वालों की कमी होती जा रही है और सब व्यक्ति ऐसा नहीं समझ पाते हैं। उनमें इतनी अधिक त्यागवृत्ति की भावना नहीं हो सकती है कि चाहे महंगा ही क्यों न मिले, खद्दर पहिनें क्योंकि खद्दर से पालन-पोषण होता है उन गरीब बुनकरों का जो कि देहात में रहते हैं और जिनके पास कोई उद्योग-धंधे नहीं हैं। और आज सरकार गांधी-आश्रम को और भी सहायता दे रही है। आप देखते ही हैं कि खद्दर भंडार में एक रुपये पर तीन आने का रिबेट मिलता है, उसको छूट दी हुई है और अब चरखा संघ केन्द्र भी खोले जा रहे हैं बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में कि लोग खद्दर बनाने के उद्योग-धंधों को बढ़ायें और बेकारी दूर हो। तो जब इसकी जरूरत आप स्वयं महसूस करते जा रहे हैं तो उसको इस विधेयक के द्वारा क्यों धक्का लगाना चाहते हैं? आपने किन कारणों से एक हजार के बजाय ४ हजार फीस करने की व्यवस्था की? एक ओर तो आप हर तरह की सुविधा खद्दर भंडारों को देते जा रहे हैं और दूसरी तरफ यह विधेयक लाया जा रहा है कि एक हजार की जगह चार हजार फीस कर दी जाय। आखिर कौन-सा कारण है जो चौगुनी फीस की जा रही है।

तो जो मैंने कारण दिये और जिस परिस्थिति में मैंने अपने संशोधन को रखा है माननीय वित्त मंत्री जी इसे अवश्य स्वीकार करेंगे। इसी उपखंड में मूल अधिनियम में यह दिया हुआ है कि कुछ और क्लासेज को और क्लास आफ परसन्स को भी छूट दे सकते हैं, यानी और भी ऐसे उद्योग-धंधे हो सकते हैं जिनको राज्य सरकार सहायता देना चाहती हो, इन्करेजमेंट देना चाहती हो तो उन्हे भी उसी कंडीशनल एग्जेम्पशन पर सहायता दे सकती है। मैं समझता हूं कि जरूर ऐसे उद्योग-धंध हैं जिनकी संख्या बढ़नी चाहिये और उनको एग्जेम्पशन मिलना चाहिये। तो इस तरीके से इन बातों की आवश्यकता है कि हमारे गृह उद्योग आज इस देश में बढ़ें और यही एक तरीका है जिससे कि बेरोजगारी हमारी दूर होगी। क्योंकि बेरोजगारी दूर करने का यह तरीका नहीं है कि बड़े उद्योग-धंधे हमारे यहां स्टार्ट किये जायं। मैं इस संदर्भ में फिर यह कहना चाहूंगा कि बड़े उद्योग-धंधों को तो आप छूट देना चाहते हैं, जैसा कि हाल में एक विधेयक आया था जिसके अनुसार सरकार यह अधिकार लेना चाहती है कि नई इंडस्ट्रीज को सेट-अप करने के लिये वह अधिकार ले ले, जिससे उन्हें बिक्री कर से मुक्त कर दें। तो एक ओर तो आप यह शक्ति लेते जा रहे हैं और दूसरी ओर छोटे उद्योग-धंधे जो हैं जिनको गृह-उद्योग कह सकते हैं उन पर आप कर बढ़ाते जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—आप अपने भाषण को इसी संशोधन पर सीमित रखिये, बड़े उद्योगों को मत लीजिये।

श्री तेजप्रताप सिंह—उसमें क्लास एंड क्लास आफ परसंस दिया हुआ है। तो मैं उसी का रेफरेंस दे रहा था। मैं आपकी आज्ञा से उसको पढ़ दूं। मूल अधिनियम में धारा ४ के उपखंड (१) का (बी) जो भाग है उसको पढ़े देता हूं—

"the sale of any goods by the All-India Spinner's Association or Gandhi Ashram, Meerut, and their branches or such other persons or class of persons as the State Government may from time to time exempt on such conditions and on payment of such fees, if any, not exceeding one thousand rupees annually as may be specified by notification in the official Gazette".

तो इसमें और भी दिक्कतें आ जाती हैं। तो मैंने उस बारे में भी संकेत करना चाहा और अभी एक विधेयक प्रस्तुत हुआ था, आपको याद होगा, जिसके द्वारा बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज को पनपाने के लिए, अच्छी तरह से स्थापित करने के लिए सरकार ने यह अधिकार मांगा था हाउस से कि वह उनको एग्जेम्प्ट कर सकें, ताकि वे स्टार्ट हो सकें।

हमारे प्रदेश में उद्योगों की कमी है इसलिये इन उद्योगों को स्टार्ट करने के लिये यह अधिकार उन्होंने मांगा। तो एक ओर तो बड़े उद्योग-धंधों को बढ़ाने के लिये वे अधिकार लेना चाहते हैं एक्जेम्प्शन का और दूसरी ओर चाहते हैं कि गृह-उद्योगों पर अधिक रेट्स पर टैक्स लगा सकें। तो यह दोनों चीजें कैसे एक साथ चल सकती हैं? मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि माननीय वित्त मंत्री जो और दूसरे जो भी माननीय सदस्य हैं वे खद्दर पहनते ही हैं और जब ऐसा होता है तो जिस चीज के पहनने का औचित्य वे समझते हैं, जिससे वे प्रेरित हैं उसकी फीस एक हजार ही रहे। आज उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं हुई है कि एक हजार से उनकी फीस चार हजार कर दें। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं और मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री जी इसे अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, यह जो अमेंडमेंट है उससे पहले जो बिल में शक्ल थी वह मैं अर्ज करता हूं कि बुलियन यानी जिसका जेवर न बना हो

[श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम]

ऐसा सोना उसके सेल पर कानून की रू से कोई टैक्स नहीं लगता था बल्कि उस पर एक एक्जेम्प्शन फी लगी हुई थी जिसकी एक रकम मुकर्रर थी एक हजार की और चीजों के मुताल्लिक भी है मगर उसके मुताल्लिक भी था। अब यह संशोधन मान लिया जाता है तो जो उस फी को एक हजार से चार हजार करने का बिल है वह नहीं होगा और वह वैसा ही रह जायगा। अब यह हाउस सोच लेगा कि सोना बेंचने वाले से जो एक हजार रुपया लेते थे उससे चार हजार हम लें या न लें और अगर यह निकाल दिया जाय तो जो ला स्टैंड करता था वही स्टैंड करेगा और वैसे का वैसा रहेगा और उसमें कोई तरमीम नहीं होगी। लिहाजा इसका फैसला इस हाउस पर है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं माननीय तेज प्रताप सिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वह जो उपखंड (२) है वह एक विशेष प्रकार के एक्जेम्प्शंस की व्यवस्था करता है और वह व्यवस्था दो प्रकार की श्रेणियों में कुछ विशेष प्रकार के व्यापारियों को देते हैं जो कि किसी भी माल को बिना कोई सेल्स टैक्स दिये हुये बेंच सकता है और दूसरी श्रेणी कुछ ऐसे लोगों की है जो सरकार द्वारा निश्चित की जाने वाली शर्तों के अनुसार एक हजार रुपये तक की फीस देकर बिक्री कर कानून के नियमों के अन्तर्गत बिक्री कर देने से मुक्त हो सकता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने उत्तर में अभी यह कहा कि यह उपबन्ध केवल बुलियन मरचेन्ट्स के लिये है। बुलियन मरचेन्ट्स पहले एक हजार रुपये एक्जेम्प्शन फी देते थे। इस नये संशोधन के जरिये से वह एक्जेम्प्शन फी बढ़ कर चार हजार रुपये हो जायगी। मैं समझता हूं कि इसमें भी सरकार ने जो लिस्ट बनाई है उसमें अकेले बुलियन पर ही एक्जेम्प्शन फी नहीं थी बल्कि और भी वस्तुओं पर एक्जेम्प्शन फी लगी हुई है।

विधेयक की जो शब्दावली है वही स्वयं स्पष्ट करती है (any class of persons) यानी कल को सरकार किसी भी माल पर किसी भी श्रेणी के व्यापारी के लिये एग्जेम्प्शन फी मुकर्रर कर सकती है। इसलिये यह कहना कि यह केवल बुलियन मर्चेन्ट्स के लिये है और दूसरे मर्चेन्ट्स के लिए नहीं है, यह गलत है।

मैं पिछले दो, तीन साल के आंकड़ों से—सन् १९५०–५१, ५१–५२ और ५२–५३ के आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं—कि एग्जेम्प्शन फी से सरकार को कितनी आमदनी हुई और कितनी वस्तुओं से हुई। अब तक एग्जेम्प्शन फी जो सरकार लेती है वह १० प्रकार की वस्तुओं पर लेती है, बुलियन, कुक्ड फूड, काटन वेस्ट, काटन रा, गोटा, हाइड्स ऐंड स्किन्स, इंडस्ट्रियल लुब्रिकैन्ट्स, कलाबत्तू, मेडिसिन फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स, हुक्का टोबैकू। तो आप देखेंगे कि बुलियन के अलावा ९ वस्तुयें ऐसी हैं जिन पर सरकार एग्जेम्प्शन फी लेती है। इसलिये माननीय मंत्री जी का यह दावा कि वह एग्जेम्प्शन फी केवल बुलियन मर्चेन्ट्स के लिये बढ़ाई जा रही है, गलत है। बुलियन मर्चेन्ट्स के लिये तो और भी नियम हो सकते हैं। अगर केवल बुलियन मर्चेन्ट्स के लिये एग्जेम्प्शन फी बढ़ा रहे हैं तो हम तैयार हैं लेकिन इसमें एक प्राविजो बढ़ा दीजिये कि बुलियन मर्चेन्ट्स के लिये ही ४ हजार रुपये फीस होगी। लेकिन कलाबत्तू और गोटा जैसी काटेज इंडस्ट्री के लिये १ हजार से ४ हजार रुपये बढ़ा कर फीस कर देना कहां तक उचित है? पिछले तीन साल में कलाबत्तू की एग्जेम्प्शन फी से जो सरकार को आमदनी हुई वह बहुत ही रहस्योद्घाटन करती है। सन् ५०–५१ में ३,०१३ रुपये, ५१–५२ में ३,९०३ रुपये और ५२–५३ में २,८१० रुपये सरकार को कलाबत्तू की एग्जेम्प्शन फी से आमदनी हुई। अब सरकार चार हजार करने जा रही है। यानी जितनी कुल सूबे से सरकार को कलाबत्तू की फीस से आमदनी नहीं हुई उतनी वह एग्जेम्प्शन फी करने जा रही है। कितना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भार पड़ेगा उन पर। कितना उसकी कीमत पर असर पड़ेगा। इसी प्रकार आप गोटे की आमदनी को देखें। आप जानते हैं कि यह एक काटेज इंडस्ट्री है। सन् ५०–५१ में सरकार को इससे ६,३४८ रुपये, ५१–५२ में ५,८७८ रुपये और ५२–५३ में ४,०७३ रुपये कुल आमदनी हुई। इससे साबित होता है कि यह संशोधन कितना भ्रामक है और कितने गलत रास्ते पर इस सदन को ले जाना चाहता है।

इसके अलावा उपखंड (२) आर्डिनेंस में नहीं था। यानी ३१ मार्च का जो इन्सट्रक्शन प्रेसीडेंट से सरकार को प्राप्त हुआ उसमें राष्ट्रपति को भी यही ख्याल रहा होगा कि यू० पी० सरकार एक ही हजार रुपये लेने वाली है। इसको बढ़ा कर ४ हजार करने के इन्सट्रक्शन्स भी आपके पास नहीं थे। तो मैं यह मांग करूंगा वित्त मंत्री जी से कि वे इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करें। अगर वह केवल बुलियन मर्चेन्ट्स पर बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें एक प्राविजो बढ़ा दें, क्योंकि वित्त मंत्री जी की मंशा ऐसी मालूम होती है कि इस पर वह चार हजार करना चाहते हैं और बाकी चीजों पर एक हजार ही रखना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो वह इसमें एक प्राविजो बढ़ा दें। इन शब्दों के साथ मैं श्री तेजप्रताप सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री तेज प्रताप सिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी के उत्तर को सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसा कि नारायण दत्त जी ने स्पष्ट किया है और मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री जी इसे समझ भी गये होंगे कि बुलियन और स्पेसीज मूल अधिनियम की धारा ३ का खंड (१) है उसके दूसरे प्रतिबन्धात्मक वाक्य के अनुसार उन्हें छूट दी जाती है। मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यह जो विज्ञप्ति निकली है आर्डिनेंस के बाद इसमें दिया हुआ है कि :—

संख्या ए स० टी० ९१०/१०

"समय-समय पर संशोधित संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३ की उपधारा (१) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम में लाकर तथा इस विषय की पहले की सभी विज्ञप्तियों को अधिक्रान्त करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि निम्नलिखित सूची में उल्लिखित माल के विक्रय धन पर १ अप्रैल, १९५६ से बिक्री कर दर चार आना, प्रति सौ रुपये होगी और बिक्री कर माल की प्रत्येक बिक्री पर लगेगा"।

सूची

सोना, चांदी और सिक्का यह जो आर्डिनेंस है इसमें विज्ञप्ति दी हुई है सूची में चांदी, सोना और सिक्का आता है। यह क्लास आफ गुड्स में आते हैं। अब यह धारा ४ के उपखंड (१) के (ख) में दिये हुए हैं। इसके लिए भी आर्डिनेंस में एक विज्ञप्ति है। यदि आज्ञा हो तो उसको भी सुना दूं।

संख्या एस० टी० ९११/१०

"समय समय पर संशोधित संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ ई० की धारा ४ द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम मे लाकर तथा निम्नलिखित सूची १ में उल्लिखित माल से भिन्न किसी भी माल या व्यक्ति या मालों या व्यक्तियों के वर्ग के सम्बन्ध में उक्त धारा के अधीन किसी छूट की मंजूरी से सम्बन्धित पहले की सभी विज्ञप्तियों को अधिक्रांत करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि केवल निम्नलिखित सूची २ में उल्लिखित माल बिक्री कर से मुक्त रहेंगे।"

यह विज्ञप्ति सम्बन्धित है जिसके बारे में मैं अमेंडमेंट दे रहा हूं। इसमें बुलियन और स्पेसीज नहीं आते हैं लिस्ट में कच्चा चमड़ा और खालें और दी गयी हैं। यह

[श्री तेज प्रताप सिंह]

एक्जेम्प्शन पा सकती हैं इस धारा के मातहत जिस पर संशोधन है । लेकिन मन्त्री जी कह रहे हैं कि बुलियन और स्पेसीज छूट जायेंगी । मैं नहीं समझता कि जब यह इसमें आती नहीं हैं, तो कैसे छूट जायंगी । इसकी सूची तो निश्चित है और उसको कन्सल्ट कर सकते हैं । मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया वह बुलियन और स्पेसीज पर ही था । खद्दर पर कुछ नहीं कहा । इस पर वह फी क्यों बढ़ाना चाहते हैं, इस पर प्रकाश नहीं डाला है । मैं चाहता हूं कि अब जब गलतफहमी दूर हो गयी है, मन्त्री जी को तो मुझे आशा है कि वह मेरे संशोधन पर विचार करेंगे ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जनाब स्पीकर साहब, जो चीजें इस क्लाज में आती हैं जिन पर लगा था वह सब की सब इस टैक्स में आ गयी हैं सिवाय दो चीजों के । जो आप गिना रहे थे, उन सब पर टैक्स लग गया है और यह जो क्लाज है वह सबका एक्जेम्प्शन निकाल दिया गया है, केवल दो चीजों पर रह गया है । एक हाइड स्किन और यह बुलियन था । उसमें इस बुलियन पर बजाय इसके कि उस पर टैक्स लगाया जाय, ४,००० की लिमिट मुकर्रर कर दी गयी है । सारी तकरीरें जितनी हुई हैं सब गलत हुई हैं, बिलकुल ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---आपके सारे आंकड़े गलत हैं ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मेरे आंकड़े बड़े सही हैं ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने के उपरान्त निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ ---

पक्ष में---१२,

विपक्ष में---५४ ।)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचारार्थ समय-निर्धारण के संबंध में संकल्प

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---इसके समाप्त होने के पहले एक रेजोल्यूशन है और इसमें इस के लिए सवा दो बजे पेश करने के लिए इजाजत मांगने की बात है ।

अध्यक्ष---आप उसको कृपा करके पहले मेरे पास भेज दें । (रेजोल्यूशन पाने पर) यह सूचना है जो मैं सदन को दे देता हूं कि वह इस विधेयक के सम्बन्ध में एलोकेशन आफ टाइम लिमिट करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं इस सदन के सामने । अब तो यह बाद में आयेगा और इस बात पर भी मैं अभी निर्णय नहीं देता हूं कि उस वक्त मैं इस प्रकार के प्रस्ताव को आज उपस्थित करने की इजाजत दूंगा या नहीं । उसके ऊपर अगर किसी को आक्षेप होगा तो वह भी उसी वक्त आयेगा, जब कि प्रस्ताव लेने का समय होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---आप एडमिट ही न करें तो अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष---यह नहीं हो सकता कि अगर कोई बोलना चाहे बीच में तो मैं उसको रोक दूं । तो मैं इस विषय पर सूचना दे देता हूं ताकि लोग इस विषय पर तैयार हो कर आयें । मैं इसको पढ़ कर सुनाये देता हूं :---

"उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५६ को शीघ्रातिशीघ्र पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह सदन संकल्प करता है कि उक्त विधेयक का द्वितीय पाठन अर्थात् खंडों तथा संशोधनों पर विचार १७ मई, १९५६ को सायंकाल ४ बजे तक समाप्त कर दिया जाय, इस हेतु संशोधनों के प्रस्तावक तथा सम्बन्धित मन्त्री को भाषण के लिए ७-७ मिनट तथा अन्य भाषणों के लिए ५-५ मिनट निर्धारित कर दिया जाय, और तृतीय पाठन को उक्त तिथि को सायंकाल ५ बजे समाप्त कर दिया जाय ।

तथा सदन उक्त विधेयक की महत्ता को ध्यान में रखते हुए यह भी निश्चय करता है कि आज सदन ७ बजे तक बैठे"।

इस तरह का यह है और इसके ऊपर विचार होना है।

(इस समय १ बज कर १९ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब वाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५६, को शीघ्रातिशीघ्र पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह सदन संकल्प करता है कि उक्त विधेयक का द्वितीय पाठन अर्थात् खंडों तथा संशोधनों पर बिचार १७ मई, १९५६ को सायंकाल ४ बजे तक समाप्त कर दिया जाय, इस हेतु संशोधनों के प्रस्तावक तथा सम्बन्धित मन्त्री को भाषण के लिए ७-७ मिनट तथा अन्य भाषणों के लिए ५-५ मिनट निर्धारित कर दिया जाय, और तृतीय पाठन को उक्त तिथि को सायंकाल ५ बजे समाप्त कर दिया जाय।

तथा सदन उक्त विधेयक की महत्ता को ध्यान में रखते हुए यह भी निश्चय करता है कि आज सदन ७ बजे तक बैठे।"

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनी ताल)—प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से आपका ध्यान नियम ७६ की ओर दिलाना चाहता हूं। वह इस प्रकार है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास हिन्दी की कापी नहीं है, इसलिए अंग्रेजी से पढ़ने की इजाजत चाहूंगा—

श्री अध्यक्ष—अंग्रेजी के रूल्स ही पास हुए थे। आप उनको पढ़ सकते हैं उसका अनुवाद हिन्दी में कर दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—वह इस प्रकार है :—

"If the Government desire to move a resolution they shall give seven day's notice and shall along with it supply a copy of the resolution to the Secretary, who shall have its copies sent to members within forty-eight hours of its receipt :

Provided that the Speaker may allow a shorter notice."

उसका अर्थ यह हुआ कि अगर सरकार यह चाहती है कि प्रस्ताव मूव करे तो वह ७ दिन का नोटिस देगी और एक कापी सेक्रेटरी साहब के पास भेजेगी जो सदस्यों के नोटिस के लिए ४८ घंटों के अन्दर उसकी प्रतियां वितरण करेगी। परन्तु आप चाहें, तो कम समय की सूचना स्वीकार कर सकते हैं।

पहली बात तो यह है कि इस प्रस्ताव का नोटिस अभी अभी एक घंटा पहले करीब सवा बजे प्राप्त हुआ था, और यदि आप पढ़ने की तकलीफ गवारा न करते तो वह नोटिस भी हमको नहीं मिलता। तो इसका नोटिस एक घंटा पहले प्राप्त हुआ था। सात दिनों में एक दिन का नोटिस भी प्राप्त नहीं हुआ।

दूसरी बात यह है कि सेक्रेटरी महोदय, जिनके पास कापी पहले पहुंची मानी जायगी, उनको एक एक कापी प्रत्येक सदस्य के पास पहुंचानी चाहिए। एक कापी जो किसी प्रकार से मिली वह भी इस प्रकार से नहीं मिली जिससे हमें यह मालूम होता कि संशोधन क्या हो रहे हैं। इस प्रकार से हमें कापी भी नहीं मिली। इसलिए शार्ट नोटिस की इजाजत नहीं दी जा सकती। आज ही आपने एक रूलिंग दी है कि ऐसे किसी शार्ट नोटिस की इजाजत आप नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष—आप उसका एक भाग ही उद्धृत कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---उध्दृत पूरा तो कर नहीं सकता, लेकिन उसका भावार्थ यही था कि इस प्रकार का मोशन एक रिक्वेस्ट के रूप में आप एलाऊ नहीं करेंगे। इस प्रकार से आपने सदन की मर्यादा को रक्खा है। और शार्टर नोटिस को एलाऊ न करें और उनको २ दिन, ३ दिन या ४ दिन या १ घंटे पर किसी हालत में भी एलाऊ नहीं करेंगे।

***श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**---जनाब स्पीकर साहब, मैं यहां इस वक्त इसलिए खड़ा हुआ हूं कि सदन को यह बता दूं और इसको सब मानेंगे कि स्पीकर को शार्टर नोटिस पर भी इजाजत का अख्तियार है। मैं इस सिलसिले में कुछ सरकमस्टान्सेज हाउस के नोटिस में ले आना चाहता हूं कि जिनकी बिना पर अगर यह अख्तियार स्पीकर साहब इस्तेमाल करें, तो वह यकीनन सही और मुनासिब होगा और ऐसे ही मौकों के लिए यह अख्तियार रूल्स में रखे गये हैं और वह सरकमस्टान्सेज यह रहे कि जिनको मैं आज सुबह और पूरे तौर से कल और एक दिन और उससे पहले जिक्र कर चुका हूं कि इस बिल का कल तक यहां से पास हो जाना बहुत जरूरी है, और उसके बाद यह बिल बिल नहीं रह सकता, वह कानून नहीं रह सकता और इसीलिए मैंने यह ख्याल किया कि चूंकि सदन के मेम्बरान और खास तौर से हमारे सामने वाले भाई चाहते थे कि इसमें ज्यादा वक्त लगाया जाय, इसलिए, आज के अलावा कल का वक्त और गवारा किया, जिस वक्त यह चीज बिजनेस कमेटी के पास गयी थी, उसकी निस्बत यह कहा गया कि बिजनेस कमेटी ने उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया, मेरे नजदीक उस कमेटी ने इस बात का कन्सिडरेशन किया कि वह लोग जो उधर के लोगों को रिप्रेजेन्ट करते हैं उनकी बात का कन्सिडरेशन किया जाय कि कोई टाइम लिमिट न हो।

उसके बाद जब से यह डिस्कशन शुरू हुआ है, उस वक्त से जो कुछ भी यहां हुआ, मैं अर्ज करूंगा कि हर एक जस्टिफिकेशन मौजूद है और अपोजीशन को कभी यह शिकायत नहीं हो सकती कि उनको कन्सिडरेशन नहीं दिया गया। जहां तक इसके जनरल डिस्कशन का ताल्लुक है, उसको भी जैसा चाहा गया ३ दिन तक जारी रखा गया और सिर्फ आखिरी दिन जरूरत को महसूस करते हुए क्लोजर का मोशन पेश किया गया और उस दिन से आज तक दुनिया को अखबारों के जरिये से मालूम हो चुका है कि किस तरह से बराबर बहस हुई, उसको दोहराने की मुझे अब जरूरत नहीं है। मैंने लीडर आफ दि अपोजीशन से कोशिश की और उनकी खिदमत से मैंने व्हिप को भेजा, और उससे भी पहले मैंने हाउस के मेम्बरान के सामने और हुजूर के सामने यह गुजारिश की कि अगर आप क्लोजर पसन्द नहीं करते हैं तो जरूरत इस बात की है कि आप यह तय कर दें कि इसको फलां वक्त तक खत्म कर दिया जाय। और जो तरीका आप इरशाद फरमावें, वह अख्तियार किया जाय लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि हम अपनी तरफ से कोई वक्त मुकर्रर नहीं कर सकते और कुछ नहीं कह सकते कि क्या किया जाय और यह सब गवर्नमेंट के रवैये पर ही मुनहसिर करेगा। इसके बाद मैंने उनकी खिदमत में व्हिप को भेजा और गुजारिश की कि वह इस बात को मान लें कि इस बिल को १७ की शाम तक खत्म कर लिया जाय ताकि लिमिट वगैरा न लगाना पड़े, उसका जवाब पहले तो मेरे पास आया कि इसका जवाब बातचीत करके देंगे, लेकिन रात के ११ बजे मुझे जवाब मिला कि हम तो कह चुके हैं कि यह तो गवर्नमेंट के रवैये पर मुनहसिर है और हम कोई वक्त अपनी तरफ से मुकर्रर नहीं कर सकते। बदकिस्मती से कन्सिडरेशन करना या रूरियायत करना उनको पसन्द न हो।

एक बात का जवाब दे दूं। कल यह कहा गया कि गोरखपुर युनिवर्सिटी का जो बिल है उसको इस वक्त क्यों रख दिया गया। मैंने उसका उस वक्त जवाब नहीं दिया था, क्योंकि जिन्होंने यह मुझ से पूछा था उन को यह मालूम था कि वह क्यों रख दिया गया, उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा था और चाहा था कि उसको पहले कर दिया जाय और मेम्बरान अपोजीशन की राय थी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि पहले उसको कर दिया जाय। लेकिन जब मैंने देखा कि उस वक्त तक वह खत्म नहीं हुआ तो मैंने उसको रोकने की ख्वाहिश की और सेल्स टैक्स बिल को यहां चलाया गया। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ६ सप्ताह में इस का कानून हो जाना है, वह ६ हफ्ते खत्म हो जायेंगे और आठ दस दिन गवर्नमेंट आफ इन्डिया में इसके एक्जामिन होने में लगेंगे और उस पर प्रेसिडेंट की असेन्ट होनी है। उनको भी कितना वक्त मिले, थोड़ा सा---वहां डिस्कशन शुरू हो और उसके बाद मुतवातिर हो। इस तरह से इस बिल को लिये बैठे रहेंगे। ८, ९, १०, १४ और १५---कल की मैंने और तारीख दे दी---१६ और १७; ६ दिन इस बिल को डिवोट कर दिये। इतना वक्त देने के बाद मैं चाहता रहा और चाहता हूं बराबर कि मेम्बरान अपोजीशन की जो ख्वाहिश है मैं उसके साथ हूं और साथ दूं और उनके कहने पर अमल करूं, इसके अलावा क्या कर सकता हूं। स्पीकर साहब के लिए पूरा जस्टिफिकेशन है कि मैंने जो रिजोल्यूशन पेश किया है उसको शार्टर नोटिस पर कबूल फरमायें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय वित्त मन्त्री ने जिन हालात का जिक्र किया है उसके सिलसिले में मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि यह बात सही भी है कि अब आखिरी तारीख कल है लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इस बात की जिम्मेदारी किन पर है, कि इतने कम दिन रह गये और ऐन वक्त पर यह विधेयक आया। यह आर्डिनेंस जब बना था तो उसके बाद सरकारी पक्ष को यह सोचना चाहिए था कि अपोजीशन को पूरी सुविधा देने के लिए कम से कम यह तो करते। जब २५ अप्रैल को इस सदन का अधिवेशन शुरू हुआ तब वे इस विधेयक को ले आते जिससे काफी समय आज तक मिल जाता। इतनी देर बाद यह विधेयक लाया गया और अब सदन से यह कहना कि हमारे पास समय नहीं है, यह मजबूरी ऐसी है जो विरोधी पक्ष को अपने विचार प्रकट करने से रोकती है और बहस की पूरी सुविधा में बाधा डालती है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप कृपा कर के इस बात का ध्यान रखेंगे कि सदन के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार की ओर से इस तरह से इस विधेयक का ऐन वक्त पर लाना और ऐन वक्त पर ला कर यह दलील देना कि क्योंकि दिन बहुत कम रह गये हैं इसलिए बिना पूरा विवाद किये इस पर विचार कर लिया जाय और यह संकल्प मान लिया जाय और नियमों को छोड़ दिया जाय। मैं समझता हूं कि आप सदन के अधिकारों की रक्षा के लिए इस बात को मंजूर नहीं करेंगे।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, मैं आपकी सेवा में वैधानिक, पार्लियामेंटरियन पद्धति और नैतिक तीनों दृष्टिकोण से अपील करूंगा कि जो प्रस्ताव माननीय वित्त मन्त्री जो रखना चाहते हैं उसकी आज्ञा आप उन्हें न दें। वैधानिक बात तो यह है श्रीमन्, कि यदि सूक्ष्म दृष्टिकोण से नियम का अध्ययन किया जाय जिसकी भाषा इस प्रकार है :---

If the Government desire to move a resolution, they shall give seven days' notice and shall along with it supply a copy of the resolution to the Secretary, who shall have its copies sent to members within forty-eight hours of its receipt :

"Provided that the Speaker may allow a shorter Notice."

अब माननीय नारायणदत्त जी ने जहां तक इसका हिन्दी अनुवाद करके बतलाया वह तो अपनी जगह पर है ही लेकिन इसका जो सूक्ष्म भाष्य है उसे मैं आपकी सेवा में पेश करना चाहता हूं। जो शार्टर नोटिस स्पीकर एलाऊ कर सकता है उसकी भी इसमें एक सीमा है। मेरे भाषण का मतलब केवल इससे है---

"the Secretary, who shall have its copies sent to members within forty-eight hours of its receipt :

सेक्रेटरी को फोर्टी एट आवर्स पहले मेम्बर्स के पास रिजोल्यूशन की कापी भेजनी होगी। गवर्नमेंट को सात दिन पहले नोटिस देनी है। स्पीकर की अधिकार-सीमा की परिधि में यह

[श्री राजनारायण]

बात है कि अगर स्पीकर चाहे तो ७ दिन के नोटिस का पीरियड कम कर दे। बस मैं इसका अर्थ यह समझता हूं सीधा सादा, श्रीमन्, यदि आप चाहें भी तो आप अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते कि ४८ घंटे से भी कम की नोटिस के पीरियड को शार्टर करें, क्योंकि स्पीकर को जो अधिकार दिया गया है वह इतना ही है---

"Provided that the Speaker may allow a shorter notice."

केवल नोटिस के पीरियड को आप शार्ट कर सकते हैं। उस पीरियड को आप तीन दिन कर सकते हैं, चार दिन कर सकते हैं, पांच दिन कर सकते हैं। सेक्रेटरी को ४८ घंटे पहले नोटिस देना ही होगा। यह मेरा भाष्य इस नियम का है, फिर से पढ़ लें। यह हमारे सेक्रेटरी लोग रूल को पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं तो सुन रहा हूं। सेक्रेटरी को आप थोड़े ही सुना रहे हैं।

श्री राजनारायण---इसमें बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है---

"the Secretary, who shall have its copies sent to members within forty-eight hours of its receipt".

"Provided that the Speaker may allow a shorter notice."

केवल नोटिस के पीरियड को आप शार्टर कर सकते हैं। सेक्रेटरी को जो ४८ घंटे पहले सदस्यों के पास कापी भेजना है, उसके पीरियड को शार्टर करने का आपको अधिकार नहीं है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपकी आज्ञा से, सरकार की दिक्कत, पार्लियामेंटरी पद्धति, सरकार की दिक्कत है। मगर, श्रीमन्, आप यह जानते होंगे और जिस तरह से आप अवगत हैं कि सरकार ने इस चीज को मान लिया था कि सदन १६ को बैठे। सरकार ने पांच दिन की छुट्टी दी थी। सरकार की ओर से बराबर प्रयत्न हुआ कि छुट्टी पांच दिन की कर दी जाय, जिसका कि हमने विरोध किया और यह भी सरकार की ओर से तर्क नहीं दिया जा सकता कि सरकार पहले नहीं समझती थी, इस बात को कि उसको जल्दी विधेयक पास कराना है। जब गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक पर सदन में चर्चा हो रही थी, तब यह प्रस्ताव आया था कि पांच दिन की छुट्टी होगी। आपकी आज्ञा से मैंने सरकार से अपील की थी कि पांच दिन की छुट्टी हो जाने से १६ हजार रुपये का कम से कम नुकसान होता है क्योंकि उसमें चार दिन का भत्ता भी सदस्यों को दिया जाता है और अगर अपने स्थानों को आयें-जायें तो चार फर्स्ट क्लास के टिकटों का पैसा भी लेने के अधिकारी होंगे। इसका जो व्यापक असर हुआ और जो बाहर प्रचार हुआ, सरकार ने किसी तरह से मान लिया कि अब छुट्टी पांच दिन की नहीं होगी, तीन ही दिन की होगी। हमारे ऊपर इसका लांछन भी लगा, यहां पर कुछ सदस्य आये और कहे कि होली और दीवाली के अवसर नहीं रोकते, मगर ईद का त्योहार है इसलिए आप इसके विपक्ष में बोल गये। हमने कहा ऐसी बात नहीं है। अब आप देखें कि जब सरकार पांच दिन की छुट्टी कर रही थी और दो दिन का समय तो अपोजीशन की प्रेरणा से मिला, तो इस प्रकार १४, १५, १६ को हम और बैठ गये, वर्ना आज बैठते, सरकार के शेडयूल के मुताबिक सदन आज बैठता। पांच दिन की छुट्टी होती। तो फिर सरकार यह क्यों कह रही है कि जल्दी है? सरकार केवल यह चाहती है कि जो जनता की भावना विरोधी पक्ष के सदस्य यहां प्रतिबिम्बित कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, वह भावनाएं प्रकाशित न हो पायें। इसके सिवा सरकार के पास और कोई तर्क नहीं है और श्रीमन्, यदि

पार्लियामेंटरी पद्धति देखी जाय तो मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या यह पार्लियामेंटरी पद्धति में शोभनीय बात मानी जाती है कि इतना इम्पार्टेंट विधेयक जो कि जनता के जीवन से सम्बन्धित हो.....

श्री अध्यक्ष—आप प्वाइन्ट आफ आर्डर पर ही बोलिए। आप तो विधेयक पर जा रहे हैं।

श्री राजनारायण—उस पर नहीं जा रहा हूं। वह इसलिए कि इतना इम्पार्टेंट विधेयक उसको इतनी जल्दी पास करने की कोशिश है तो भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हर दृष्टिकोण से इस पर इतना समय मिलना ही चाहिए जिसमें जनता की भावनाओं को अच्छी तरह से प्रतिबिम्बित कर दें सदन में और सरकार जब हमको इस तरह रोकने की कोशिश करे इस तरह की चीजों को रख कर तब मैं समझता हूं कि विधान की दृष्टि से, पार्लियामेंटरी पद्धति की दृष्टि से और नैतिक दृष्टि से, जनतान्त्रिक प्रणाली की दृष्टि से, चारों तरफ से सरकार का दोष होगा और सरकार को अभी भी हम निवेदन करेंगे, विरोधी पक्ष के लोग निवेदन के रूप में कह रहे हैं इसको। तो यदि वह प्रस्ताव वापस ले लें तो आपकी भी दिक्कत बच जायगी और हमारी भी बच जाय। तो अब मैं निवेदन कर रहा हूं सरकार से, हर दृष्टिकोण से यदि आप देखेंगे, वित्त मंत्री जी महोदय, तो सरकार का पक्ष उचित नहीं प्रतीत होगा, जिद मालूम होगी और अन्ततोगत्वा यही नतीजा निकाला जायगा कि सरकार यह चाहती थी कि जब भावनाओं को अच्छी तरह से सदन में जनता के चुने हुए सच्चे प्रतिनिधि सदन में प्रस्तुत न कर पायें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको आप वापस ले लें और सदन के समय को उस पर नष्ट करने की आप कृपा न करें।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इस नियम के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूं। माननीय नारायणदत्त जी ने इस सदन के नियम की चर्चा करी और राजनारायण जी ने जो इसकी टीका करी वह मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। नियम में दो बातें कही गई—एक तो पहले ७ दिन का नोटिस और फिर सेक्रेटरी ४८ घंटे में उनकी नकलें मेम्बरान को भेज दें। इसके साथ ही साथ आपको यह अख्तियार दिया गया है कि अगर आप कोई जरूरी बात समझें तो आप इस मियाद को हटा सकते हैं। जो ४८ घंटे की बात है उससे नोटिस से कोई ताल्लुक नहीं। जो स्पीकर को अधिकार दिया गया है वह नोटिस की मियाद को हटाने का अख्तियार दिया गया है, यानी अगर अख्तियार हटा दिया जाय तो फिर ७ दिन का और ७ दिन के अन्दर जो ४८ घंटे मेम्बरान को कापी भेजने का नियम है वह भी हट जायगा और आपको अख्तियार है कि अगर आप समझें कि मामला जरूरी है और ७ दिन के नोटिस की जरूरत नहीं तो वह भी कम हो जायगा। माननीय राजनारायण जी ने इस नोटिस के शब्द को ४८ घंटे के साथ जोड़ दिया है। नोटिस का शब्द तो ७ दिन की मियाद के साथ है और उसको अगर आप समझें कि कोई जरूरी मामला हो तो उस मियाद को हटाने का आपको अख्तियार है। मैं निवेदन करूंगा कि जैसा मंत्री जी ने कहा मामला बहुत जरूरी है, उसकी जरूरत को देखते हुए और अहमियत को देखते हुए आप ७ दिन की कैद को हटा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—जहां तक वैधानिक प्रश्न उपस्थित किया गया है वह नियम ७६ के अन्दर दिया गया है। वह यह है कि प्रस्तावक ७ रोज का किसी प्रस्ताव के लिये नोटिस विधान सभा के सचिव को दे और दो दिन पहले यानी ४८ घंटे पहले उस प्रस्ताव की नकल हर एक सदस्य के पास सचिव पहुंचा दे। यह साधारण नियम इसमें

[श्री अध्यक्ष]

दिया हुआ है और मेरे पास जो अधिकार दिया है वह यह दिया है कि शॉर्टर नोटिस यानी उससे कम समय का नोटिस देने के लिये मैं स्वीकृति दे दूं। तो यह दो चीजें परस्पर एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। यदि नोटिस कम दे सकता हूं तो कितना दे सकता हूं, यह मुझे निश्चय करना होता है। तो कम नोटिस देने के लिये इजाजत भी जैसी सदन के कार्य के लिये आवश्यकता होती है उसी के अनुसार मैं देता हूं। यह तो नहीं है कि मनमाने तौर पर मैं नोटिस के समय को कम कर दूं। यदि आवश्यकता न हो तो मैं ७ रोज के नोटिस के लिये इनसिस्ट करूंगा कि ७ रोज का नोटिस आना चाहिये और यदि आवश्यकता ऐसी पड़ जाय कभी कि केवल तीन रोज की नोटिस की आवश्यकता है तो ३ रोज का निश्चय करूं या ४ दिन का कर दूं और उससे भी कम समय का नोटिस देने की जरूरत पड़ जाय तो उससे भी कम कर सकता हूं। तो यह आवश्यकता के ऊपर निर्भर रहता है कि कितने समय का नोटिस दिया जाय। तो यदि दो घंटे के नोटिस की आवश्यकता है और अगर दो घंटे के अन्दर किसी विषय पर होना है तो फिर दो घंटे के लिए भी नोटिस की मैं इजाजत नियमानुसार दे सकता हूं और इस तरह की इजाजत मैं समझता हूं इस सदन में कई दफे तत्काल आवश्यकता पड़ने पर दी भी गई है। जब नोटिस देने का समय कितना ही कम कर देने के लिए मुझे अधिकार है तो उसका परिणाम भी यह होता है कि यदि ४८ घंटे से कम समय का नोटिस देना मैं स्वीकार करूं तो यह असम्भव है कि किसी सदस्य को उसकी नकल उसके घर पर ४८ घंटे पहले मिले। किसी नियम की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जा सकती जो असम्भव चीज को भी सम्भव कर दे। तो ऐसे वक्त में इस नियम की यही व्याख्या सही होगी कि उस बीच में जो कुछ सम्भव होगा माननीय सदस्यों को नोटिस देने के बारे में वह मैं करूंगा। मैंने उसी के अनुसार यह उचित समझा कि उसके लिए थोड़ी सी नोटिस एक घंटे का तो कम से कम माननीय सदस्यों को मिल ही जाय अगर यह प्रस्ताव बाद में पेश होने वाला है और इसलिये प्रस्ताव को मैंने लंच के पहले सदन में सुना दिया था।

दूसरा सवाल यह है कि इस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए मैं आवश्यकता को भी जांचूंगा कि नोटिस कम करने की आवश्यकता है या नहीं। माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि कल शाम तक इस विधेयक को पारित होना आवश्यक है। माननीय पालीवाल जी ने भी इस चीज को स्वीकार किया लेकिन उन्होंने यह बताया कि इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। जहां तक नारायणदत्त जी हैं, उन्होंने कोई इस विषय में यह नहीं कहा कि १७ को यदि यह विषय पारित न भी हो और बाद में किसी दूसरे रोज भी पारित हो जाय तो कोई उसमें देर नहीं होगी, इस विषय में उन्होंने कोई जिक्र अपने भाषण में नहीं किया। श्री राजनारायण जी ने यह जिक्र किया कि १७ को पारित होना अगर आवश्यक है तो १६ को सदन की बैठक बुलाने की तजवीज क्यों कर रखी गयी थी, छुट्टी पांच रोज की क्यों रखी गई थी; तो इससे प्रतीत होता है कि १७ के के लिए पारित होने के लिए सरकार स्वयं आवश्यकता नहीं समझती थी और आज कोई नयी बात बना कर यह समय की बात कह दी गई है। इस विषय में बराबर सदन में एक दो दफा चर्चा हुई थी और उसमें वित्त मंत्री जी ने कहा था कि १७ तारीख को इस विधेयक को पारित होना चाहिये, शायद कल ही कहा था या परसों कहा था, और आज भी अपने भाषण में उन्होंने यही बात कही थी। जहां तक सरकार की जिम्मेदारी है अगर देर हो गई और माननीय सदस्यों को बहस का समय अधिक नहीं मिल रहा है तो देर होने की जिम्मेदारी सरकार पर अवश्य है और यह भी सही है कि सरकार ने १६ तारीख को जब सदन की बैठक छुट्टी के बाद तजवीज की थी उसमें भी उसकी कोई गलती हो सकती है, और उसने उस वक्त ख्याल ही किया था कि विधेयक १७ तक पारित होना आवश्यक है लेकिन सरकार की इस गलती से इस वस्तु-स्थिति का निर्णय

नहीं किया जा सकता कि उक्त विधेयक १७ को पारित होना चाहिये या नहीं। वह तो वाकयात का सवाल है, दिन गिनने का सवाल है और अगर उनकी गलती दिनों के गिनने में पहिले हो गई तो उसको बाद में उन्होंने दुरुस्त भी कर दिया था और सदन की बैठक १४ तारीख को बुलाई गयी। मैं समझता हूं कि सदन को भी स्वयं इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होगा कि इस विधेयक को कब तक पारित करना आवश्यक है क्योंकि सदन तो इस बात को जानता है कि किस तारीख को पारित होने से दूसरे सदन को उसे पारित करने का समय मिलेगा और उसके बाद श्री राज्यपाल और प्रेसीडेंट की सम्मति उस पर कब तक मिल सकेगी और उसमें कितना समय लगेगा; इस सम्बन्ध में अन्दाजा तो लगाया जा सकता है। यदि वह अन्दाजा पहले सरकार ने गलत भी किया हो और उसके बाद दुरुस्त कर दिया हो तो मैं पहिली गलती की वजह से सदन के कार्य में बाधा नहीं डाल सकता। सदन का कार्य होना आवश्यक है और सदन के लिए बार-बार विचार करने का मौका दिया जाता है कि उसके कार्य में बाधा न पड़े, और जो गलती हो गयी हो उसे दुरुस्त कर ली जाय। उन्होंने गलती दुरुस्त कर के विश्वविद्यालय का जो विधेयक चालू था उसको भी आगे की तारीख पर रख दिया जिसमें अधिक से अधिक समय इस बिल पर विचार करने का सदन को मिल जाय। इसके लिये मुझे यह भी मालूम हुआ, क्योंकि मेरे पास इस प्रकार के नोटिस दो तीन तरह के पहिले आ चुके थे, जो समय का निर्धारण कराना चाहते थे और उसके बाद कल भी एक आया था, और मुझे वित्त मंत्री जी ने कल यह स्पष्ट कहा था कि वह इस प्रयत्न में हैं कि उन्हें इस प्रकार का प्रस्ताव न लाना पड़े तो अच्छा होगा और वे विरोधी दल के सदस्यों से चर्चा कर रहे हैं। ये सब मालूमात जब मेरे सामने हैं तो इन सबको नजर में रखते हुए मैं यह नहीं कह सकता हूं कि सदन के कार्य की दृष्टि से कम नोटिस देने की आवश्यकता मुझे नहीं प्रतीत होती। मुझे वह अब स्पष्ट प्रतीत होती है। इसलिए कम अवधि का नोटिस देने के लिए मैं इस विषय में मंजूरी अपनी देता हूं।

अब इस नियम के इंटरप्रिटेशन के बारे में मैं एक नियम पढ़ कर सुनाये देता हूं कि कौन इन नियमों को इंटरप्रेट करेगा—

"If any doubt arises as to the interpretation of any provision of these rules, the decision of the Speaker shall be final."

यह २२२ नम्बर का नियम है, और मैं इस तरह का अपना फैसला पहले भी इसी तरह के प्रस्ताव आने पर १४ सितम्बर, १९५४ को दे चुका हूं। उसमें मैंने एक रोज का समय दिया था, नोटिस के लिए। जब उस समय सदन में प्रस्ताव आया तो मैंने कहा था कि आज मैं इसे नहीं लूंगा बल्कि कल लूंगा। तो भी ४८ घंटे से समय कम दिया गया था। इस तरह से वह फैसला इस सदन में हो चुका है और सन् ३७ में मेरे पूर्व जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी इसी तरह का दो एक रोज का नोटिस स्वीकार किया था और कार्य की आवश्यकता देख कर। तो जहां तक इस सदन की प्रथा रही है, यही रही है कि कार्य की आवश्यकता देख कर और कितना कम समय नोटिस देने का आवश्यक है उसको जांच कर अध्यक्ष निर्णय करता रहा।

दो ही रास्ते आज मेरे सामने मौजूद हैं कि या तो मैं आज इस प्रस्ताव को ले लूं और इसकी इजाजत अभी दे दूं, उसमें यह होगा—यदि प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि आज सात बजे तक सदन बैठेगा, दो घंटे अधिक बैठने का भी और बहस करने का भी लोगों को मौका मिलेगा; दूसरे, इसको मैं आज न लूं और कल सबेरे इसको ले लूं, तो सम्भव है यह हो सकता है कि तीन चार स्पीचेज होने के बाद और यदि वे भाषण लम्बे अर्से के हुए तो उन्हीं में पांच बज जायं। इसलिए वादविवाद की दृष्टि से कम समय सदन को मिलेगा। तो अगर आज ही मैं ले लेता हूं तो दो घंटे अधिक समय मिल जाता है, नहीं तो दो घंटे कम मिलेगा। तो जब मैं यह निर्णय देता हूं

[श्री अध्यक्ष]

कि दो ही रास्ते हैं---या तो मैं आज ले लूं अभी और दूसरा, अगर माननीय सदस्य चाहें तो कल सबेरे के लिए इस प्रस्ताव को मुल्तवी कर दूं और दो एक घंटे में इस प्रस्ताव के ऊपर बहस हो कर जो सदन की राय हो वह स्वीकार हो जाय और बाकी समय इस विधेयक पर विचार करने में खर्च हो।

इसलिए इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहूंगा माननीय नेता विरोधी दल से, या इस वक्त जो उनकी जगह डेपुटाइज कर रहे हों वह मुझे बता दें कि उन्हें आज इस प्रस्ताव को लेना पसन्द है या कल। दोनों में से एक फैसला उनका जो हो उसके अनुसार मैं समय दे दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, वैसे तो चूंकि आप आज्ञा दे रहे हैं कि इसको आज लेना पसन्द करेंगे या नहीं करेंगे लेकिन हमारी तो निश्चित राय है कि इस प्रस्ताव पर विचार करना ही हम पसन्द नहीं करते न आज और न कल। वैसे जो आपने रूलिंग दी है वह तो ठीक ही है लेकिन हम अपनी ओर से यह कहना चाहते हैं कि हम अपनी ओर से उस पर कोई विचार नहीं करना चाहते।

श्री अध्यक्ष---तो यह सोचकर कि मैं अधिक से अधिक समय दे सकूं इस विधेयक पर विचार करने के लिये, मैं समझता हूं कि आज ही इसके ऊपर विचार हो जाना चाहिये। अब माननीय वित्त मंत्री जी अपना भाषण प्रारम्भ करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, एक आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष---अब कोई आपत्ति नहीं आ सकती। मैंने तो आपकी वैधानिक आपत्ति पर फैसला दिया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---वह दूसरी आपत्ति है और उसको उसके साथ मिलाया नहीं जा सकता था।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठ जायं। वित्त मंत्री जी के भाषण देने के बाद जब आपका मौका आयेगा तब आप बोलेंगे। अब वित्त मंत्री अपना भाषण जारी करें।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जनाब स्पीकर साहब, मैंने गवर्नमेंट की तरफ से यह रिजोल्यूशन बहुत मजबूरी में पेश किया है। गवर्नमेंट यह नहीं चाहती थी कि इस तरीके को इस्तेमाल किया जाय और जो मामूली तारीका बहस का है उस तरीके पर बहस हो कर काम खत्म न हो। अभी मैं सुन रहा था कि यह कहा गया कि पहले दस तारीख को हाउस को छोड़ कर पांच दिन की छुट्टी करना गवर्नमेंट ने तय किया था सही है, मगर एक बात सब को याद में होगी कि यह जो तब्दीली हुई कि पांच दिन के बजाय तीन दिन की छुट्टी हुई यह कब हुआ। यह उस वक्त हुआ जब कि बिजनेस कमेटी का फैसला यह हमारे सामने आया कि सेल्स टैक्स बिल के लिये कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट ने इब्तदाअन सेल्स टैक्स बिल के लिये तीन दिन मंजूर किया था कि तीन दिन का वक्त इसकी बहस के लिये काफी होगा और उसके खत्म होते ही कौंसिल में एक दो रोज बहस हो जायगी। लेकिन जब बिजनेस कमेटी का यह फैसला सामने आया कि बिजनेस कमेटी मेम्बरान अपोजीशन की खातिर कोई वक्त उसके लिये मुकर्रर नहीं करती है तो गवर्नमेंट को यह शुबहा हुआ कि मालूम नहीं कितने दिन लगें। तो मजबूरी गवर्नमेंट को यह फैसला करना पड़ा कि पहले पांच दिन की जो छुट्टी थी वह पांच दिन नहीं रहेगी और उसके बजाय तीन दिन ही रह जायगी। चुनांचे वह हुआ और उसके बाद ही वह शुरू हुआ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सेल्स टैक्स बिल के पहले यूनीवर्सिटी बिल क्यों लाया गया, यह मेरे भाई और बहुत पुराने दोस्त जिनसे मुझे नियाज हासिल है और मेरे उनके बहुत अर्से से ताल्लुकात रहे हैं और चले आ रहे हैं बरसहा बरस से पालीवाल जी उन्होंने इरशाद फरमाया कि उसको क्यों ले आये थे। हमने हालांकि उसकी निस्बत पहले ही अर्ज कर दिया था कि वह इसी गलत-फहमी पर था कि मेम्बरान अपोजीशन ने कहा था कि हम चाहते हैं कि इसको लाया जाय हम जरूर ले आये। हमको नहीं मालूम था कि इतना वक्त लग जायगा। हमने जब ज्यादा वक्त लगते देखा तो बीच में छोड़ दिया। अब यह ऐसी बात है जिसको इन्सानी फैसला जिसका नाम है वह कहीं-कहीं कोताही कर सकता है, गलती कर सकता है, उसको देखते हुये इन्सानी फैसलों को जिस तरीके से बरता जाना चाहिये वही इसको समझना चाहिये। उसको इन्सानी के अलावा क्या कहा जाय, वह कोई फरिश्ते या खुदा या देवता या ऋषि-मुनि का फैसला तो नहीं है कि जिसमें किसी किस्म की गलती नहीं हो सकती, यह बात मुमकिन नहीं है। अब जैसा मैंने अर्ज किया कि हम यह चाहते नहीं थे और मैंने पूरी कोशिश की इस बात की कि ज्यादा से ज्यादा जितना वक्त भी इस बिल को दिया जा सकता हो उतना वक्त उसको मिले।

जैसा कि मैंने पहले अपनी गुजारिश में अर्ज किया था कि मैंने इस हाउस से बाहर जो लोग हैं जो इस कानून की बाबत और इस टैक्स के लगने की बाबत कहना चाहते थे पूछिये उनसे कि उनको कितना सुना है। सैकड़ों आदमी सैकड़ों से मेरा मतलब है हजारों, हजार आदमियों से ऊपर मेरे पास तशरीफ लाये हैं वक्तन-फवक्तन, सुबह को, शाम को, रात को और जिस वक्त कोई आया है उस वक्त मैंने उसको सुना है बड़े गौर से और जिन साहबान ने सुनाया है उनसे इस बात की तसदीक की जा सकती है कि मैंने कितना वक्त उनको दिया है। निहायत सकून के साथ मैंने उनको सुना। उसी तरीके से मैं चाहता था कि एक सकून और इत्मिनान के तरीके पर इस हाउस में बहस हो और अब भी जब मैंने तकरीर की है यहां उस वक्त भी मैंने यह अर्ज किया कि मैं यह सुनता हूं यहां बैठ कर कि मेम्बरान साहबान क्या कहते हैं और बिलखसूस गल्ले की बाबत क्या कहते हैं। मैं उन सबको सुन कर यह सोचूंगा कि मैं उनमें से किन-किन ख्वाहिशात को जो मेम्बरान ने जाहिर की है पूरा करूं। तो गवर्नमेंट की ख्वाहिश और मेरी जाती ख्वाहिश तो मुस्तकिल इस बात की रही है कि इस कानून के मुताल्लिक पूरा-पूरा मौका न सिर्फ जनता को बल्कि इस हाउस के मेम्बरान को भी मिले और गवर्नमेंट उससे फायदा उठाये।

जैसा कि मैंने अर्ज किया था, इसमें शायद १२-१४ क्लाजेज हैं। उनमें से सारे निकाल कर सिर्फ ५-६ क्लाजेज ऐसे हैं जो असली हैं और बाकी जितने हैं सब कांस्क्वेन्शल हैं, उनमें कोई ऐसी बात है नहीं जिसकी वजह से मैं उनको १४ की गिनती में रखूं। तो ५-६ क्लाजेज का बिल और उसके ऊपर ६ रोज तक बहस हो हाउस में और वह हाउस छै दिन के अन्दर भी उसको खत्म न कर सकें तो मैं समझता नहीं हूं कि किस तरह से कानून बना कर नाफिज हो सकेगा इस दुनियां के अन्दर? बोलने के लिये तो मैं समझता हूं कि एक महीने तक अकेले मैं ही बोल सकता हूं इस हाउस में और बाकी सब लोग सुनते रहें। यह तो मुमकिन है, लेकिन जो अक्ल का तकाजा है, यहां के ट्रेडीशन्स का जो एहतराम हमको करना चाहिये और सबसे ज्यादा यह कि हम पब्लिक एक्सपेचर के ऊपर हम यहां बैठते हैं, पब्लिक का खर्च हम करते हैं, हमारा जब मैं कहता हूं तो गवर्नमेंट और जितने मेम्बरान साहबान हैं उन सबको शामिल करके कहता हूं। पब्लिक हमारे टाइम की मालिक है और उसको हक है कि हम उस वक्त को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि हम पर पैसे की फिजूलखर्ची का इल्जाम न लग सके। मैं मेम्बरान को बचाना चाहता हूं कि फिजूल खर्ची का इल्जाम उनके ऊपर न लगे, वह बुराई मेरे ऊपर ही आये। मुझे दुनियां चाहे कुछ कह ले कि इब्राहीम बड़ा नालायक है मगर इस सदन के मेम्बरान को कोई कुछ न कह सके कि ये वेस्ट करते हैं सदन के टाइम को। मैंने बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किये

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

लेकिन मैं उनको ऐस्क्राइब नहीं करता किसी मेम्बर के लिये । लेकिन इसको देखते हुये मेरे ख्याल में किसी तरीके से आता नहीं है कि ६ रोज तक इस बिल के ऊपर बहस हो और इसके बाद भी वह बिल पास न हो । एक बात तो यह रही ।

दूसरी बात यह है कि मेरा जो यह रेजोल्यूशन है उसका जो कुछ मतलब है वह नाऊ ऑर नेवर का है । यह बिल कल खत्म होना है, यह ऐसी चीज है जिसके ऊपर और टाइम लगाना बिलकुल फिजूल है । इसलिये या तो मुझे जवाब मिले कि हां, तुम्हारा मन्जूर है या यह जवाब मिले कि तुम्हारा ना मन्जूर है । मैंने तो अपनी तरफ से यह अर्ज किया कि मुझे तो इस बिल को कल शाम तक खत्म करना है और इसको इसी रोशनी में स्पीकर साहब ने देखा और मेम्बरान ने भी देखा । अब मैं अर्ज करता हूं कि इस रिजोल्यूशन के मुताबिक आप इसको पास करें और कल शाम तक इसको खत्म कर दें । लेकिन जो तरीका मैंने कहा है मैं उसको छोड़ कर और इस रिजोल्यूशन को ठुकराने के लिये तैयार हूं और जो तरीका वह बतलायें उसको मैं मानने को तैयार हूं जिससे कल शाम तक यह खत्म हो जाय । मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि अब वक्त नहीं है । मैं जरूर अहतराम करता कि आपकी ख्वाहिश के साथ जाऊं लेकिन जा नहीं सकता हूं । इसलिये मैं दरख्वास्त करता हूं कि कल शाम तक इसको खत्म कर लीजिये और जो तरीका आप रखना चाहें रख लीजिये । मजबूरी आयेगी तो मैं इसको मानने के लिये हाउस से कहूंगा और इसीलिए यह पेश किया है यह कि पास हो ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं वैधानिक आपत्ति पेश करना चाहता हूं । आप, श्रीमन्, देखेंगे कि इस प्रस्ताव में दो पैराग्राफ हैं । एक तो टाइम एलोकेट के बारे में है कि इसके द्वितीय और तृतीय वाचन कब तक खत्म होंगे और दूसरा वह हिस्सा है जो आज के सेशन को दो घंटे और बढ़ाता है । इस तरह से इसमें दो विषय रख दिये गये हैं । एक तो एलोकेशन आफ टाइम का और दूसरा ऐक्सटेंशन आफ टाइम का । नियम ७९ इस प्रकार है कि:---

In order that a resolution may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely:

(1) It shall be clearly and precisely expressed,

(2) It shall raise substantially one definite issue."

इसमें यह है कि पहले तो प्रस्ताव ठीक ढंग से रखा जाय और दूसरा यह कि एक ही डेफिनिट इश्यू हो । लेकिन वित्त मंत्री जी का प्रस्ताव एक तो टाइम एलोकेशन के बारे में है और टाइम ऐक्सटेंशन के बारे में है, इसलिये यह प्रस्ताव अनियमित है । इसलिये वित्त मंत्री जी या तो दो प्रस्ताव लायें या इसी को ठीक ढंग से प्रस्तुत करें । मुझे नियम के अनुसार यही लगता है कि यह अनियमित है ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जब मैं उनकी तकरीर सुन रहा था तो मुझे एक शेर याद आया । उसको मैं जवाब में अर्ज करूंगा कि---

"इस सादगी पर कौन न मर जाय ऐ खुदा,
लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं ।"

यह जो अभी आपने रूल पढ़ा उससे यह नतीजा निकला कि यह दो बातों की बाबत है । हालांकि एक बात की बाबत दो बातें हैं लेकिन बात एक है शुरू से ।

श्री अध्यक्ष---प्रस्ताव के संबंध में नियम के जो शब्द "It shall raise substantially one definite issue." हैं, उनके सम्बन्ध में मेरा पहले एक फैसला हो चुका है और उसी को सदन के सामने उपस्थित कर दूं और

उसमें मैंने कई चीजों का जिक्र किया था और एक बड़ा भारी इस संबंध में फैसला दिया था। मैं इन दो, तीन वाक्यों को पढ़ देना चाहता हूं "एलोकेशन आफ टाइम आर्डर्स" के संबंध में, जो मेज पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस में है। आप इसमें ४६१ सफा देख लीजिये। वे इस प्रकार हैं कि:—

"As stated earlier, the allocation of limited amount of time to the stages of bills, and occasionally other kinds of business, forms no part of the general procedure of the House, but is applied in each case to a particular bill, or other specified business by a special order."

इनके संबंध में मैंने अपने पहिले निर्णय में यह जिक्र किया था कि जैसे साधारण बिजनेस या रिजोल्यूशन का तरीका होता है उस तरीके का, एलोकेशन आफ टाइम वाला जो प्रस्ताव है उसमें उस पद्धति का पालन नहीं होता। ऐसे प्रस्ताव में कई विषय होते है और वह विषय समय के संबंध में होते हैं और यह भी होता है कि फर्स्ट रीडिंग के लिये इतना समय हो, दूसरी रीडिंग के लिये इतना समय हो, बोलने वालों के लिये यह नियंत्रण हो और सदन का समय अगर बढ़ाने की आवश्यकता हो तो उसका भी संकेत प्रस्तावों से होता है। तो हर एक विषय जो इस दृष्टिकोण से प्रस्ताव में दिया हो कि यह विधेयक फलां समय के अन्दर पारित हो जाना चाहिये, वे सब विषय सब्सटैंशियली एक ही विषय हैं। प्रस्ताव के उद्देश्य की पूर्ति के लिये जितनी आवश्यक बातें हो वे सब उस प्रस्ताव में आ सकती हैं। इसी प्रकार का प्रस्ताव होता है। तो यह नियम जो और सब प्रस्तावों के लिये लागू होता है वह इसमें नहीं लागू होता है और मैंने यह फैसला १४ सितम्बर को दिया भी था और उस वक्त उक्त वाक्य पढ़ कर सुनाये थे। तो मैं समझता हूं कि अनेक विषय होने के संबंध में वैधानिक कोई आपत्ति प्रस्ताव के बारे में नहीं उठ सकती क्योंकि उसमें एक ही ईश्यू है कि १७ तारीख को ५ बजे शाम तक यह विधेयक पारित होना है और इसके लिये जिन बातों की करने की आवश्यकता है, टाइम फिक्स करने की, या टाइम के बढ़ाने की, वह सब उसके अन्तर्गत आ जाती हैं। इसलिये यह प्रस्ताव सब्सटैंशियली एक विषय से ही संबंधित होने के कारण मैं इस आपत्ति को वैधानिक नहीं समझता हूं।

अब मेरे पास संशोधन हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं विरोध करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—पहले तो मैं संशोधनों को ले लूंगा। मेरे पास तीन तरह के संशोधन आये हैं। एक तरह के वे हैं कि जिनमें कहा गया है कि १७ तारीख के बजाय इसको २१ तारीख को, २२ तारीख को या २५ तारीख को यह विधेयक खत्म किया जाय। एक २१ तारीख का है और एक २२ का है और दो २५ के हैं।

दूसरे किस्म के जो प्रस्ताव हैं उनका समय के निर्धारण से संबंध है कि ७—७ मिनट की जगह २०—२० मिनट का समय भाषणों के लिए दिया जाय। एक ३०—३० मिनट का समय देने का भी है और एक ३५ मिनट का भी है। इसी तरह का एक ४५ मिनट का और एक ५० मिनट का भी है।

तीसरा संशोधन इस प्रकार है कि यह विधेयक कल ५ बज कर ५ मिनट पर समाप्त हो, दूसरा है कि ५ बज कर ७ मिनट पर समाप्त हो, तीसरा, ५ बज कर १५ मिनट पर, चौथा ५ बज कर २० मिनट पर समाप्त होने के लिये है।

तो इन प्रकारों के प्रस्तावों के बारे में जो विचार उठ सकता है वह स्पष्ट ही है कि उनका उद्देश्य इस प्रस्ताव का जो मन्तव्य समय निर्धारण करने का है उसको डिफीट करने का है; यही उद्देश्य मालूम होता है। मैं पहले दो प्रकारों में से एक एक संशोधन ले लूंगा। यह जो

[श्री अध्यक्ष]
१७ के बजाय अन्य दिन मुकर्रर करने के संबंध के संशोधन हैं उनमें से एक को विचारार्थ ले लूंगा। बाकी एक-एक, दो-दो दिन का फर्क करने के जो संशोधन हैं मैं उन्हें समझूंगा कि फ्रिवोलस यानी अनावश्यक है उन्हें उपस्थित करने की अलहदा से अनुमति नहीं दूंगा। इस प्रकार के संशोधनों में जो अधिक से अधिक समय यानी २५ तारीख वाला है उसको मैं ले लूंगा। इसमें २२, २३ और २१ तारीख चाहने वालों को आपत्ति नहीं हो सकती अगर २५ स्वीकार हो जाती है।

इसी तरह से दूसरी प्रकार के संशोधन भाषण के समय के निर्धारण के लिये हैं। वह सब से अधिक समय ५० मिनट का है जो तेजप्रताप सिंह जी अपने संशोधन में चाहते हैं उनको भी मैं मौका दे दूंगा और अन्य सदस्य भी भाषण इस पर दे सकते हैं।

तीसरे प्रकार के संशोधन जो ५ बज कर १० मिनट या १५ मिनट या २० मिनट पर समय बढ़ा कर विधेयक की समाप्ति चाहते हैं उनमें से सबसे अधिक ५ बज कर २० मिनट का दिया गया है। उसके लिये तो मैं स्वयं समय बढ़ा कर उनकी मन्शा पूरी कर सकता हूं और फिर इन संशोधनों पर विवाद करने की सदन को आवश्यकता नहीं होगी और माननीय मन्त्री जी भी इसको स्वीकार कर लेंगे। अब मैं उक्त दो संशोधनों को सदन में उपस्थित करने की अनुमति देता हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जिनका २५ तारीख का संशोधन है उसी को आप रख रहे हैं। तो एक दृष्टिकोण से यह बात हो सकती है कि अगर इस सदन के सम्मानित सदस्य यह समझ कर कि २५ तारीख बहुत ज्यादा है तो वे २५ तारीख के पक्ष में नहीं हो सकते हैं और वे २२ तारीख के पक्ष में हो सकते हैं। इस तरह हम समझते हैं कि हमारे साथ यह अन्याय हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—उस समय वह अपने भाषण में २२ तारीख का सुझाव दे दें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, अलग-अलग इस पर वोटिंग होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैं सदस्यों को बोलने का मौका दूंगा किन्तु कोई भी आबस्ट्रक्शन (रुकावट) जिससे सदन के कार्य में रुकावट पैदा होती हो, उसको नहीं होने दूंगा। जिन संशोधनों को मैंने फ्रिवोलस (अनावश्यक) नहीं समझा वह मैंने ले लिये हैं।

*श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि पंक्ति ४ के शब्द "१७ मई" के स्थान पर शब्द "२५ मई" रख दिये जायं।

श्रीमन्, मेरा जो यह संशोधन है वह मैंने इसलिये रखा है कि यह जो बिल है वह बहुत ही इम्पार्टेंट बिल है और यह दो दिन में किसी प्रकार से खत्म नहीं किया जा सकता। वैसे सरकार कहती है कि वहां २७ तारीख तक इसको पहुंच जाना चाहिये और राष्ट्रपति के दस्तखत हो जाने चाहिये। तो क्या सरकार जब कि यह सदन दो अप्रैल से चल रहा है वह आज तक सोती थी? इसको चाहिये था कि वह पहले भी इसको ले आती। इसके साफ मायने यह होते हैं कि सरकार यह चाहती थी कि किसी तरह से आखिर में इसको ले आवें और जल्द से जल्द इसको पास करा लें ताकि इस सदन के सदस्य अपना मत ठीक प्रकार से प्रकट न कर पावें और गिलोटिन से खत्म कर दें। यह तो उचित बात नहीं है। इसको सरकार पहले ला सकती थी। इतना महत्वपूर्ण बिल जिससे प्रांत की करीब-करीब सभी जनता पर एक किस्म का टैक्स लगने जा रहा है और खाद्यान्न पर टैक्स लगने जा रहा है, कपड़े पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है और यहाँ तक कि नमक पर भी टैक्स लगाया गया लेकिन उस पर सरकार की सुबुद्धि जागी और उसको वापिस ले लिया। अब वे कहते हैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि कल पांच बजे तक उसको पास कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। इस बिल को कम से कम २५ तारीख तक पास होना चाहिये। उससे कम में यह बिल पास ही नहीं होना चाहिये। इसके अतिरिक्त यह दो घंटे जो आज बढ़ाये जा रहे हैं यह भी उचित नहीं है क्योंकि सभी लोग सुबह ११ बजे से आते हैं। उन लोगों को तो छोड़ दीजिये जो घर पर बीच में सोने के लिये जाते हैं लेकिन जो लोग यहां बैठ कर काम करते हैं उन लोगों के लिये यह बहुत ही अनुचित होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि उनको यह प्रस्ताव वापिस ले लेना चाहिये तथा इस बिल को वैसे ही चलने देना चाहिये।

हम लोगों का यह मकसद नहीं है कि इस बिल को बहुत दिनों तक चलायें या झूठमूठ को ही बहस करें। यहां तो लोगों ने कम से कम बोलने की कोशिश की है। क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वयं कहा कि वे १ महीने तक उस पर बोल सकते हैं इसलिये अगर कोई सदस्य एक घंटा भी बोलता है तो वह उसके लिहाज से बहुत ही कम है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि बहुत समय बरबाद किया गया। एक घंटे से ऊपर समय वित्त मंत्री जी ने इस प्रस्ताव को लाकर बरबाद कर दिया। आप कहते हैं कि हर सदस्य केवल पांच मिनट ही बोले। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है जिसके द्वारा प्रांत के हर एक आदमी के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। क्योंकि प्रांत का हर एक आदमी कुछ न कुछ सामान तो खरीदता ही है और उसको सेल्स टैक्स देना पड़ता है, कोई छूट नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं कि १७ प्रतिशत लोगों के ऊपर ही यह टैक्स पड़ रहा है लेकिन मैं कहता हूं कि इस प्रांत में ऐसा एक भी प्राणी नहीं बचेगा जिसको यह टैक्स न देना पड़े। मैं सोचता हूं कि जो इतना महत्वपूर्ण विधेयक है, जो लोगों के लिये बहुत ही घातक है उस विधेयक में वित्त मंत्री जी जल्दबाजी करना चाहते हैं और कहते हैं कि उसको कल ही खत्म कर दिया जाय। यह मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी के साथ अन्याय है, आपोजीशन के साथ अन्याय तो है ही। इसीलिये हमारा संशोधन है कि २५ मई से पहले इस विधेयक को पास किये जाने के बारे में यह सदन स्वीकार न करे।

*श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—माान्यवर, जैसा कि मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है, उसमें यह साफ है कि वह सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ हैं। मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं कि पंक्ति पांच में शब्द व अंक "७-७ मिनट" के स्थान पर शब्द व अंक "५५-५५ मिनट" व पंक्ति ६ में शब्द व अंक "५ मिनट" के स्थान पर शब्द व अंक "४५ मिनट" रख दिये जायं।

श्रीमन्, यह छिपाने की बात नहीं है और सदन के सब सम्मानित सदस्य इस बात से अवगत हैं कि इस प्रस्ताव की आवश्यकता क्यों हुई है और उस प्रस्ताव में इस संशोधन की आवश्यकता क्यों हुई है। यह बिलकुल साफ है; विरोधीदल को विचार न प्रकट न कर सकने के लिये जो प्रस्ताव माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब ने प्रस्तुत किया है उसमें इस संशोधन को रख कर हमारी यह मंशा है कि उन्होंने जो शीघ्रातिशीघ्र का प्रस्ताव रक्खा है उसमें विलम्ब लगाया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अध्यादेश के स्थान पर जो यह संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया है, वह एक महत्वपूर्ण बिल है और उसकी महत्ता को देखते हुये और उसके द्वारा अपने प्रांत के जनजीवन पर बढ़ती हुई कानूनी कर वृद्धि और गैरकानूनी कर वृद्धि को देखते हुये यह आवश्यक है कि कोई भी जन-प्रतिनिधि जो सचमुच जन-प्रतिनिधि होने का दावा करता है वह इसका घोर विरोध करे और वह इसलिये भी करे कि अपोजीशन में बैठे हुये भाइयों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह सरकार की टीकाटिप्पणी करें और उधर के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि उनका भी यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह भी इसका घोर विरोध करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वर लाल]

केवल एक बात मैं बिल के संबंध में भी यहां कह दूं। आपने देखा कि धारा ६ के अनुसार श्री गांधी आश्रम में उत्पादित मालों पर भी १,००० रुपया की जगह ४,००० रुपया एक मुश्त लिये जाने की व्यवस्था होने वाली है। शायद यहां कोई दूसरी ऐसी संस्था न होगी जिसके नाम के आगे पूज्य बापू महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ हो। आज यह सरकार जो उन के आदर्शों पर चल कर स्वतंत्रता प्राप्त कर चुकी है वह सरकार महात्मा गांधी के द्वारा ही स्थापित आश्रमों के माल पर कर लगाने जा रही है, इसलिये इसका घोर विरोध करना हमारा कर्त्तव्य हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि कानूनी तरीके से और गैरकानूनी तरीके से जो यह ६ करोड़ जनता पर कर लगाया जा रहा है उसका हम घोर विरोध करते हैं और इसीलिये हम कहते हैं कि ७ मिनट और ५ मिनट में कैसे कोई इसकी व्याख्या कर के श्री मंत्री जी की सेवा में अपने सुझाव और विचार और राहत पाने के तरीके रख सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि ७ मिनट का समय बढ़ाकर ५५ मिनट और ५ मिनट की जगह ४५ मिनट का समय रखा जाय, मैं समझता हूं कि सदन इसका समर्थन करेगा और इस बिल की अहमियत को देखते हुये सारा सदन एक मत से हमारे संशोधन को स्वीकार करेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, मैं माननीय रामेश्वर लाल जी और माननीय जगन्नाथ मल्ल जी के संशोधनों का समर्थन करने के लये खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले माननीय पालीवाल जी पर यह छींटाकशी की गयी थी कि उन्हीं के मंत्रित्वकाल में यह मूल बिल पास हुआ था और क्योंकि वह आज इधर बैठ गये हैं इसलिये वह इसका विरोध कर रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब बिक्री-कर का मूल अधिनियम पास हुआ था तो सदन में उसके लिये बहस के कितने दिन रखे गये थे? मेरी जानकारी है कि १४ दिन २ सप्ताह में वह बिल पास किया गया था, जो यह संशोधन बिल है और जो आर्डिनेंस निकाला गया था उसका जब हम पुराने मूल बिल से मुकाबला करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि अगर सरकार मूल अधिनियम पर लगे समय को देख कर ही चलती तो इस तरह का बवंडर उसके सामने न होता। इस संशोधन बिल के द्वारा सरकार मनुष्य के और मनुष्य के ही नहीं, मनुष्य की कमाई पर जिन्दा रहने वाले जो पशु और जीव हैं उनकी जिन्दगी पर भी पाबन्दी लगाने जा रही है। ऐसे बिल पर जब कि अनाज पर टैक्स लगाया जाय, छोवा जिसको शीरा कहते हैं हमारे पूर्वी जिलों में मैं समझता हूं, श्रीमन्, और जनवरी के महीने से ले कर मार्च के महीने तक जो खेतिहर मजदूर हैं, जो पूर्वी जिलों में ३०-३५ फी सदी की तादाद में हैं वह छोये का रस पीकर अपनी जिन्दगी बिताता है। ऐसी चीज पर जब टैक्स एक आना फी रुपया लगाने का इरादा इस विधेयक में आर्डिनेंस के जरिये हो, गुड़ पर टैक्स लगाया जाय, कपड़े पर टैक्स लगाया जाय और जो मोटा अनाज है उस पर टैक्स लगाया जाय, इतनी बड़ी पाबन्दी कर के सरकार जीवन को पंगु बनाना चाहती हो और इस विधेयक पर ७ मिनट और ५ मिनट बोलने का संकल्प प्रस्तुत किया जाय, मैं समझता हूं, श्रीमन्, अगर इसको दूसरा काला कानून कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी।

श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा खासकर के उधर के बैठने वाले सदस्यों से, जरा वे भी वित्त मंत्री जी से कहें और उनके हाथों को कमजोर करने की कोशिश करें कि सरकार इस तरह के संकल्प को इस सदन में लाने की हिम्मत न करे। श्रीमन्, ऐसा संकल्प जिससे इस प्रदेश की साढ़े ६ करोड़ जनता का संबंध हो, जनता ही नहीं श्रीमन्, इस प्रदेश की सारी चीजों पर इस तरह से पाबन्दी की जाय यह ठीक नहीं है और श्रीमन्, मैं आपके जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं और मैं आप से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपको जरा अपने विधान

सचिवालय में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो चपरासी हैं, उधर भी आपको ख्याल करना चाहिये। यह बात ठीक नहीं है कि हमारे गल्ले पर, कपड़े पर, रोजमर्रा की इस्तेमाल करने वाली चीजों पर.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप विधेयक पर न जाइये, केवल संकल्प पर ही रहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—संकल्प पर ही कह रहा हूं। इस सचिवालय के कर्मचारी और विधान सभा के कर्मचारी जो आपके अधीन रहते हैं ठीक पौने दस बजे यहां आ जायं और दस बजे से सात बजे तक, श्रीमन्, इस हाउस में बैठे रहें यह कुछ ठीक नहीं है। हम लोग विधान सभा के सदस्य, श्रीमन्, उठ कर चले जाते हैं, हाउस को छोड़ कर लाबी में बैठते हैं, कमरे में सोते हैं और कोरम पूरा होने के लिये, आप जानते हैं, सदन में घंटी बजाई जाती है लेकिन विधान सभा सचिवालय में काम करने वाले चपरासी मूक हैं और उन मूक आदमियों का हमको ख्याल करना चाहिये। आखिरकार उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिये, उनसे कितना काम लेना चाहिये, मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था कि जब चाहा सदन १० बजे तक बैठा, १२ बजे तक बैठा, यह कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि यह संकल्प जो वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है उनकी नजरों में बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन, श्रीमन्, उनकी नजरों में महत्वपूर्ण होते हुये भी ८ मई को तीन बजे यह संकल्प प्रस्तुत किया गया और ८ मई से आज तक केवल ५ दिन होते हैं। ५ दिन में कितने महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर विचार हो सका है। जितने इसके खंड हैं और हर खंड पर जो माननीय सदस्यों के विचार हैं वे अपने विचार न दे सकें और बिना विचार दिये हुये सरकार मजबूर करे कि यह संकल्प पारित कर दिया जाय; मैं समझता हूं, श्रीमन्, अंग्रेजी जमाने में भी ऐसा हुआ नहीं करता था।

अंग्रेजी जमाने में, श्रीमन्, आपको याद होगा आपने प्रतिनिधित्व किया हम लोगों का। अंग्रेजी सरकार भाषण स्वातंत्र्य पर प्रतिबन्ध लगा दिया करती थी और जब हम लोग बोलते थे तो जेलखाने की सजा पाते थे। अब यह सरकार ऐसा संकल्प प्रस्तुत करे कि सारे कर्मचारी सचिवालय के ७ बजे तक आ कर बैठे रहें और विधान सभा के सदस्य विधेयक को पढ़ें या न पढ़ें; जैसा सरकारी बेंच पर बैठने वाले सदस्य हां में हां मिलाया करते हैं, वैसे ही विरोधी दल भी हां में हां मिलायें। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी की नजरों में यह विधेयक महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं जानता हूं कि इस प्रदेश में बसने वाली कम से कम ६ करोड़ जनता तो ऐसी है जो इस विधेयक को काला कानून मानती है और मैं, श्रीमन्, आपसे कहना चाहता हूं कि यही एक ऐसा विधेयक है कि जिसका विरोध इस प्रदेश में इतने जोर से हुआ है। आज तक अंग्रेजी राज्य में बहुत से काले कानूनों के खिलाफ हड़तालें हुईं, लोगों ने कानूनों को तोड़ा। लेकिन कांग्रेसी हुकूमत का यही था एक सब से बड़ा काला कानून जिसका इस प्रदेश की जनता ने विरोध किया और जनता के इतना विरोध करने के बावजूद, मैं आपके जरिये जानना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी बतायें कि इस प्रदेश से कितने तार और कितनी चिट्ठियां, इस कानून के विरोध में आयीं, कितने लोगों ने प्रस्ताव पास कर के उनके पास भेजे?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि फिर आप विधेयक पर आ गये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतने खराब विधेयक पर बोलने पर प्रतिबन्ध लगा देना, यह उचित नहीं है। जब मूल अधिनियम १४ दिन में पास किया गया था जिसमें इतने करों की भरमार नहीं थी, और यह संशोधन विधेयक जो हमारे जन-जीवन से पग-पग पर संबंध रखता है उसको केवल ६ दिन में पास कराना यह बिलकुल अनुचित है। उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य न बोलते, सरकार उन पर प्रतिबन्ध लगा देती, जैसा कि वह लगाया करती है, लेकिन विरोधी पक्ष के सदस्यों की भावनाओं का

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

आदर और सत्कार करती, सुनती तो हो सकता है, और मेरा विश्वास है कि सरकार अगर हठवादिता पर नहीं है और कुछ सोचती-समझती है, उसके अन्दर सद्भावना है तो मेरा खयाल है कि इधर के बैठने वाले जो माननीय सदस्य हैं या उधर के भी कुछ माननीय सदस्य जैसा माननीय शिवनारायण जी हैं, कभी-कभी वह सही बातें कहा करते हैं। ऐसे जो सदस्य हैं, शायद उनके मत को जानने से सरकार के मत में परिवर्तन होता। लेकिन यह प्रतिबन्ध उसे रोकता है जो अनुचित है। मैं आपके जरिये इस संशोधन का समर्थन करता हूं और इस संकल्प का घोर विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं आपकी सेवा में बहुत दुखित हृदय से निवेदन करना चाहूंगा। जब सारी जनतांत्रिक पद्धतियां टूटती हैं, जब नैतिकता का लेशमात्र सरकार में अंश बाकी न रहता हो, जब जनतांत्रिक प्रणाली को तिलांजलि दे दी जाती हो, उस अवसर पर मैं आप ही से निवेदन करूंगा कि आप बतायें कि हम कौन सा तरीका अख्तियार करें। एक तरफ जनतांत्रिक प्रणाली भी तोड़ी जाती हो, पार्लियामेंटरी प्रणाली भी तोड़ी जाती हो, और उसके साथ बेहयाई का प्रकाश भी होता हो, तो आप ही हमें बता सकते हैं कि हम सरकार के विरोध करने का कौन सा तरीका अख्तियार करें? जब से इस सदन में माननीय वित्त मंत्री जी का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और जब से इस सदन में उस पर चर्चा होने का फैसला हुआ तभी से मैं बराबर सोच रहा हूं कि क्या नवीन जनतांत्रिक प्रणाली हमारे देश में पार्लियामेंटरी पद्धति को विकसित करने के लिये अपनायी जाय। मैं देखता हूं कि आज बृटिश पार्लियामेंटरी, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में भी यद्यपि ऐसे अवसर और ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि सरकार का विरोध किया गया है जिसको कभी-कभी कोई अनपार्लियामेंटरी भी कहता रहा हो। अगर मैं आज आप से, श्रीमन्, पूछना चाहता हूं कि इस सदन में आप हमें आज्ञा प्रदान करें कि सरकार की हठवादिता का किस तरह से, किस तरीके से, विरोध करें। (व्यवधान) जरा शान्त रहिये।

श्री अध्यक्ष---आप मुझ से कहें तो मैं उन से शान्त होने के लिये कह दूंगा।

श्री राजनारायण---श्रीमन, इमीडियेट इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ता था इसलिये मैंने उस अधिकार का प्रयोग कर लिया निवेदन के रूप में। मैं आपसे और आपके द्वारा इस सरकार से फिर निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव के बाद विवाद के खींच में ही उचित है कि अपने प्रस्ताव को वापस लें और यदि यह सरकार अब भी हठवादिता के रास्ते पर दृढ़ हो कर निश्चय करेगी तो माफ किया जायगा, आप भी श्रीमन, माफ करेंगे, यह सदन भी माफ करेगा, माफ करेगा बाहर का विद्वत् समाज भी, हम भी अपने फैसले की दृढ़ता के साथ लागू करेंगे। फैसला क्या होगा वह सरकार के अंतिम रुख और अंतिम कदम पर निर्भर होगा। सदन के बाहर होगा या यहां होगा सरकार के हमारे निवेदन के मानने या न मानने से होगा। आज सरकार के पास क्या औचित्य है कि यह कह दे कि १७ तारीख को यह विधेयक पास हो जाना चाहिये। हम उससे निवेदन करते हैं कि हमें और अवसर प्रदान कीजिये, हम सोच विचार रहे हैं। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे तो सरकार कहे कि नहीं। यह कहां तक उचित है?

सरकार कहती है कि आप हमारे कार्यक्रम में बाधा डाल रहे हैं, विरोधी पक्ष के लोग। मैं समझता हूं कि यह सरकार की ज्यादती है और यह ऐसी ज्यादती है जिससे जनतान्त्रिक प्रणाली से ओतप्रोत, जनतान्त्रिक प्रणाली को समझने वाले व्यक्ति के अन्दर विद्रोह की भावना पैदा होनी चाहिये और इस तरह से सरकार की हठवादिता के आगे झुकना मैं समझता हूं तानाशाही को बढ़ावा होगा। इसलिये सरकार के इस कदम का

हिम्मत और साहस के साथ जम कर विरोध होना चाहिये। इसका दोष अगर किसी पर है तो वह सरकार पर होगा। श्रीमन्, सदन परिचित है जब यह विधेयक इस सदन में प्रस्तुत हुआ उस समय भी सरकार की ओर से इसका तर्क नहीं दिया गया कि यह विधेयक १७ तारीख को ही पास हो जायगा, इसका कोई भी संकेत तक नहीं था। ९ तारीख को भी सरकार की ओर से कोई ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं हुआ जब कि सरकार की ओर से बराबर कोशिश होती रही कि ५ दिन के लिये सदन स्थगित हो। फिर एकाएक सरकार की ओर से, कल से यह प्रयत्न जारी है कि समय बांध दिया जाय, वलोजर के रूप में समय बांध दिया जाय, इस अवधि के अन्दर तक इसको पास किया जाना ही आवश्यक है। क्या यह सरकार की ज्यादती नहीं, हठवादिता नहीं है ? फिर भी, श्रीमन्, आप हमारी उदारता को देखेंगे, हमारे धीरज को देखेंगे, आप हमारी जनतान्त्रिक प्रणाली को देखेंगे, पद्धति अपनाने की शक्ति और क्षमता को देखेंगे कि हम बराबर सरकार की ओर से जो हठ होती जा रही है और गैरजनतांत्रिक बातें होती जा रही हैं, उनको भी एक न एक रूप से मानते ही जाते हैं और अगर मानते न जाते तो पता नहीं परिस्थिति क्या से क्या होती। चाहे उसका कष्ट हमें उठाना पड़ता या सरकार को उठाना पड़ता। हमारे एक सम्मानित सदस्य ने सुबह कहा था कि सदन वंचित हो जायगा। आपकी सेवा से तो क्या बिगड़ जायगा। मैं उधर नहीं जाना चाहता। यह डिक्टेटर और तानाशाही का प्रतीक था.....

श्री अध्यक्ष—उन्होंने यह कहा था कि उनका नुक्सान होगा।

श्री राजनारायण—उन्होंने अगर यह कहा कि उनका नुकसान होगा तो ठीक है। तो वह समझें, न नुकसान होने दें। ऐसी परिस्थिति न पैदा करें, यह तो उन्हीं के ऊपर मुनहसर करता है। हमारे ऊपर मुनहसर करता है कि जब सरकार का जोर जुल्म बढ़ता हो, सरकार गैरजनतांत्रिक प्रणाली अख्तियार करती हो, सरकार तानाशाही का रास्ता अख्तियार करती हो, और सरकार सदन के अन्दर भी हमें अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर न देने पर तुली हो तो हमारे लिए, हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम सरकार का जम कर के विरोध करें और यदि उसने कोई कानून भी टूटे तो उसकी परवाह न करते हुए भी विरोध करें। इस लिए, श्रीमन्, मैं पहले अपने औचित्य को आपकी सेवा में निवेदन करूंगा और आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों की सेवा में निवेदन करूंगा कि यह क्या कोई आज नयी बात है।

कितनी बार ऐसा किया गया अगर इसका आंकड़ा जुटायेंगे माननीय परिपूर्णानन्द जी या और कोई कि कितनी बार सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि जल्दी है, आज खत्म हो जाना चाहिए, आज इस विधेयक को पास होना है, यदि आज इसको पास नहीं किया तो बहुत बड़ी आफत हो जायगी, मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि अगर यह आर्डिनेंस अस्तित्व में न रह जाय तो देश का क्या बिगड़ जायगा, प्रदेश की जनता का क्या बिगड़ जायगा ? अगर २७ के पूर्व तक राष्ट्रपति की स्वीकृति यहां पर नहीं आ जाती है तो कौन सी आफत आ जायगी, कहां धरा धंस जायगी, कहां आकाश फट जायगा, कहां पृथ्वी रसातल को चली जायगी, कौन सी इमर्जेंसी है, कौन सी आफत है, कौन सी मुसीबत है, यह हमें सरकार की ओर से बताया जाय। जब सरकार यह जानती है कि जो अध्यादेश माननीय राज्यपाल महोदय ने लागू किया था वह अध्यादेश इस विधेयक के द्वारा स्वतः परिवर्तित हो रहा है, उसकी धारायें बदली जा रही हैं, उसमें बहुत दोष थे, बहुत त्रुटियां थीं, बहुत खामियां थीं, तो मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि यदि वह अध्यादेश नहीं रहता, खत्म हो जाता है तो क्या बिगड़ जायगा ? क्यों ऐसी आफत पड़ी है; क्यों अधिकारों की अवहेलना की जा रही है; क्यों हमारी वाणी पर ठेस लगायी जाती है, रोक लगायी जाती है, सरकार की ओर से कोई इसका उत्तर नहीं मिला। फिर भी देखा जाय तो हम अपनी ओर से विलम्ब करने के दोषी नहीं हैं। हम बराबर अपनी ओर से प्रयत्नशील हैं कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी यह विधेयक पास

[श्री राजनारायण]

हो जाय। हो जाय जो कुछ इसका असर होने वाला है क्योंकि सरकार समझती है कि यह बिक्री कर विधेयक है और अगर उसी दृष्टि से मैं समझता हूं तो मैं यह समझता हूं कि यह वर्तमान कांग्रेस सरकार समाप्ति विधेयक है।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—तब तो आपको खुशी होनी चाहिये।

श्री राजनारायण—इसीलिए कह रहा हूं। मगर, श्रीमन्, शिक्षा मंत्री जी बोलने से बाज नहीं आयेंगे। जवाब देना ही पड़ेगा। अपना विषय होता तो बोलते तो कोई बात नहीं थी। मैं सोचता हूं कि कहीं ऐसा न हो जाय कि लोग समझने लगें कि हमारे और आपमें कोई कटुता है, यद्यपि हमारी तरफ से नहीं है। मैं तो क्षमा करता रहता हूं, और, श्रीमन्, हमेशा से वह जानते हैं कि हमने उनको कई बार क्षमा किया। श्रीमन्, मैं आपसे यह कह रहा था, आपके द्वारा मैंने कल कहा था कि बुजुर्गों बअक्ल अस्त न बसाल। फिर मैं उसको दुहराता हूं। मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा यह निवेदन कर रहा हूं कि हमारे धीरज को देखा जाय। 'धीरज हू कर धीरज भागा', ऐसी परिस्थिति तो सदन में न पैदा की जाय। जब निवेदन किया गया कि सदन १४ और १५ को भी बैठे तब भी सरकार की ओर से विरोध हुआ था, तब भी हमारे पास सदस्यगण भेजे गए थे कि अगर वह पहले से कह दें कि हां, ठीक है तो हम मान लें। मगर हमने तो देखा कि कहीं किसी ईद मनाने वाले के ऊपर इसका असर पड़ने वाला नहीं है, खुशी-खुशी हम अपनी ईद भी मनायेंगे और १४ को सदन भी बैठेगा। फिर जब मैं आपकी सेवा में यह निवेदन करूं कि सरकार की भावना क्या है, सरकार की मनोवृत्ति क्या है तब कभी-कभी, श्रीमन्, आपके कोप का भाजन भी मुझे होना पड़ता है। कभी-कभी, आप यह कहते हैं कि तीखे स्वरों का प्रयोग मैं करता हूं। अब इस सरकार के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाय ?

दूसरी बात अब मैं यह कहता हूं कि १६ तारीख आज है। १७ तारीख को यह सरकार कहती है कि यह विधेयक यहां से पारित हो जाना चाहिये। हमारा यह कहना है कि एक तरफ तो अध्यादेश ही समाप्त हो जाय तो कोई अनिष्ट होने वाला नहीं। दूसरी तरफ यदि उसी अध्यादेश को बचाना है तो सरकार की ओर से बार-बार यह तर्क दिया गया कि ४ दिन का समय लग गया। तो ४ दिन का समय क्या है, श्रीमन् ? मैं इसीलिए चाहता था कि हमारा संशोधन आ जाता जिसमें कि हमने रखा था कि २२ तारीख इसके लिए कर दी जाय, मगर आपकी आज्ञा नहीं हुई। २५ तारीख ही को जो संशोधन आया उसी को आपने इस सदन में रखने की आज्ञा प्रदान की, इसीलिए उसी के समर्थन में मैं बोल रहा हूं और उसके समर्थन में बोलते हुए सरकार से निवेदन करूंगा और विरोधी पक्ष के अन्य सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि अगर कोई बीच का भी रास्ता निकल जाय, अभी तो निकले, जिसमें कि वह विधेयक भी पास हो। हम जानते हैं कि वह सरकार विनाशक विधेयक है, अगर पास हो जाय तो कोई हर्ज नहीं है। श्रीमन्, मैं बिलकुल निश्चित रूप से हूं कि यह विधेयक सरकार विनाशक विधेयक है। तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं, इसीलिए मैंने २२ तारीख रखी थी बीच की और १६, १७, १८ तीन दिन का इधर समय मिल जायगा। १९–२० की छुट्टी है, २१ और २२, दो दिन का समय मिल जायगा। २३–२४ को कौंसिल में पास हो जायगा और कौंसिल से आकर के २४ को सरकार के माननीय मंत्रिगण जो देश के ठेकेदार बने हुए हैं विकास के, वह राष्ट्रपति के पास या केन्द्र के मंत्रियों के पास भेज सकते हैं कि इसमें जल्दी कर लीजिये। वह तो समझ चुके हैं कि इसमें क्या है, वह बराबर छानबीन करते रहेंगे, अध्यादेश में भी छान बीन करते थे और इस प्रदेश के मुख्य मंत्री जी और केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों में विरोध भी बाद में पैदा हुआ, उसका संशोधन और परिमार्जन भी हुआ। तब कोई भी औचित्य नहीं है कि सरकार बजिद होकर यह कहे कि नहीं १७ को ही पास

कर दिया जाय। तो सरकार इसको धमकी न माने। मैं अभी निवेदन ही करना चाहता हूं कि सरकार बजिद न हों और मंत्री जी उसको वापस लें।

श्री शिवनाथ काटजू—अध्यक्ष महोदय, मैं इन सब संशोधनों का विरोध कर रहा हूं। संशोधन एक तो समय बढ़ाने के सम्बन्ध में है और दूसरे तारीख बढ़ाने के सम्बन्ध में है। मैं बहुत नरमी के साथ आपके द्वारा अपने मित्रों से जो विरोधी दल में हैं, निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो इस वक्त रवैया अख्तियार किया है वह यह हो सकता है कि उनके अख्तियार में हो, लेकिन यह आब्सट्रक्शनिस्ट टैक्टिक्स के अन्दर आ जाता है। कोशिश उनकी हो रही है कि किसी तरह से वक्त बढ़ाया जाय। मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करूंगा कि किसी को यह मुगालता नहीं है, यह भ्रम नहीं है, कि विरोधी दल के सदस्य इस विधेयक के विरोध में नहीं हैं। आज वह बाहर जाकर कह सकते हैं कि हमने बार-बार इसका विरोध किया और सब जानते हैं कि उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन यहां इस प्रकार की रुकावटें डालना और इस तरह के प्रस्ताव लाना कि ५ मिनट और १७ मिनट और १५ मिनट बढ़ाए जायं यह सिर्फ रोड़ा अटकाने वाली चीजें हैं। आज यह कहा जा रहा है कि यह बिल बहुत खराब चीज है, विष है, लेकिन विषपान उनको नहीं करना पड़ेगा, विषपान तो हमको करना पड़ेगा, नीलकंठ तो हम ही बनेंगे। वे तो यह कह देंगे कि यह ऐसी बुराई थी जिसका हमने विरोध किया तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप कह सकते हैं कि बहुमत वालों ने इस बिल को पास किया फिर जो कुछ भुगतान होगा वह हमको भुगतना पड़ेगा। क्या आपको ही जनता का सारा दर्द है और हमारे कलेजे फौलाद के बने हुये हैं? क्या जितना दर्द है सब आपके अन्दर समा कर रह गया है और हमसे जनता से अब कोई ताल्लुक नहीं है? जिस दिन जनता का ताल्लुक हमसे खत्म हो जायगा उसी दिन मुमकिन है कि आप वहां नजर आयें जहां आज हम हैं और हमारा इस सदन के किसी कोने में भी ठिकाना न रहे। आपकी जिम्मेदारी अगर चार आने की है तो शायद हमारी जिम्मेदारी १२ आने है। मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन के पीछे जो लक्ष्य है, जो तात्पर्य है वह सिर्फ यही है कि काम को रोका जाय। जहां तक इसके सिद्धान्त का सम्बन्ध है और जहां तक सुझावों का सम्बन्ध है, वह काफी आ गया है और अभी इतना वक्त है कि आ जायगा, इस लिये यह कहना कि कोई बात रह जायगी वह मेरे ख्याल में नहीं कही जा सकती। काफी बहस हो चुकी है, और अभी काफी वक्त है उसमें और बहस हो जायगी। मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं।

***राजा वीरेन्द्र शाह** (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय वित्त मन्त्री जी के द्वारा भवन के सामने पेश किया गया मैं उसका विरोध करता हूं। मैं समझता हूं ऐसे समय में सरकार का गिलोटीन रिजोल्यूशन लाना आवश्यक नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसा समय यह नहीं था कि सरकार को इतनी जल्दी इस प्रस्ताव को लाने की आवश्यकता पड़ जाय। श्रीमन् को यह याद होगा कि जब कल जेनरल डिस्कशन चल रहा था और हम अपने-अपने विचार रख रहे थे और वित्त मंत्री जी चाहते थे कि हम लोग अपने विचार रखें और हम भी समझते थे कि सरकार ने जनता की आवाज पर इतने संशोधन किये हैं उसके कारण हम लोग अपने-अपने विचार हर दृष्टिकोण से सरकार के सामने रख रहे थे उस समय कांग्रेस पार्टी समझिये या सरकार की तरफ से समझिये जान बूझ कर या भूल से क्लोजर आ गया और विरोधी दल के सभी लोग मजबूर हो गये और हम लोग बाहर चले गये। उस समय जब हम भवन में नहीं थे, विरोधी दल का कोई आदमी नहीं था उस समय सरकार ने संकेत नहीं किया कि सेकेन्ड रीडिंग कल शुरू की जायगी और पांचवें क्लाज तक पास करा लिया तो विरोधी पार्टी भी ऐसी स्थिति में उत्तेजित हो जाती है और डिलेइंग टैक्टिक्स

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा वीरेन्द्र शाह]

लगाती है। जैसा शिवनाथ जी काटजू ने अभी कहा कि हम अड़ंगे डाल रहे हैं तो मैं पूछता हूं कि सरकार की तरफ से यह क्यों हो रहा है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर जिस पर अपना विचार रखना चाहते हैं नहीं रखने देना चाहती। हम चालीस पैंतालीस आदमी कितना विरोध इसका कर लेंगे और कितना डिले कर देंगे हम इसको पास तो करा नहीं सकते। पांच क्लाज तो हमारी अनुपस्थिति में आपने पास करा ही लिये जो बड़े महत्व के थे। छठवां क्लाज जो महत्व का था वह भी पास हो ही गया तो अब क्या आवश्यकता गिलोटिन रिजोल्यूशन की रह गई? अभी माननीय राजनारायण ने इसके साथ ही साथ एक सुझाव दिया कि वे स्वयं चाहते हैं कि २२ तारीख तक इस पर विचार हो जाय। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि २२ तारीख तक बहस करने का मौका है और २३ और २४ को कौंसिल में भेज सकते हैं वहां पर विचार हो जायगा, उसके बाद दो तीन दिनों में बाहर भेज कर असेंट मंगाई जा सकती है। इस निगाह से इस बात को देखें और इस निगाह से नहीं कि जैसा काटजू साहब कहते हैं कि हम तो बाधा डाल रहे हैं। मैं कहता हूं कि हमारे उपमंत्री तो दो-दो घंटे बहस में लगाते हैं। जब सरकार को स्वयं मालूम है तो क्या आवश्यकता थी? सिर्फ पार्टी प्रोपेगेंडा के लिये दो-दो घंटे लिये हैं उपमंत्रियों ने और लांछन हम पर लगाया जाता है कि दो-दो घंटे हम लोग लगाते हैं। हम अगर लगाते हैं तो सही लगाते हैं। हम जानते हैं कि जनता का इसमें अहित हो रहा है। तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, इसे वापस ले लें मंत्री जी और जो सुझाव राजनारायण जी ने रखा है उसको अगर वह स्वीकार कर लें तो सांप भी मर जायगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। गिलोटिन का प्रस्ताव पास कराने में कोई बड़ी शोभा की बात नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो संकल्प माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं, संशोधनों के समर्थन के लिये नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं जानता हूं मेरे ऊपर यह इल्जाम नहीं लगाया जा सकता कि मैंने इस सदन के काम में अबतक कोई अड़ंगा लगाया है या अड़चन डाली है। जहां तक मुझे याद है, आज २२ वां दिन है इस अधिवेशन को होते हुये; उसमें मैं ४२ मिनट से अधिक नहीं बोला हूं।

(इस समय ४ बजकर ८ मिनट पर श्री मलखान सिंह पीठासीन हुये)

इसलिये मैं यह आशा करता हूं कि मेरे ऊपर यह इल्जाम नहीं लगाया जा सकता कि मैं अड़ंगा और अड़चन की नीयत से ऐसा कर रहा हूं। शुरू से ही, जब से मैं यहां आया मैं यह अनुभव कर रहा हूं कि विरोध बहुत कमजोर है इस माननीय सदन के अन्दर। जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने बताया, ४३१ में कठिनाई से ४० व्यक्ति गैर कांग्रेसी हैं। जनतंत्र के सिद्धांतों को जहां तक मैं जानता हूं और कांग्रेस के महान् नेता, इस देश के प्रधान मंत्री पंडित नेहरू भी यह कहते हैं कि विरोधी दल मजबूत होना चाहिये, विरोधी दल का आदर होना चाहिये, उसको सुविधायें दी जानी चाहिये। उसके बरक्स में यह देख रहा हूं कि यहां सदस्यों को भाषण की, बहस की पूरी सुविधा भी नहीं दी जाती। मैंने स्वयं यह अनुभव किया। अच्छा होता यदि विचार और बहस के लिये और सुविधा दी जाती जिससे हम अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उस बहस में कुछ योगदान कर सकते। जनता की भलाई के लिये और समूचे सदन की भलाई के लिये भी यह अच्छा होता कि कम से कम एक हफ्ते का कार्यक्रम हमें पूरा बता दिया जाता जिससे हम लोग उस पर तैयार हो कर आते और अपना बाहर का प्रोग्राम उसके अनुसार बनाते। वह कार्यक्रम न होने के कारण हमें यह असुविधा होती है कि अगर हमारा बाहर का कोई काम

होता है और हम चले जाते हैं उसको करने के लिये तो फिर यकायक अगर कोई जरूरी और महत्वपूर्ण बात आ जाती है तो फिर हम उस बहस में हिस्सा लेने से वंचित रह जाते हैं।

इतना ही नहीं, मैंने तो यह भी अनुभव किया अभी जब पहले यह तय हुआ था कि १० के बाद १६ को विधान सभा बैठेगी और फिर यह कहा गया कि १६ के बजाय १४ से बैठेगी तो जिस वक्त १६ के लिये कहा गया था तब यह समझा जाता था कि १५ को छुट्टी होगी क्योंकि उस दिन कोई यहां का स्थानीय त्योहार बताया गया था। मुमकिन है कि मेरी गलती हो लेकिन मुझे इत्तला यह दी गयी थी कि १४ को तो होगी लेकिन १५ को नहीं होगी। इसलिये मैं १५ को नहीं आया और जब मैंने यह पढ़ा कि १५ को यहां बहस हुई और इस विधेयक पर विचार हुआ तो मुझे अपने लिये बड़ा दुख हुआ। मैं १५ को आ सकता था लेकिन यही समझ कर नहीं आया कि अगर छुट्टी है तो मैं जा कर क्या करूं और जो बाहर जरूरी काम है उनको कर लूं। इस प्रकार की असुविधायें यहां रहती हैं।

(इस समय ४ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

यह मैं अनुभव करता रहा हूं। इन असुविधाओं को दूर करने के बजाय बार-बार इस तरह के संकल्प रखना जिससे कि हम लोगों को विचार करने का, विवाद करने का कोई अवसर ही न मिले, ५ और ७ मिनट के अन्दर कोई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को धाराओं पर अपनी बात कह सकेगा जिससे हम दूसरों को कनविन्स कर सकें, यह नामुमकिन है, यह उपहासास्पद है। और इसके माने तो यह हो सकते हैं कि सरकार विरोधी दल की बातों को नहीं सुनना चाहती है, उसको वह अनादर और उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। इससे तो यह बेहतर है कि सरकार को इसकी इच्छा को पूरा करने के लिये हम इस विवाद में हिस्सा ही न लें; ५-७ मिनट बोलकर हंसी कराने के बदले तो यही अच्छा है कि वह अपनी इच्छा पूरी कर लें अपनी संख्या सुर से वह आज शाम को ही इसे पास करा लें और हर एक विधेयक को इसी तरह से आर्डिनेंस के द्वारा पास करा लिया करें। फिर जनतंत्र और विरोधी दल की क्या आवश्यकता है?

पैसे खर्च की बात कही जाती है। अगर जनतंत्र में विरोध न हो तो सदन को ही क्यों न भंग कर दिया जाय? उस दशा में इस सदन की क्या आवश्यकता है? तो पैसे का खर्चा बच जायगा। मिनिस्टरों का खर्चा बच जायगा, डिप्टी मिनिस्टरों का खर्चा बच जायगा, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज का खर्चा बच जायगा और ४३० मेम्बरों का खर्चा बच जायगा। सरकार इस तरह से पैसे के खर्च को बचाना चाहती है तो इस तरह से वह अपनी मनमानी कर ले। लेकिन कम से कम मैं यह कहे देता हूं कि अगर यह संकल्प पास हो जाता है तो मैं इस विवाद में विरोधस्वरूप कोई हिस्सा नहीं लूंगा।

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी के संकल्प का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे तो माननीय सदन में कई बार मौका आया जब गिलोटिन किया गया और महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत थे और उन पर विचार नहीं करने दिया गया। परन्तु मैंने उस समय कभी भी उसका विरोध नहीं किया। लेकिन आज मैं समझता हूं कि यह टैक्स लगाने वाला विधेयक है। यह आम जनता से संबंध रखता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिये निश्चित रूप से इसका विरोध करना चाहता हूं। आखिर वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हम सकून और इत्मीनान के साथ सुनते आये। पता नहीं किस को सुनते आये। हो सकता है कि व्यापारियों के डेपूटेशन्स को सुनते रहे हों। लेकिन जैसा कि फर्ज है सदन का और हमारे माननीय सदस्यों का कि वह अपने विचारों को प्रस्तुत करें तो उसको भी सुनना चाहिये। आखिर हम लोग भी जनता के नुमाइन्दे हैं और यह एक ऐसा सदन है कि जिसको अधिकार है कि कोई टैक्स लगाये अथवा हटाये।

[श्री तेजप्रताप सिंह]

जब हम यहां इकट्ठा हुये और वाद-विवाद शुरू हुआ तो हमें ऐसा अंदाजा लगता था जब ८ तारीख को विधेयक प्रस्तुत किया गया कि वास्तव में मंत्री जी इस विधेयक पर काफी समय देना चाहते हैं और इत्मीनान के साथ हमारी दलीलों को सुनना चाहते हैं, जनता के प्रतिनिधियों की आवाज को सुनना चाहते हैं। लेकिन १४ तारीख से हमें महसूस हुआ, जब जनरल डिसकशन में क्लोजर मूव किया गया, कि वित्त मंत्री जी ने अपने इत्मीनान को खो दिया है। एक तरफ कहते हैं कि इत्मीनान के साथ हम सुनना चहते हैं और दूसरी तरफ क्लोजर मूव होता है, गिलोटिन के लिये प्रस्ताव आते हैं तो यह दोनों चीजें कैसे चला रहे हैं, यह समझ में नहीं आता है। आप देखें कि एजेंडे के अनुसार विरोधी दल के केवल ११-१२ संशोधन रह गये हैं और उधर की तरफ के संशोधन तो पेश नहीं हो रहे हैं तो फिर संकल्प के लाने का क्या औचित्य हो सकता है? यही समझ में आता है कि जो धारायें महत्वपूर्ण रह गई हैं उन पर अच्छी तरह से सुनना नहीं चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जब हमने प्रजातांत्रिक पद्धति को अपनाया है और जब हम बृटिश पार्लियामेंट में जिस प्रकार से कार्य होता है उसको हम एक मिसाल समझते हैं और उसकी बराबर दुहाई देते हैं, तो इन सब मसलों पर भी कि किस तरीके से हमारी कार्यप्रणाली सुचारु रूप से चलनी चाहिये; इस तरह भी हमें ध्यान देना चाहिये। जैसा कि आर्डिनेंस यहां लाया गया वहां की कभी यह पद्धति नहीं रही है यूनाइटेड किंगडम में, कि टैक्सेशन मेजर आर्डिनेंस के जरिये से लाया जाय, लेकिन आप लाये और अब उसके बाद जब इस पर विचार हो रहा है तो आप गिलोटिन अप्लाई कर रहे हैं। तो यह बात प्रजातांत्रिक पद्धति के अनुकूल नहीं है और इसलिये मैं समझता हूं कि इस संकल्प को आपको (सरकार को) वापस लेना चाहिये। दूसरे यह कहा जाता है कि पैसा ज्यादा खर्च होता है। मैं समझता हूं कि अब आप हाउस का बिजनेस निश्चित करते हैं और उसके लिये एक समिति निश्चित है और उसमें विरोधी दल के लोग भी बैठते हैं, तो उसमें विचार कर लिया जाता। जैसा गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक के संबंध में आपने किया वैसा आपने इस में नहीं किया और उस कमेटी में इस विधेयक के संबंध में विचार नहीं किया। तो समय की बचत की बात जो कही जाती है वह ठीक नहीं है। आपने एक हैफेजर्ड तरीके पर गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत कर दिया और उसको बीच में ही छोड़ कर इसको शुरू कर दिया। तो इस तरह से बिजनेस का हमें पता नहीं लगता है और कई माननीय सदस्यों ने इसकी शिकायत भी की है कि बिजनेस ठीक से संचालित होना चाहिये और इसके लिये सरकार को कोई कदम उठाना चाहिये। वह कदम भी नहीं उठाया जा रहा है। तो यह आरोप लगाना कि हमारी तरफ के लोग सरलतापूर्वक काम नहीं चलने देना चाहते हैं, अनुचित है। हम तो चलाना चाहते हैं लेकिन आज जो यहां विषय है वह महत्व का है और उस पर हमें विचार करने देना चाहिये ताकि उस पर हम अपनी राय जाहिर कर सकें और संभवतः उससे आप भी लाभान्वित हो सकें। मैं समझता हूं कि यह गलती आप की है। अगर मैं कहूं कि इस तरह की गलती आप करते हैं.....

श्री हरगोविन्द सिंह--आप किसको गलती के लिये कह रहे हैं?

श्री तेजप्रताप सिंह--आप से सरकार का ही मंशा है। आप कहते हैं कि गलती विरोधी पक्ष के लोग करते हैं, मैं कहता हूं कि सरकार गलती करती है। मैं देख रहा हूं कि सन् १९५२ से बराबर गिलोटिन अप्लाई होता आ रहा है। हो सकता है कि किसी से एक बार गलती हो जाय लेकिन जिससे बराबर गलती होती रहे वह इंसान नहीं है। जो बराबर गलती करता जाता है एक ही तरह की वह क्या है? बराबर इस तरह का गिलोटिन अप्लाई करने का संकल्प आया है। अध्यक्ष महोदय, आप को यह याद होगा और यहां से उस प्रस्ताव का विरोध भी किया गया। खरचे की बात भी आप कहते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है।

बिजनेस ठीक तरह से कंडक्ट किया जाय, बिजनेस कमेटी में उस पर विचार कर लिया जाय और फिर उसको यहां लागू किया जाय तो ठीक है। लेकिन उन सब पद्धतियों का उल्लंघन हुआ और इसको हम देखते हैं, यह कैसे हो सकता है। इसलिये मैंने यह चन्द शब्द इस प्रस्ताव के विरोध में कहे।

*श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, पिछले वर्ष जब कि यहां पर भूमि सुधार व्यवस्था (संशोधन) विधेयक पर १२ बजे रात्रि तक और उस के बाद भी जब सदन की बैठक चलती रही और सरकार का गिलोटिन संबंधी प्रस्ताव असफल रहा तो उसके बाद आपने एक परम्परा इस संबंध में हाउस आफ कामन्स की परम्परा के अनुसार निश्चित करने की चेष्टा की और हम सभी लोगों ने उसको माना और आपने एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी नामांकित की। उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विरोधी दल के सदस्य भी हैं, संयुक्त दल के सदस्य भी हैं और सरकार के भी उसमे चीफ व्हीप जो पार्लियामेंटरी अफेयर के इन्चार्ज हैं वह भी उसमें हैं, उपमंत्री भी उसमें हैं। तो उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम यही था कि सरकार यानी लीडर आफ दि हाउस जिस बिल के सम्बन्ध में यह उचित समझे कि वह समय निश्चित करे उसको विजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने रेफर करे। यह अधिकार हम लोगों का भी था, विरोधी दल के लोगों का भी था कि हम किसी विधेयक को एडवाइजरी कमेटी में रेफर कर दें। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से चूंकि मैं इसको महत्वपूर्ण समझता हूं कि यह एडवाइजरी कमेटी के नियम जो इस सदन ने स्वीकार किये हैं वह इस सम्बन्ध में नियम ४ को पढ़ देना चाहता हूं--

"It shall be the function of the Committee to recommend the time that should be allocated for the discussion of the stage or stages of such Government Bills as the speaker in consultation with leader of House or on the request of the leader of opposition or of any other opposition party may direct for being referred to the Committee."

इस नियम ४ के अनुसार लीडर आफ दि हाउस यानी नेता सदन इस विधेयक को अगर वह चाहते तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने भेज सकते थे और ऐसी कई विधेयकों के बारे में हुआ है। वे विधेयक एडवाइजरी कमेटी के सामने भेजे गये हैं, बहस हुई हैं और उन पर विवाद हुआ है और विवाद के बाद कोई समय निश्चित हुआ है। जो वहां पर तय हुआ उसको निश्चित कर लिया गया, यह परम्परा रही है। जब हमने यहां पर लोक सभा की प्रथा को मंजूर कर लिया है तो फिर आज इस बात की क्या आवश्यकता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के रहते हुये, उसके नियम ४ के रहते हुये इस प्रकार का गिलोटिन सम्बन्धी प्रस्ताव यहां पर आये? अगर सरकार यह आवश्यक समझती थी कि इस सम्बन्ध में समय निश्चित होना चाहिये तो नियम ४ के अनुसार नेता सदन द्वारा आपके पास इसको भेजा जाता और आप इमरजेन्ट मीटिंग कमेटी की बुलाते और नेता सदन चाहते तो इसके लिये समय निश्चित कर देते।

फिर इसके पहले एक और बात ध्यान देने की है। यह प्रश्न एडवाइजरी कमेटी के सामने भेजा गया जैसा कि माननीय नेता सदन यहां पर कह चुके हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने सारे विधेयकों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये लेकिन इस विधेयक के बारे में कोई विचार व्यक्त नहीं किया। सरकार के मन्त्री जी भी कहते हैं कि हमने विरोधीदल का ख्याल रखते हुये इसको वापस लिया। जब सरकार ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को इस प्रश्न को रेफर नहीं किया और दोबारा भी उसके अन्दर इसको नहीं रखा तो आज किसी प्रकार से नियम की मर्यादा के अनुसार सरकार को अधिकार नहीं है कि वह गिलोटिन का प्रस्ताव यहां पर लाये। श्रीमन्, आपने देखा होगा कि जब से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनी है तब से उसके रहते हुये गिलोटिन के प्रस्ताव यहां पर नहीं रखे गये। लेकिन यहां पर सरकार किस प्रकार से मर्यादा का हनन कर रही है कि यहां पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी है और गिलोटिन का प्रस्ताव भी आ रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

श्रीमन्, आपको याद होगा कि यह वह विधेयक है जो इतना महत्वपूर्ण होते हुये भी जिसको ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी को या किसी सेलेक्ट कमेटी के सामने नहीं भेजा गया। जिस समय यहां पर आर्डिनेन्स आया तो उस पर मेरा प्रस्ताव आया था। उस समय सरकार की ओर से कहा गया कि वह विधेयक जल्दी ही हमारे सामने आने वाला है और उस विधेयक पर पूरा विचार किया जायगा। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया हमको ही नहीं बल्कि सारे सदस्यों को आश्वासन दिया गया था किन्तु न मालूम वह आश्वासन कहां गये और यह गिलोटिन का प्रस्ताव ले आये। आपने स्वयं उस दिन ४ अप्रैल को सायं को कहा था कि विधेयक हमारे पास भेज दिया गया। तो ४ अप्रैल को आपके पास विधेयक भेज दिया जाता है। पहली अप्रैल के दिन आर्डिनेंस निकला और ५ अप्रैल को विधेयक आपके पास भेज दिया गया। आपने कहा कि मेरे पास आ गया है, सरकार जिस दिन चाहेगी उस दिन पेश कर देगी और सरकार द्वारा यह आश्वासन दिलाया गया कि जब वह यहां पर पेश होगा उस समय हमें मौका देंगे। अब ५ अप्रैल को असेम्बली डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है और २८ अप्रैल को जाकर वह यहां पेश किया जाता है, २३ दिन के बाद हाउस में इन्ट्रोड्यूस किया जाता है। १४ तारीख को असेम्बली शुरू होने वाली थी लेकिन २५ तारीख को वह शुरू हुई। इस प्रकार से १३ और २५ के बीच में १२ दिन का गैप कर दिया गया और २८ अप्रैल को इसे इन्ट्रोड्यूस किया गया। एजेंडे में यह बिल सबसे पहले रक्खा गया लेकिन बाद को पीछे कर दिया गया और फिर एग्रीकल्चरल बिल तथा सेल्स टैक्स अमेंडमेंट बिल (दूसरा) पास किया गया तथा अन्य बिल पास होने के बाद इसको लिया गया। इस प्रकार से सरकार यह निश्चित नहीं कर सकी कि किस प्रकार से वह इस बिल को पेश करे। सरकार ने स्वयं देरी की और उसका भार हम लोगों पर डाला जा रहा है कि हम आवश्यकता से अधिक देरी करते हैं इस प्रकार से सरकार अपने निकम्मेपन को हमारे कंधों पर डालना चाहती है। श्रीमन्, आप देखें कि इस सदन के अधिकारों का कितना बड़ा उपहास हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने में। जो एक क्लाज वाला सेल्स टैक्स का बिल था वह ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया था। यह केवल एक्जेम्पशन के बारे में था लेकिन दूसरी तरफ इस विधेयक को ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी या किसी सेलेक्ट कमेटी के पास नहीं भेजा गया इसके लिये सरकार तैयार नहीं हुई। जब सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा तो उस पर विचार जरूरी है। जो समय सेलेक्ट कमेटी में लगता उतने में सदन को विचार करना जरूरी है और उससे सरकार को लाभान्वित होना पड़ेगा। यह वह विधेयक है जो सेलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में नहीं गया और जो इसके खंड हैं उन पर विचार करने का अवसर नहीं मिला और वह केवल इस सदन में अब मिल रहा है, तो उस पर विचार किये जाने का हमें अवसर देना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि आपने देखा कि परसों जब विरोधी दल बाहर गया हुआ था, इस विधेयक के महत्वपूर्ण खंड सरकार ने पास कर लिये-३, ४, ५, इत्यादि जो सिंगिल प्वाइंट टैक्स और मल्टी प्वाइंट टैक्स के बारे में थे तथा उसमें एक नया खंड ३-ए जोड़ा गया था। ये बिना किसी बहस या बिना किसी विचार के पास कर लिये गये। छठा खंड यहां प्रस्तुत है और उस पर केवल विरोध करना बाकी रह गया है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---सर, प्वाइंट आफ आर्डर। तिवारी जी ने अभी कहा कि उस दिन जो खंड पास कर लिये गये वे बिना बहस के पास कर लिये गये। श्रीमन्, अगर उस दिन की कार्यवाही को देखा जाय ....

श्री अध्यक्ष---यह प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं हो सकता। यह तो आप फैक्ट्स को कांट्रेडिक्ट कर रहे हैं (यानी वाकयात में प्रतिवाद कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रीमन्, तीसरी बात यह है कि वह इस विवाद में कोई संतुलन नहीं कर पाये हैं। पहले दिन को माननीय वित्त मंत्री जी पूरा दिन गिनते हैं।

लेकिन ८ तारीख को साढ़े तीन बजे विवाद शुरू हुआ और ५ बज कर ५ मिनट तक माननीय वित्त मंत्री जी बोलते रहे। जिस विधेयक में तीन दिन तक आम विवाद हुआ लेकिन उसके तृतीय वाचन के लिये आप ३ दिन भी नहीं दे रहे हैं! यह किसी प्रकार भी उचित नहीं है। उनका कोई सिद्धांत नहीं कि कहां कितना विवाद करें और कहां न करें।

अब इस विधेयक में जो संशोधन हैं उनमें १७ संशोधन बाकी रह गये हैं। इन १७ संशोधनों में और इस प्रस्ताव में कितना कांट्रेडिक्शन है? प्रस्ताव यह कहता है कि ७ मिनट बोलने वाले सज्जन को और ५ मिनट किसी दूसरे सदस्य को, और उसके बाद मंत्री जी को ७ मिनट दिये जायं। अब आप इस प्रस्ताव के हिसाब से ही अगर देखें तो पेश करने वाले को ७ मिनट, एक सदस्य भी अगर बोलें तो ५ मिनट उनके और ७ मिनट मिनिस्टर साहब के और बाद में फिर ७ मिनट मूवर के इस तरह से अगर हम क्रम लगावें तो २६ मिनट लग जाते हैं, जब कि केवल एक आदमी ही बोले और अभी १७ संशोधन इस एजेंडे पर हैं। अगर इसी हिसाब से, जो उनका है, लगाया जाय तो ४४२ मिनट अभी लगते हैं यानी साढे ७ घंटे लगते हैं। अब देखना यह है कि एक तरफ तो वह अपने प्रस्ताव के अनुसार ही साढ़े ७ घंटे का समय देने को तैयार हैं और दूसरी तरफ वह साथ यह भी कहते हैं कि कल शाम तक यह समाप्त हो जाय, यानी जितना समय वह खुद मानते हैं उतना समय भी वह देने को तैयार नहीं हैं! तो आप देखें कि कितना परस्पर विरोधी प्रस्ताव हमारे सामने प्रस्तुत हैं।

अब ऐलोकेशन आफ टाइम आर्डर क्या है? इसके बारे में मेरे पास हाउस आफ कामन्स का ब्योरा रखा है कि वहां इसका कितनी बार और कितना कम इस्तेमाल किया गया है। मैं केवल कुछ मिसालें यहां दूंगा। अनएम्पलायमेंट बिल पर हाउस आफ कामन्स में सन् ३३-३४ में एलोकेशन आफ टाइम आर्डर मांगा गया और उसके ४ साल बाद ३७-३८ में मिलेटरी ट्रेनिंग एन्ड आग्जिलियरी फोर्स बिल पर एलोकेशन आफ टाइम आर्डर मांगा गया। उसके बाद सन् ४६-४७ में यानी ८ साल के बाद ट्रांसपोर्ट एन्ड टाउन प्लानिंग बिल पर मांगा गया, और सन् ४८-४९ में आयरन एन्ड स्टील बिल पर एलोकेशन आफ टाइम आर्डर मांगा गया। यानी तीन-तीन और चार-चार साल बाद वह वहां कभी-कभी मांगा गया है। लेकिन यहां पर हर तीसरे दूसरे बिल पर वह मांगा जाता है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को रेफर किया जाता है कि समय निश्चित किया जाय इस तरह से हम हाउस आफ कामन्स की जो परम्परा है उसके भी विरुद्ध जाते हैं और वहां पर जब तक बहुत ही अधिक आवश्यकता नहीं होती तब तक एलोकेशन आफ टाइम आर्डर नहीं मांगा जाता लेकिन हमारी सरकार हर बिल पर समय निश्चित कराना चाहती है।

सेल्स टैक्स बिल पर टाइम न निश्चित करने की बात कही गयी थी और उसी सूरत में हमने मंजूर किया था कि इस को २८ अप्रैल को इंट्रोड्यूस किया जाय और माननीय मंत्री जी ने भी यह स्वीकार किया। तो फिर जहां विरोधी दल केवल एक बिल पर समय लेना चाहे तो उसको आवश्यक समय भी न दिया जाय और वैसे इस गरमी में हम कभी नहीं चाहते कि यहां बैठें और सदन का समय लें और प्रोलान्ग करें। सरकार यह कहती है कि २७ मई तक यह हो जाना चाहिये। किस लिये २७ तारीख तक पास हो जाय? आप का इस में क्या बिगड़ जाता है अगर हम इस बिल पर आगे भी बहस करते रहें। आपके कई आर्डिनेंस पहले भी लैप्स हो चुके हैं, अगर यह भी लैप्स हो जाय तो आपका उसमें क्या बिगड़ जाता है? आप रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट की बात भी कर सकते हैं और इसमें इस तरह का विधान कर सकते हैं जिस से कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ सकता। इसके अलावा भी सरकार के पास ऐसे तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके सरकार अपना काम चला सकती है, और मंत्री जी स्वयं उन तरीकों को जानते हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस में जल्दी न करे, और चूंकि यह बिल किसी सेलेक्ट कमेटी, ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी, और चूंकि समय का संतुलन इसमें नहीं हुआ है, और इस का महत्वपूर्ण

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

भाग विरोधी दल की अनुपस्थिति में पास हो चुका है इसलिये यह तरीका उस के लिये मुनासिब नहीं है। इसलिये नियमों के अनुसार। पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुसार यह प्रस्ताव अप्रासंगिक, अव्यावहारिक और अयुक्तिपूर्ण है ।

†श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ दयानत के साथ जो मेरे सामने मेरे भाई कह रहे थे उसको सुना और मुझको यह ताज्जुब होता रहा कि कितनी बातें ऐसी है जो यहां कही जा चुकी थीं पहले। और उसके बाद जवाब में भी कुछ कहा जा चुका, उन दलीलों को फिर से इस सिलसिले में इस्तेमाल किया जाय यह बात कहां तक ठीक हो सकता है तो मेरी तबियत ने जवाब यह दिया या तो रिपीटीशन के जवाब में रिपीटीशन किया जाय या उस पर खामोशी अख्तियार की जाय। असल बात तो सिर्फ इतनी है। इस बिल पर इस सदन को बहस करने के लिये काफी मौका मिला था नहीं मिला। महज इसी पवाइन्ट आफ व्यू से अगर हम इस बात को देखें तो मैं समझता हूं कि यह शिकायत बजा तौर पर नहीं हो सकती कि इस बिल पर बहस करने के लिये काफी वक्त नहीं दिया गया। ६ रोज कल को होंगे, और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर हुई अर्ज कर दिया कि इस बिल पर बहस करने के लिये ६ रोज बहुत काफी हैं। यह रिजोल्यूशन जो था, इसमें जो तरमीम आई, संशोधन आया, उनमें कहा गया कि २५ तारीख तक चले, एक में कहा कि २१ या २२ तक चले। हां, मैंने तो पहले अर्ज कर दिया कि चल तो सकती ही है जब तक कि चलाया जाय किसी चीज को, यकीनन चल सकती है। और उसकी ताईद में हां, मुझको याद आया, यह भी कहा कि मैंने यह कहा था कि एक महीने तक मैं इस पर बहस कर दूं। मैंने कहा जरूर लेकिन जो मैंने कहा अगर वह कोई शख्स अख्तियार करने को तैयार हो तो मैं बहैसियत यहां के मेम्बर के यह जुर्रत करूंगा नहीं कहने की उसके मुताल्लिक वह बातें जो उसकी निस्बत कहीं जा सकती हों, उस हालत में जो मैंने कहा उसका मतलब यही तो हुआ कि मैं अगर कोई फिजूल तकरीर करने पर आमादा हूं तो मैं एक महीना लगा दूं। हर रोज सुने जाइये सबसे। जबान में मेरी कूवत है। दिमाग में मेरे अल्फाज हैं। बोलने के लिये उसमें क्या गुंजायश नहीं है मेरे पास, जो मैं नहीं बोल सकूं।

तो यह शिकायत कि इसके लिये वक्त नहीं दिया गया मेरे नजदीक ठीक नहीं और इससे ज्यादा इस पर वक्त खर्च करने की जरूरत भी नहीं। इसका जो विचार का मोशन था, जिस समय कि जनरल डिसकशन हुआ, उसमें सब कुछ कह दिया गया। आज मैं चैलेंज देकर साबित कर सकता हूं इस बात को जो तकरीरें यहां हुई, उस वक्त से जबसे सेकिंड रीडिंग शुरू हुई इस बिल की उन तकरीरों को और जो तकरीरें फर्स्ट रीडिंग में हुई विचार के मोशन पर हुई। उनको लिखी हुई हैं, मुकाबला करके दिखा लिया जाय कि क्या कहा गया! और उसे छोड़िये, जिनके दिमागों में यहां होंगी कुछ बातें, कल और परसों जिन्होंने यहां बैठ कर सुना और आज जो संशोधन था, जिसके ऊपर आज बहस हुई उसमें जो कहने वालों ने कहा तो क्या कहा उस रिपीटीशन के खातिर। इसलिये मैं यह बात नहीं कहूंगा क्योंकि ऐसा कहा जाता है। यह तो महज मैं अपने कयास की बिना पर कह दूंगा और यह जुर्रत नहीं करूंगा। यहां एक शेर याद आया। वह मैं यहां पेश कर दूं बजाय, और कुछ कहने के। वह शेर जरा सा है, वह मैं सुनाये देता हूं इस हाउस को आपकी इजाजत से। उससे मेरा मतलब साफ तौर पर समझ में आ जायगा। बहस तो यह हो रही है और यहां वह भी हो चुका एजीटेशन, और हड़ताल भी हो चुकी। अब उस सब मजमुये को अगर देखा जाय तो उस पर यह शेर सादिक आता है, मुझे याद नहीं आता किस का शेर है— "सुना तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या" यानी वह शायर मुझ से कह रहा है कि इब्राहीम

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तू लोगों की बातों को सुन कि मुझे लोग कहते क्या हैं। कहती है खल्के खुदा गायबाना क्या। बाहर लोग मुझे को क्या कहते हैं, उसको सुन। उस सुनने से यह मालूम होता है कि यहां डिस्कशन काफी हो चुका या नहीं, वह बतला चुका हूं। जो आर्बिट्रेटर है, जो फैसला करने वाली है इस बात की। मैं यहां इस प्रिजम्शन पर कि यह टैक्स का बिल है, उसके मुताल्लिक खूब जोर जोर से ज्यादा वक्त लगा करके बहुत कुछ कहूं, तो उससे पब्लिक में मुझको कुछ बात हासिल हो तो इस वक्त में देख रहा है वह बात मुझे या इन भाइयों को किसी को हासिल नहीं हुई और न यह मौका है मेरे नजदीक जैस कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि उससे किसी किस्म का एक कैपिटल बनाने की कोशिश की जाय।

यह तो एक मुल्क की और नेशन की किस्मत से खेलना है। असल में उस पर अगर हम संजीदगी से गौर करें तो इतने वक्त में उस नतीजे पर पहुंच सकते हैं। क्या सोचना है इस बिल की बाबत? इस बिल की बाबत जो कि बातें कहीं जा सकती हैं, जितने उसके अन्दर ऐब थे वह सब बयान हो चुके। आज एक साहब भी अपनी तकरीर में मुझे यह बतला देते कि अभी तक इस हाउस में, इस बिल में या इस सेल्स टैक्स के मुताल्लिक फलां फलां कहनी बाकी है, जो नहीं कही गयी है, तो मैं ईल्ड कर जाऊंगा। मैं चैलेंज करता हूं कि वह कौन सी ऐसी बात है कि इस के मुताल्लिक नहीं कही जा चुकी है, सिवा उस कहने के कि जो कहा जा चुका है उसको बार-बार कहे जाओ, दोहराये जाओ। तो मेरे नजदीक यह तरीका किसी लेजिस्लेचर के शायनेशन नहीं है, उसके मुनासिब नहीं है। और फिर यह कि हमें जितना वक्त मुनासिब तौर पर लेना चाहिये उतना वक्त हम लें, और उसको लेकर एक मसले को, एक बिल को, जो हमारे सामने है उसको खत्म करें बजाय इसके कि उसके ऊपर वक्त बढ़ायें? अगर २५ को खत्म हो तो आठ से १७ तक छः दिन हुये, और छः दिन और तो बारह दिन हुये मैं समझता नहीं कि किस तरह से यह मुनासिब होगा इस बिल के ऊपर जिसके क्लाज १२ कहे जाते हैं लेकिन ६ तो कांसीक्वेंशल हैं, सब ६ क्लाज इसके अन्दर हैं। उन छः क्लाज पर बहस करो, उसके अन्दर १४ दिन लगाओं, मैं समझा नहीं। मैं तो यह समझता हूं कि यह सदन है इसकी भी तारीख यहीं मौजूद है इसी बिल्डिंग के अन्दर, और जितने कानून इस सदन ने पास किये हैं वह सब यहीं मौजूद है। जितने साहबान और मेम्बरान चाहें उसको जाकर निकाल करके देख सकते हैं, कि किस बिल को यहां के हाउस ने कितने दिनों के अन्दर पास किया और कितना वक्त लगाया। एक-एक ऐसा सेक्शन जिससे दुनिया का इनकलाब वाबस्ता हुआ हो, किसी बात के ऊपर, उन पर जो बहस की गयी हो, उसके अन्दर कुछ ज्यादा वक्त लगा हो, वरना जो भी कानून पेश हुये हमारे सामने जिनमें हम को पकड़े जाने के इन्तजाम थे पूरे पूरे, हमारे खिलाफ, उन कानूनों को इस्तेमाल होना था, उन पर हमने कितना वक्त खर्च किया, बहस मुबाहिसा किया उस वक्त के अखबारों से, वह यहां की तारीख से मालूम हो सकता है।

तो मैं तो अर्ज करता हूं कि मैं वाकई तौर पर अगर समझता तो मैं यकीनन यह चाहता कि मियाद की कोई कतअन जरूरत नहीं। लेकिन इस मामले में एक खास बात यह है कि वक्त नहीं। इसलिये एक मियाद है, उसके अन्दर एक काम को हो जाना है। अब उसमें से मैं कमी की गुंजाइश कहां से निकालूं। और जो रिजोल्यूशन मैंने पेश किया उसका कोई निगेशन में लाऊं, और कोई यह कहे कि २५ कर दूं तो ऐसा मैं कोई रिजोल्यूशन लाने की जरूरत नहीं। मैं इसको मानने से मजबूर हूं और मैं यह समझता हूं कि मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहा हूं। मैं किसी को किसी के हक से महरूम नहीं कर रहा हूं।

मुझे ताज्जुब यह हुआ कि जो हमारे बुजुर्ग पालीवाल जी हैं वह कैसे उधर को हो गये। यह मेरी समझ में नहीं आया। उनकी तकरीर से, मैं तो उससे पहले यह समझता

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

था कि वह तो उसी राइट माइन्ड के आदमी हैं जैसा कि मैंने उनको पाया था। वही उन के पास अक्ल है, वहां समझ है, वहां अंदाज है, उसीसे वह काम लेंगे यहां पर जब काम करेंगे। मगर मुझे अफसोस हुआ कि एक रौ उधर को चली थी, वह उधर बह गये, उसके साथ-साथ वह चल दिये। मैं कोशिश करूंगा इस बात को मैं उनको नहीं चलने दूंगा। आखिर उनका मुझ पर हक है और मेरा उन पर है। मैं अपने फर्ज को अदा करूंगा जो उनकी निस्बत रखता हूं। समझ में नहीं आया कि किस तरह उन्होंने यह नतीजा निकाला, कुछ अहसास नहीं हुआ ? इस वजह से मैं मजबूर हूं इस रिजोल्यूशन के खिलाफ जो तरमीमें लाई गई हैं उनको मन्जूर करने में।

श्री अध्यक्ष---अब पहला संशोधन श्री जगन्नाथ मल्ल का है। मैं उस पर राय लेता हूं प्रश्न यह है कि वित्त मंत्री के प्रस्ताव की पंक्ति ४ के शब्द व अंक '१७ मई' के स्थान पर शब्द व अंक '२५ मई' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---दूसरा रामेश्वरलाल जी का है।

प्रश्न यह है कि वित्त मंत्री के प्रस्ताव की पंक्ति ५ में शब्द व अंक "७, ७ मिनट" के स्थान पर शब्द व अंक "५५-५५" मिनट, व पंक्ति ६ में शब्द व अंक "५ मिनट" के स्थान पर शब्द व अंक "४५ मिनट" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---अब यह प्रस्ताव इस प्रकार है:

"प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५६ को शीघ्रातिशीघ्र पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह सदन संकल्प करता है कि उक्त विधेयक का द्वितीय पाठन अर्थात् खंडों तथा संशोधनों पर विचार १७ मई, १९५६ को सांयकाल ४ बजे तक समाप्त कर दिया जाय, इस हेतु संशोधनों के प्रस्तावक तथा सम्बन्धित मंत्री को भाषण के लिये ७-७ मिनट तथा अन्य भाषणों के लिये ५-५ मिनट निर्धारित कर दिया जाय, और तृतीय पाठन को उक्त तिथि को सांयकाल ५ बजे समाप्त कर दिया जाय।"

तथा सदन उक्त विधेयक की महत्ता को ध्यान में रखते हुये यह भी निश्चय करता है कि आज सदन ७ बजे तक बैठेगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री जगन्नाथ मल्ल द्वारा विभाजन की मांग होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:

पक्ष में---८६

विपक्ष में---१२।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, हमें आप यह कहने की आज्ञा प्रदान करें कि यह जो संकल्प सरकार ने अपने संख्यानुसार के बल पर पारित करने का निश्चय किया है और जो पारित हो चुका है, यह हमारे विचार से, जो कि हमने अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक किया है, हमारे मौलिक विचार और विवाद करने की जो हमारी शक्ति है, प्रतिनिधित्व की शक्ति है उसकी यह हत्या है और हत्या करने का प्रयास है। सात-सात मिनट और पांच-पांच मिनट का समय.....

श्री अध्यक्ष—मैं आपको भाषण देने की इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—भाषण नहीं, श्रीमन्, यह पांच-पांच, सात-सात मिनट बात करना उपहास है केवल, और इस लिए हमने यह भी निश्चय किया है कि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में हमारे विरोधी दल के जो तीन सदस्य है, हमने उससे त्यागपत्र देने का निश्चय किया है । और साथ ही साथ तब तक इस सदन की कार्यवाही में भाग लेना हम उचित नहीं समझते इस उपहास को देखते हुए जब तक कि यह विधेयक जो रखा गया है जिसके हेतु यह प्रस्ताव है, जब तक यह विधेयक रहेगा तब तक हम इस सदन की कार्यवाही में कोई भाग नहीं लेंगे । यह सारे विरोधी दल का, हमारा एकमत से निर्णय है ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं । मैं आपके द्वारा पहले ही सदन को अपना भाव व्यक्त कर चुका था कि अगर सरकार की हठवादिता अन्त तक कायम रहेगी, तो हम बाध्य हो कर इस सरकार को सद्बुद्धि लाने के लिए कुछ कार्य करने होंगे । तो जैसा कि माननीय नारायणदत्त जी ने कहा कि इस सदन में ऐसी परिस्थिति में बैठ करके विवाद में भाग लेना बहुत ही अपमानजनक है, और गैर-जनतांत्रिक प्रणाली को बढ़ावा देना है । हमें तो बहुत ही खेद है श्रीमन्, कि ऐसे उदार और व्यापक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को अध्यक्ष पद पर पाते हुए भी हम अपने अधिकार की रक्षा नहीं कर पाये ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि वक्तव्य अधिक लम्बा तो नहीं होना चाहिये ।

श्री राजनारायण—नहीं अधिक लम्बा नहीं होगा । और इस सदन में कई बार हमने वाक-आउट भी किया और बहुत सी बातें हुई, मगर सरकार पर उसका असर नहीं पड़ रहा है । तो मैं समझता हूं कि आज भी हो सकता है कि इसका असर न पड़े और कुछ आप भी हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हों, मैं इसी विधान भवन के सामने २४ घंटे की भूख हड़ताल पर रहूंगा और सरकार के दृष्टिकोण में इससे कुछ परिवर्तन हो, इस कामना से मैं स्वतः प्रायश्चित स्वरूप बैठूंगा और अभी से जाकर बैठूंगा । और मैं चाहूंगा कि सरकार खुद विचार करे कि विरोधी दल के तमाम सम्मानित सदस्य यहां न रहें, केवल एक पक्ष को रख कर वह विधेयक को पास करें, तो वह कैसा विधेयक होगा और मनोवृत्ति का द्योतक होगा—बिलकुल तानाशाही और हिटलर शाही मनोवृत्ति का द्योतक होगा । इसलिए मैं प्रायश्चित स्वरूप अपने ऊपर अनशन की घोषणा करता हूं और भविष्य में इनकी यह हठवादिता रहेगी तो इसका कोई तरीका और निकाला जायगा । और मैं चाहता हूं कि उसमें आप हमारे साथ होंगे क्योंकि हमने लिख करके दिया कि आपने हमारे अधिकारों की रक्षा की । आपके मकान और अध्यक्ष महोदय के मकान पर दूसरे लोग जायं और बाद में जायं यह हो सकता है । यदि हमारी इस भूख हड़ताल का असर न पड़ेगा और इस तरीके से गैर-जनतांत्रिक प्रणाली चलती रहेगी । तो हम जाते हैं ।

(इसके उपरान्त विरोधी दल के सदस्य उठकर चले गये ।)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर—(संशोधन) विधेयक, १९५६

खंड ६ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ७

यू० पी० ऐक्ट १५, १९४८ की धारा ७ का संशोधन।

७--मूल अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(१) प्रत्येक व्यापारी, जिस पर इस अधिनियम के अधीन कर लगाया जा सकता हो ऐसे कालान्तरों (intervals) पर, ऐसी कालावधि के भीतर तथा ऐसे आकार में, अपने विक्रय-धन का या के विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगा, तथा उन्हें ऐसे ढंग से प्रमाणित करेगा जो निर्धारित किये जायं, किन्तु कर-निर्धारक-अधिकारी स्वविवेकानुसार, कारणों को अभिलिखित करके, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग द्वारा विवरण-पत्र प्रस्तुत किये जाने का दिनांक बढ़ा सकता है।"

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८ और ९

यू०पी० ऐक्ट १५, १९४८ की धारा ७-क का संशोधन।

८--मूल अधिनियम की धारा ७-क के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(१) राज्य सरकार किसी व्यापारी को कर-निर्धारण-वर्ष के किसी भाग के विक्रय-धन का विवरण-पत्र प्रस्तुत करने के लिये आदेश दे सकती है, और कर-निर्धारक अधिकारी, धारा ७ के उपबन्धों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुये, कर-निर्धारण-वर्ष के उस भाग के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, जहां तक कि वे लागू होते हों, अस्थायी रूप से कर-निर्धारण (Provisional assessment) कर सकता है।

(२) यदि कर-निर्धारक अधिकारी ने उपधारा (१) के अधीन अस्थायी रूप से कर निर्धारित किया हो तो इस प्रकार कर-निर्धारण किये जाने के कारण उसे पूरे वर्ष का कर निर्धारित करने तथा विक्रय-धन पुनः निश्चित करने में कोई रुकावट न होगी।"

यू० पी० ऐक्ट १५, १९४८ की धारा ७-ख का संशोधन।

९--मूल अधिनियम की धारा ७-ख के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"७--ख--जहां किसी कर-निर्धारण-वर्ष के दौरान में किसी माल या माल के वर्गों के विक्रय-धन (turnover) के कर की दर परिवर्तित की जाय अथवा उसके सम्बन्ध में छूट (exemption) स्वीकृत अथवा रद्द (cancel) की जाय तो वहां कर-निर्धारण, जहां तक कि उसका सम्बन्ध उक्त परिवर्तन, छूट या रद्द करने के दिनांक के पश्चात् की कालावधि के विक्रय-धन के भाग से हो इस प्रकार परिवर्तित दर अथवा इस प्रकार स्वीकृत या रद्द की गई छूट के आधार पर किया जायगा।"

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ और ९ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

"कुछ मामलों में कर सम्बन्धी राजीनामे।"

१०--मूल अधिनियम की धारा ७-ग के पश्चात् नई धारा ७-घ के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाए--

"७-घ (१) कोई भी व्यापारी, जिस का विक्रय-धन किसी कर-निर्धारण-वर्ष में १५,००० रूपये से अधिक न हो, कर-निर्धारक अधिकारी (Assessing

Authority) को इस आशय का आवेदन पत्र दे सकता है कि इस अधिनियम के अधीन जो कर उसे देय है उसके स्थान पर उससे कुछ धनराशि राजीनामे के रूप में (By way of composition) ले ली जाये और यदि कर-निर्धारक-अधिकारी का समाधान हो जाय कि विक्रय-धन के १५,००० रुपये से अधिक होने की संभावना नहीं है तो वह निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हुये इस धनराशि को निश्चित करेगा---

(१) व्यापारी का सम्भाव्य (Likely) विक्रय-धन,

(२) उस पर प्रवृत्त कर की दर या दरें ; तथा

(३) अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जायं ।

(२) यदि व्यापारी कर-निर्धारक-अधिकारी की उस आज्ञा से, जिसमें उसने उपधारा (१) के अधीन कोई धनराशि निश्चित की हो, ३० दिन के भीतर उस अधिकारी को यह सूचित कर दे कि वह उक्त धनराशि देने के लिये सहमत है तो ऐसे विक्रय-धन के सम्बन्ध में उस पर कर नहीं लगाया जायेगा किन्तु उसे वह धनराशि देनी होगी तथा इस अधिनियम के उपबन्ध इस संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह धनराशि इस अधिनियम के अधीन निर्धारित कोई कर हो ।"

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ११

यू० पी० ऐक्ट १५, १९४८ की धारा ८-क का संशोधन ।

११---(१) मूल अधिनियम की धारा ८-क की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(१) प्रत्येक व्यापारी जिस पर इस अधिनियम के अधीन कर देने का दायित्व हो, तथा

प्रत्येक व्यापारी, जिस पर---यदि इस अधिनियम के अधीन कोई छूट दी या स्वीकृत न की गई होती---इस प्रकार से दायित्व होता, ऐसी दशा में जब कर-निर्धारण-वर्ष के लिये उसका विक्रय-धन १२,००० रू० अथवा उससे अधिक वह राशि हो जो धारा ३ के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में निर्धारित की जाय, कर-निर्धारक-अधिकारी को ऐसे प्रपत्र में, ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के भीतर पंजीयन (registration) के लिये प्रार्थना-पत्र देगा जो निर्धारित किया जाय ।

(१)-क---कर-निर्धारक-अधिकारी ऐसी जांच के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे, प्रार्थना-पत्र स्वीकृत कर लेगा और व्यापारी को पंजीबद्ध कर लेगा । पंजीयन कर-निर्धारण-वर्ष में अथवा उस वर्ष के, जिसके लिये वह स्वीकृत हुआ हो, अव्यतीत भाग के निमित्त प्रवृत्त रहेगा, किन्तु व्यापारी द्वारा आवेदन-पत्र दिये जाने पर एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिये नवीकृत किया जा सकता है ।

पंजीयन के लिये तथा इस उपधारा के अधीन स्वीकृत प्रत्येक नवीकरण (renewal) के लिये व्यापारी को १० रुपये शुल्क देना होगा ।"

(२) मूल अधिनियम की धारा ८-क की उपधारा (४) के पश्चात नई उपधारा (५) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय---

"(५) जहां यह पता चले कि किसी व्यापारी पर, धारा ३, अथवा धारा १८ की उपधारा (१) या (२) के अधीन, या उसमें निर्दिष्ट धनराशि

से उसका विक्रय धन कम होने के कारण, कर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, किन्तु उसने उस विक्रय धन के संबंध में कोई कर वसूल कर लिया है तो वहां वह, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, उस धनराशि को राज्य सरकार को अदा करने के लिये उत्तरदायी होगा, तथा उसे उस आज्ञा के दिनांक से, जिसके द्वारा यह पता चला हो, कि वह उक्त प्रकार से कर वसूल करने का अधिकारी न था, तीस दिन के भीतर सरकारी खजाने में, यदि वह पहले ही उसे इस प्रकार जमा न कर चुका हो, जमा कर देगा।"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२

यू० पी ऐक्ट १५, १९४८ की धारा १० का संशोधन।

१२—(१) मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(३)-(१) पुनरीक्षण अधिकारी (Revising Authority) अपना इस बात का समाधान करने के निमित्त कि अपील सुनने वाले अधिकारी अथवा कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन दी गई आज्ञा विधि के अनुसार है, बिक्री कर कमिश्नर अथवा विक्षुब्ध व्यक्ति (person aggrieved) के प्रार्थनापत्र पर मुकदमे के कागजात (case) अपने पास मंगा सकता है तथा इस संबंध में ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे यह उचित समझे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई भी प्रार्थना पत्र ऐसी किसी दशा में नहीं लिया जायगा जब कि आज्ञा के विरुद्ध अपील की जा सकती थी परन्तु की नहीं गई।

(२) राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद २१७ के खंड (२) के अधीन उच्च न्यायालय में न्यायाधीश (Judge) की नियुक्ति के निमित्त अर्ह (qualified) किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त पुनरीक्षक अधिकारी (Additional Revisory Authority) नियुक्त कर सकती है। अतिरिक्त पुनरीक्षक अधिकारी या तो किसी क्षेत्र में सामान्यतः या वादों (cases) के किसी वर्ग के संबंध में पुनरीक्षक प्राधिकारी के ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार द्वारा नियत किये जायं या उसे सौंपे जायं।"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३

यू० पी० ऐक्ट १५, १९४८ की धारा १४ का संशोधन।

१३—मूल अधिनियम की धारा १४ के खंड (ङ) के पश्चात निम्नलिखित नये खंड (च) तथा (छ) के रूप में बढ़ा दिये जायं :—

"(च) धारा ८-क के अधीन तथा अनुसार बिना पंजीयन (registration) कराये हुये व्यापारी के रूप में कारोबार करे, या

(छ) धारा २८ की उपधारा (२) की अपेक्षानुसार घोषणा, (declaration) न प्रस्तुत करे अथवा उस उपधारा के अधीन गलत घोषणा प्रस्तुत करे या धारा २८ की उपधारा

(३) के अधीन और अनुसार किसी वाहन (vehicle) को मार्ग में रोकने या उसकी तलाशी लेने (interception or search) में रुकावट पैदा करे या बाधा उपस्थित करे।"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १४

यू० पी० ऐक्ट १५, १९४८ की धारा १८ का संशोधन।

१४—मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"१८-(१) कर-निर्धारण वर्ष के दौरान में व्यापार बन्द करने वाला प्रत्येक व्यापारी, जिसका औसत मासिक विक्रय-धन, व्यापार बन्द होने वाले वर्ष के भाग की समाप्ति पर, १२,००० रु० या उससे अधिक ऐसी धनराशि, जो धारा ३ के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन निर्धारित की जाय, के बारहवें भाग से न्यून न हो या जिसने ऐसी अवधि में उत्तर प्रदेश के बाहर से अपने द्वारा आयात किया गया कोई ऐसा माल बेंचा हो जिसके विक्रय-धन पर धारा ३—क की उपधारा (१) के अधीन उस पर लगाया जा सकता हो, व्यापार बन्द होने वाले महीने की समाप्ति से तीस दिन के भीतर कर-निर्धारक अधिकारी को इस तथ्य की सूचना देगा, तथा उसे ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी रीति से तसदीक करके, जो निर्धारित की जाय, अपने विक्रय-धन का एक विवरण पत्र (statement) भी प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण—किसी व्यापारिक संस्था (firm) का पुनस्संगठन या किसी भी व्यापारी द्वारा अपने व्यापार का हस्तान्तरण इस उपधारा के अर्थ में व्यापार का बन्द करना माना जायगा।

(२) कर-निर्धारण वर्ष के दौरान में व्यापार आरम्भ करने वाला प्रत्येक व्यापारी, जिसका शेष (remainder) वर्ष के लिये अनुमानित औसत मासिक विक्रय-धन १२,००० रु० या उससे अधिक ऐसी धनराशि, जो धारा ३ के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन निर्धारित की जाय, के बारहवें भाग से कम न हो, या जिसने ऐसी अवधि में उत्तर प्रदेश के बाहर से आयात किया हुआ ऐसा माल बेंचा हो जिसके विक्रय धन के संबंध में उस पर धारा ३—क की उपधारा (१) के अधीन कर लगाया जा सकता हो, तो वह व्यापार आरम्भ किये जाने वाले महीने की समाप्ति से तीस दिन के भीतर कर-निर्धारक अधिकारी को इस तथ्य की सूचना देगा, तथा उससे ऐसे कालान्तरों में, ऐसी अवधि के भीतर, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से तसदीक करके, जो निर्धारित की जाय, अपने विक्रय-धन का एक विवरण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(३) यदि कर-निर्धारक अधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात, जिसे वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाय कि उपधारा (१) या (२) के अधीन प्रस्तुत विवरण-पत्र ठीक और पूर्ण है, तथा औसत मासिक विक्रय-धन यथास्थिति उपधारा (१) या (२) के अनुसार आकलित धनराशि से कम नहीं है, या व्यापारी ने उपधारा (१) या (२) में निर्दिष्ट आयात किया हुआ कोई माल बेचा है तो वह व्यापारी पर कर-निर्धारण विवरण-पत्र या विवरण पत्रों (returns) में दिखलाये गये कुल विक्रय-धन पर करेगा।

(४) यदि उपधारा (१) या (२) के अधीन तदर्थ निश्चित अवधि के भीतर कोई व्यापारी विवरण पत्र प्रस्तुत न करे या यदि उसके द्वारा प्रस्तुत कोई विवरण-पत्र गलत या अपूर्ण प्रतीत हो, तो कर-निर्धारक अधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे वह आवश्यक समझे, अपने सुविचार से (to the best of his judgment) व्यापारी का विक्रय-धन अवधारित करेगा और देय-कर यदि कोई हो, निर्धारित कर सकता है, किन्तु सदैव प्रतिबन्ध यह है कि यदि कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति पर—उस स्थिति को छोड़कर जबकि व्यापारी ने उत्तर प्रदेश के बाहर से आयात किया हुआ कोई ऐसा माल बेचा हो, जिसके विक्रय-धन के संबंध में धारा ३—क की उपधारा (१) के अधीन उस पर कर लगाया जा सकता हो—किसी ऐसे मामले में, जो उपधारा (१) या (२) के अन्तर्गत आता हो, औसत मासिक विक्रय-धन, तदुल्लिखित राशि से कम पाया जाय, तो कर की उतनी राशि को छोड़कर, जिसे धारा ८—क की उपधारा (४) के अधीन जमा करने का उत्तरदायित्व व्यापारी पर है, अदा किये गये कर की शेष राशि वापस कर दी जायगी।"

श्री व्रजभूषण मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित नई धारा १८ की उपधारा (४) की पंक्ति १२ तथा १३ के शब्द तथा अंक "धारा ८—क की उपधारा (४) के अधीन" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ८—क की उपधारा (४) या (५) के अधीन जैसी भी स्थिति हो" रख दिये जायं।

श्री धर्मसिंह—स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ में प्रस्तावित नई धारा १८ की उपधारा (४) की पंक्ति १२ तथा १३ के शब्द तथा अंक "धारा ८—क की उपधारा (४) के अधीन" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ८—क की उपधारा (४) या (५) के अधीन जैसी भी स्थिति हो" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १५

यू० पी० ऐक्ट १५, १९४८ की धारा २१ का संशोधन।

१५—मूल अधिनियम की धारा २१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदैव रखा गया समझा जाय—

"२१—(१) यदि कर-निर्धारक-अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यापारी का विक्रय धन, पूर्णतः या अंशतः किसी वर्ष में किसी भी कारण से कर-निर्धारण से रह गहा है तो वह व्यापारी को नोटिस देने के पश्चात् तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, उस व्यापारी पर कर का निर्धारण या पुनर्निधारण कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कर उसी दर से लगाया जायगा जिससे वह लगाया जाता यदि विक्रय धन कर-निर्धारण या पूर्णकर-निर्धारण, जैसी भी स्थिति हो, से रह न गया होता।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा की कोई भी बात कर-निर्धारक अधिकारी के लिये उसके सुविचार से कर-निर्धारण करने में रुकावट पैदा करने वाली न समझी जायगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कर-निर्धारण की कोई आज्ञा किसी कर-निर्धारण-वर्ष के संबंध में उस कर-निर्धारण-वर्ष की समाप्ति के पश्चात् चार वर्ष पूरे हो जाने के बाद न दी जायगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपधारा (१) के अधीन उक्त चार वर्ष की अवधि के भीतर नोटिस तामील कर दिया गया हो तो इस नोटिस के अनुसार ऐसा कर-निर्धारण या पुनर्निर्धारण नोटिस की तामील से एक वर्ष के भीतर किया जा सकेगा, भले ही उस प्रकार वह अवधि चार वर्ष से बढ़ जाती हो।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि कर-निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण किये जाने की अवधि सीमित करने वाली इस धारा की कोई भी बात धारा ९, १० या ११ के अधीन दी गई किसी आज्ञा में समाविष्ट किसी भी उपपत्ति (finding) या आदेश के फलस्वरूप, या उसे प्रभावी बनाने के लिये किये गये किसी कर-निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण पर लागू न होगी।

स्पष्टीकरण—यदि किसी व्यापारी के संबंध में की गई कर-निर्धारण की कार्यवाही किसी दीवानी या अन्य सक्षम न्यायालय की आज्ञा के अधीन स्थगित रही हो (remained stayed) तो इस उपधारा के अधीन व्यवस्थिति कर-निर्धारण अवधि का आकलन करते समय वह अवधि निकाल दी जायगी, जिसमें कार्यवाही उक्त प्रकार से स्थगित रही हो।"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया या और स्वीकृत हुआ।)

खंड १६

१६—मूल अधिनियम की धारा २७ के पश्चात् निम्नलिखित एक नई धारा के रूप में रख दिया जाय :— जांच चौकियों की स्थापना।

"२८—(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, इस ऐक्ट के अधीन देय (payable) बिक्री कर तथा अन्य आदेशों (dues) की अदायगी के अपवंचन (evasion) को रोकने के निमित्त राज्य के किसी भी स्थान में जांच चौकियों (check posts) तथा नाके (barriers) स्थापित कर सकती है।

(२) ऐसे माल का, जो विज्ञापित किया जाय, लाने, ले जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति उपधारा (१) में निर्दिष्ट जांच चौकी या नाके पर, राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष, ऐसे आकार में और रीति से घोषणा प्रस्तुत करेगा जो नियत की जाय।

(३) उपधारा (२) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा अन्य कोई अधिकारी, जो एतदर्थ प्राधिकृत किया जाय, अपने इस बात के समाधान के निमित्त कि उपधारा (२) के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है, तथा ऐसे निरोधों (restrictions) के अधीन रहते हुये, जो नियत किये जायं, ऐसे किसी भी वाहन को रोक सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है, जिसके संबंध में यह संदेह किया जाय कि उससे उक्त उपबन्धों का उल्लंघन हो रहा है।"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १७

निरसन । यू० पी० ऐक्ट सं० १, १९०४ ।

१७—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है, और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध इस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों यह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरसित कोई अधिनियम हो ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १

[संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा ।

(२) यह धारा तथा संयुक्त प्रांतीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ (जिसे एतत्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में धारा २ से लेकर धारा ९ तक तथा ११ से लेकर १५ तक के द्वारा किये गये संशोधन, यहां की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये, १ अप्रैल, १९५६ को तथा से प्रभावी होंगे, और प्रभावी हुये समझे जायेंगे तथा धारायें १० तथा १६ ऐसे दिनांक से प्रभावी होंगी, जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियत करे ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि धारा १२ तथा १५ द्वारा किये गये संशोधन दिनांक १ अप्रैल, १९५६ से पहिले के किसी भी वर्ष के कर-निर्धारणों (assessments) के संबंध में भी प्रवृत्त होंगे, चाहे वे निर्धारण किसी भी चरण (stage) तक पूरे हो गये हैं या नहीं हो गये हैं, अथवा पूरे हो गये थे या पूरे नहीं हो गये थे ।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ के उपखंड (२) की पंक्ति ४ से शब्द "का तथा" निकाल दिये जायं ।

श्रीमान् जी, जो अंग्रेजी का विधेयक है इसमें लिखा है कि :

"The section shall be deemed to have come into force from March 31, 1956."

और हिन्दी का जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है "१ अप्रैल, १९५६ को तथा से प्रभावी होंगे ।" तो "को तथा" की आवश्यकता नहीं है । १ अप्रैल, १९५६ से प्रभावी होंगे, इतना काफी है । यह शाब्दिक है और मैं समझता हूं कि इसको मानने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

दूसरी बात यह भी है कि यदि यही शब्द रखने थे तो तथा के बजाय 'अथवा' रखना चाहिये वरना इसके दो अर्थ हो जायंगे, उस तारीख से भी तथा उसके आगे से भी । दोनों तारीखें एक साथ लागू नहीं हो सकतीं । अतः मेरा यह संशोधन मान लेना चाहिये ।

श्री धर्मसिंह—यह स्वीकार नहीं है ।

श्री श्रीचन्द्र—यदि स्वीकार नहीं है तो मैं इसको वापस लेता हूं लेकिन यह अशुद्ध है और इसे ठीक करना होगा ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक तथा प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५६

संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को संशोधित करने का

यू० पी० ऐक्ट १५, १९४८ ।

विधेयक,

कुछ प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ द्वारा संशोधित किया गया था,

यू० पी० ऐक्ट १५, १९४८ । उत्तर प्रदेश अध्यादेश ९, १९५६ ।

और संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ ई० को संशोधित करना तथा उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मण्डल के अधिनियम की व्यवस्था करना आवश्यक है,

यू० पी० ऐक्ट १५, १९४८ । उत्तर प्रदेश अध्यादेश ९, १९५६ ।

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मेरे खयाल में तो जनाबवाला, अगर हाउस को मंजूर हो तो अभी हमने यह रेजोल्यूशन पास किया है कि १७ तारीख को खत्म हो, तो इसकी थर्ड रीडिंग कल शुरू हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष---मैं पूछ लेना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी का जो प्रस्ताव है उस पर किसी को आपत्ति है ?

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---जी हां, आपत्ति है । मैं कहता हूं कि आज ही शुरू कर दी जाय ।

(श्री अध्यक्ष के दोबारा पूछने पर श्री शिव नारायण ने कोई आपत्ति नहीं की ।)

श्री अध्यक्ष---तो अब किसी को आपत्ति नहीं है । तो मैं समझता हूं कि हम यह तृतीय वाचन कल लेंगे, प्रश्नों के बाद ही ।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ;
१६ मई, १९५६ ।

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी "क

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७६ पर)

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड, कोरांव (जिला इलाहाबाद) में २-१०-५३ से ३१-३-५६ तक किये गये कार्यों की सूची

(१) कृषि

१--खोदे गये खाद के गड्ढों की संख्या ..	.. ३३३
२--वितरित किये गये फर्टिलाइजर्स ..	.. ७४७ मन ११ सेर
३--वितरित किये गये बीज	
रबी ..	.. ३,४६४ मन ३० सेर
खरीफ	.. ६२४ मन १० सेर
तरकारी के बीज ..	.. २९ पौंड
पटना के लाल आलू का बीज ..	.. ४३ मन
तरकारी के सीडलिंग्ज ..	.. ६,१२२
४--वितरित किये गये औजार	
सबश हल ..	.. ३०
रोटरी हैन्ड डस्टर ..	.. ६
पंचई	.. १०
हैन्ड होज	.. १०
शेफ कटर्स ..	.. २०
५--फलोत्पादन का क्षेत्र ..	.. १५० एकड़
६--तरकारी के उत्पादन का क्षेत्र ..	.. १३६-१/२ एकड़
७--लगाये गये पेड़ों की संख्या ..	.. २०६००
८--कृषि के अन्तर्गत लाया गया वेस्ट लैंड	.. १०३८ एकड़

(२) पशुपालन

१--बधिया किए गए बैल ..	.. ६७२
२--सप्लाई किए गए उन्नतिशील बैल ..	.. १८
३--चिकित्सित पशु ..	.. २५८५
४--सप्लाई किए गए फिशरीज फिन्गर्लिंग्ज	.. १९२०

(३) सहकारिता

१--मल्टी-पर्पज समितियाँ ..	.. ९८
२--बनाये गए सदस्य ..	.. १,८५७
३--संगठित की गई निर्माण समिति ..	.. १
४--बनाए गए सदस्य ..	.. २०

(४) सिंचाई

१--कुएं, जो बनाए गए ..	.. ३३
२--सुधारे गए कुएं ..	.. ३९
३--सुधारे गए तालाब ..	.. २९
४--खोदी गई नहर ..	.. ३६ मील
५--बंधी	.. १
६--गूल	.. १
७--लगाए गए पर्शियन ह्वील ..	.. ६
८--विविध सिंचाई के साधनों से सींचा गया अतिरिक्त क्षेत्र	१७१३·५ एकड़

(५) गृह उद्योग

१—शुरू किए गए ईंट के भट्ठे	१

(६) रिक्लेमेशन

१—रिक्लेम किया गया क्षेत्र	१९० एकड़

(७) यातायात

१—बनाई गई कच्ची सड़क	४० मील ५० गज
२—सुधारी गई कच्ची सड़क	४२ मील ३ फर्लांग ३० गज
३—बनाई गई पुलियां	२४

(८) शिक्षा और सामाजिक शिक्षा

१—खोले गए नए स्कूल	१३
२—खोले गए वयस्क-शिक्षा-केन्द्र	४०
३—शिक्षित किये गये वयस्क	१०७
४—खोले गए रिक्रिएशन-केन्द्र	१३
५—संगठित किये गए कम्यूनिटी एन्टरटेन्मेन्ट्स ..	४४९
६—बच्चों के पार्क	२
७—संगठित की गई भजन-मंडलियां	२५
८—अखाड़े	२०
९—मूविंग लाइब्रेरीज	१०

(९) स्वास्थ्य और गांवों की सफाई

१—साकेज पिट	१०७
२—गांवों के पाखाने	२६
३—नाली	१०३९ गज
४—पीने के पानी के कुएं	५२
५—सुधारे गए पीने के पानी के कुंए	४२
६—उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें टीके लगाये गये ..	८,७६०
७—चिकित्सित व्यक्ति	५,०००
८—वितरित की गई पैल्यूड्रीन की गोलियां ..	६,५७५
९—वितरित किए गए फर्स्ट एड बाक्स. . ..	१०
१०—डी० डी० टी० का छिड़काव	५ गांवों में
११—ट्रेन्च लैट्रीन	८१
१२—डिस्इन्फेक्टेड वेल्स	९३५

(१०) गांव वालों का दान

१—सिंचाई के लिए	२७,९३० रुपये
२—रिक्लेमेशन के लिए	१५,३५० रुपये
३—स्वास्थ्य तथा गांवों की सफाई के लिए ..	५५,१७१ रुपये
४—शिक्षा के लिए	११,२५० रुपये
५—सामाजिक शिक्षा के लिए	४,१७५ रुपये
६—सड़कों के लिए	२८,९३५ रुपये
७—भूदान	३,५५,८०० रुपये की लागत का
योग ..	४,९८,६११ रुपये

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, चायलखास (जिला इलाहाबाद) में मार्च, १९५४ से ३१-३-५६ तक किये गये कार्यों की सूची

(१) कृषि

१—जापानी तरीके से धान की खेती. .	. .	६७.५ एकड़
२—गेहूं की खेती . .	. .	२५९.५ एकड़
३—प्रदर्शनों की संख्या . .	. .	४,००९
४—हरी खाद . .	. .	६५७ एकड़ के क्षेत्र में दी गई
५—वितरित किये गये केमिकल फर्टिलाइजर	. .	११,२०१ मन २९ सेर
६—"ए" श्रेणी के बीज जो वितरित किये गये . .	. .	४,५८८ मन ७ सेर १२ छ०
७—नये व्यक्तिगत बाग		
संख्या . .	. .	१६५
क्षेत्र	. .	२५६ एकड़
८—कम्युनिटी आर्चर्ड . .		
संख्या . .	. .	७
क्षेत्र	. .	३५ एकड़
९—सुधारे गये पुराने ग्रूब्ज . .	. .	४० एकड़
१०—लगाये गये पेड़ . .	. .	३०७८४
११—वितरित किये गये औजार . .	. .	३५१
१२—सिंचाई में लाया गया क्षेत्र . .	. .	३,३११ एकड़

(२) पशुपालन

१—उन्नतिशील मुर्गों द्वारा देशी मुर्गों का रिप्लेसमेंट . .	. .	५० प्रतिशत
२—सप्लाई किये गये अंडे . .	. .	६०८
३—स्थापित किये गये पोल्ट्री फार्म . .	. .	२
४—उन्नतिशील सांड़ जो सप्लाई किये गये	. .	८

(३) गृह उद्योग

१—बांटे गये चर्खे . .	. .	५०८
२—काता गया सूत . .	. .	४७ मन २८ सेर १२ छ०
३—स्थापित किये गये कर्घे . .	. .	५
४—स्थापित किया गया सहकारी ईंट का भट्ठा	. .	१

(४) यातायात

१—नई कच्ची सड़क . .	. .	११ मील ७ फ०
२—कच्ची सड़कों की मरम्मत . .	. .	६० मील ६ फ०
३—नई पक्की सड़क . .	. .	६ मील १ फ०
४—गलियां जो ईंटों से "पेव" की गई	. .	५,३१८ गज

(५) सामाजिक शिक्षा

१—बच्चों के लिये प्ले-सेंटर . .	. .	४
२—भूमि जो स्कूलों के लिये उपलब्ध की गई	. .	४५ एकड़

३—कम्युनिटी सेंटर—कम—पंचायत घर	..	३
४—ड्रामा क्लब ..	..	३
(६) श्रमदान		
१—खोदे गये तालाब ..	..	१७
२—सड़कों की मरम्मत ..	..	६० मील ६ फ०
३—नई सड़क ..	..	११ मील ७ फ०

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, कड़ा (जिला इलाहाबाद) में २६-१-५४ से ३१-३-५६ तक किये गये कार्यों की सूची

(१) कृषि

१—खाद के गड्ढे ..	..	८६७
२—बेचा गया अमोनियम सल्फेट ..	..	६५२ मन
३—वितरित फर्टिलाइजर्स ..	..	५२३ मन ६ सेर
४—"ए" श्रेणी के बीज जो बांटे गये	..	२,६९२ मन २ सेर १५ छ०
५—वितरित औजार ..	..	३८
६—तरकारी बोने का क्षेत्र ..	..	३३७ एकड़
७—फलों के पेड़ों का क्षेत्र ..	..	८० एकड़ १५ बिस्वा
८—रबी हाफ फील्ड डिम न्सट्रेशन्स ..	..	१९८
९—फ्री फर्टिलाइजर डिमा सट्रेशन्स ..	..	२७८
१०—गेहूं की खेती (यू० पी० मेथड से)	..	५० एकड़
११—डि०लर से गेहूं सी १३ की बुवाई	..	२८ एकड़
१२—फसल प्रतियोगितायें ..	..	१०
१३—वितरित आलू के बीज ..	..	६० मन
१४—जापानी तरीके से धान की खेती	..	४० एकड़
१५—नई पौधशालायें ..	..	१०
१६—कम्युनिटी आर्चर्ड ..	..	८
१७—लगाये गये पेड़ ..	..	१७,५००

(२) पशु-पालन

१—सप्लाई गिये गये सांड़ ..	..	१
२—बधिया किये गये सांड़ ..	..	९७१
३—चिकित्सक पशु ..	..	३,२८६
४—आर० पी० के टीके ..	..	३०,०५१
५—एच० एस० के टीके ..	..	१०,३६३
६—सप्लाई किये गये उन्नतिशील पक्षी	..	३८
७—सप्लाई किये गये सुधरी नस्ल के अंडे	..	४७५

(३) सहकारिता—

१—सहकारी समितियों की संख्या ..	..	७९
२—सदस्यों की संख्या ..	..	२,०७१

(४) सिंचाई—

१—स्टेट ट्यूबवेल्स जो बन रहे हैं ..	..	२
२—मेसनरी वेल ..		६८

३—मेसनरी वेल जिन की मरम्मत की गई	..	५७
४—तालाब जिनकी मरम्मत की गई	..	१०
५—नया तालाब	..	१
६—बंधी	..	४ फ० ८० गज
७—अतिरिक्त क्षेत्र जो सिंचाई में लाया गया	..	७८० एकड़

(५) रिक्लेमेशन

१—मेंड़ बन्दी	..	.. २६२ एकड़
२—परती भूमि को तोड़ना	..	.. १६९ एकड़

(६) यातायात

१—नई कच्ची सड़क	..	.. ४५ मील १ फ०१२३ ग०
२—कच्ची सड़क की मरम्मत	..	.. ३५ मील ४ फ०
३—पुलियों का निर्माण	..	.. ११ पुलियां

(७) शिक्षा तथा सामाजिक शिक्षा

१—नये स्कूल	..	.. ३
२—वयस्क शिक्षा केंद्र	..	.. ३३
३—शिक्षित वयस्क	..	.. ७५०
४—रिक्रिएशन केंद्र	..	.. ३०
५—संगठित कम्युनिटी एन्टरटेनमेंट्स	..	.. २७

(८) स्वास्थ्य तथा गांवों की सफाई

१—साकेज पिट	..	.. ५६५
२—गांवों के पाखाने	..	.. १०९
३—नाली	..	.. २०८ गज १ फुट
४—पीने के पानी के नये कुयें	..	.. ३८
५—मरम्मत किये गये पीने के पानी के कुयें	..	.. २५
६—उन व्यक्तियों की संख्या जिनको टीके लगाये गये	..	.. ६१५
७—गलियों का "पेवमेंट"	..	.. २,८३० वर्ग गज

(९) अन्य काम

१—पंचायत घर	..	.. ६
२—सीड स्टोर	..	.. १
३—प्राइमरी स्कूल	..	.. ३
४—बच्चों के पार्क	..	.. ४
५—हरिजन कुयें	..	.. ४

(१०) सार्वजनिक दान .. १,७९,२५६ रु० की लागत का

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, बहादुरपुर (जिला इलाहाबाद) में २६-१-५६ से ३१-३-५६ तक किये गये कार्यों की सूची।

१—कच्ची सड़क	..	.. ५६३० गज
२—तालाबों को गहरा करना	..	.. १५,६९५ घन फीट
३—बांध का "अर्थ-वर्क"	..	.. १२,३६८ घन फीट

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, कर्छना (जिला इलाहाबाद) में २६-१-१९५६ से ३१-३-५६ तक किये गये कार्यों की सूची।

१—बंधी	.. ..	१
२—तालाब	.. ..	१
३—खाद के गड्ढे	.. ..	९
४—स्त्रियों के लिये व्यस्क शिक्षा केन्द्र	..	१
५—अखाड़े	.. ..	२
६—स्कूल भवन	.. ..	२
७—पुल ..	.. ..	२
८—पुलियां	.. ..	४
९—साकेट पिट	.. ..	४
१०—पीने के पानी के कुयें	.. ..	१२
११—हरिजन कुआं	.. ..	१
१२—डिस्इन्फेक्टेड वेल्स	.. ..	११०
१३—चेचक के टीके	.. ..	८६७

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७९ पर)

जिला बस्ती के राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों में ३१-३-१९५६ तक किये गये मुख्य कार्यों का विवरण

क्रमांक	विवरण		राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड के नाम व आँकड़े	
			भनवापुर	घनघटा
१	२		३	४
१	सड़क निर्माण	मील	२७ मील ३ फ०	३ मील ४ फ०
२	सड़क सुधार	,,	१०७ मील ४ फ०	३ मील २ फ०
३	निर्मित पुलियाएं	,,	१७	—
४	सुधारी गई पुलियाएं	,,	२३	—
५	नये सिंचाई कूप	,,	७८	१४
६	सुधारे गए सिंचाई कूप	,,	१६३	३६
७	बोरिंग कूप	,,	—	१
८	पेय जलकूप	,,	५३	२२
९	सुधारे गए पेय जलकूप	,,	१५२	२७
१०	हैन्ड पम्प	,,	१७	९
११	व्यक्तिगत नल कूप	,,	३	—
१२	नालियां	,,	—	१८५ गज
१३	सोख्ते	,,	१,६२९	५६०
१४	सामुदायिक निर्माण—पंचायत घर भवन आदि की संख्या तथा स्कूल	,,	६४	१६
१५	बधिया किए गए पशुओं की संख्या	,,	१०,८९	४४
१६	हरिजनों के मकान	,,	२२	—
१७	रकबा, जिसमें तरक्की शुदा बीज बोया गया	,,	१६,५२३ एकड़	१,११० एकड़
१८	हरिजन कूप एवं नल	,,	८	८
१९	संगठित सहकारी समितियां	,,	४७	७
२०	वितरित रासायनिक खाद	,,	२,८६० मन	२७५ मन
२१	बांटे गए कृषि-यन्त्र	,,	२०४	३१
२२	आरोपित वृक्षों की संख्या	,,	८,२१८	२,२३०

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८० पर)

सूची

जिले का नाम		व्यायाम शाला का नाम
१—आजमगढ़	..	आदर्श व्यायामशाला, कदमघाट, शहर । जनहित व्यायामशाला, देवपार देहात ।
२—गोरखपुर	..	काली बाड़ी व्यायामशाला, रिति चौक, शहर । व्यायामशाला चरगांव, देहात ।
३—गाजीपुर	..	रहीमघाट अखाड़ा, शम्भूगड़, शहर । हनुमान कल्ब, मुड़वल, देहात
४—फैजाबाद	..	सामुदायिक व्यायामशाला, प्लानिंग आफिस, शहर । आदर्श व्यायामशाला दर्शक नगर, देहात ।
५—पीलीभीत	..	व्यायामशाला, प्लानिंग, शहर । व्यायामशाला, विभोर, देहात ।
६—जालौन	..	बलबीर व्यायामशाला, शहर । गांधी व्यायामशाला, ऐट, देहात ।
७—बुलन्दशहर	..	जनहित नागरिक व्यायामशाला, शहर । जनहित ग्रामीण व्यायामशाला, बिलसूरी, देहात
८—मथुरा	..	मथुरा व्यायामशाला, शहर । गवर्नमेंट पब्लिक व्यायामशाला, बाद, देहात ।
९—बरेली	..	महात्मा गांधी व्यायामशाला, छवै, शहर । सुभाष व्यायामशाला, सुभाष नगर, देहात ।
१०—नैनीताल	..	जनहित व्यायामशाला हल्द्वानी, देहात ।
११—मेरठ	..	सार्वजनिक व्यायामशाला, ३०६ बैंक स्ट्रीट, शहर। सार्वजनिक व्यायामशाला, करापुकुंडा, देहात ।
१२—सहारनपुर	..	सेवादल, राइफल कल्ब, गवर्नमेंट बोर्डिंग हाउस, शहर । सम बिकास व्यायामशाला, देहात ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ६१ एल० ए०—१९५६-७९६ ।